रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/97

REGISTERED NO. DL—33001/97

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 2, 1997 (श्रावण 11, 1919)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 2, 1997 (SRAVANA 11, 1919)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .	465
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	711
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1165
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . .	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	987
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	1059
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	--
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं । .	2271
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	265
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	465
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	711
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1165
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	687
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1059
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2271
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	265
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc., both in English and Hindi	*

*Folios not Received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1997

सं. 27-प्रेज/97—राष्ट्रपति, असम सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री जे. सी. बर्मन,
पुलिस उपाधीक्षक,
मुख्यालय, जिला सोनितपुर

श्री एम. सी. बोराह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला सोनितपुर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 10-6-1995 को देर रात्रि को सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक को एक श्री अनिल सराफ नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि छह अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके भाई रवि सराफ का एक ब्रीफ केस, जिसमें 35,000/- रु. थे, समेत अपहरण कर लिया गया है तथा वे जंगलों की ओर भाग गए हैं। रवि सराफ की रिहाई के लिए उन्होंने 30 लाख रुपये फिरौती की मांग भी की है। दिनांक 12-6-1995 को पुलिस उपाधीक्षक, तेजपुर और उनके दल ने प्राप्त हुए सुरागों के आधार पर अपराधियों के उन दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने उस व्यक्ति का अपहरण किया था। और अधिक पूछताछ करने पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके द्वारा दिए गए सुरागों के आधार पर श्री जे. सी. बर्मन, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) ने उप-निरीक्षक श्री एम. सी. बोराह और सशस्त्र बल की टुकड़ी के साथ 13-6-1995 को वन क्षेत्र की पांच घंटों से अधिक तक छानबीन की। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर एक छोटी झोंपड़ी देखी। श्री बर्मन ने तुरन्त बल कर्मियों को सतर्क किया और इलाके की घेराबन्दी कर दी। श्री बर्मन ने पुलिस दल का नेतृत्व किया तभी उनका अचानक उनके छिपने के स्थान पर एक सशस्त्र सन्तरी के साथ आमना-सामना हो गया। समय गंवाए बिना कार्बाईन से गोलियां चलाते हुए वह उस सशस्त्र सन्तरी के ऊपर झपट पड़े और उसको .12 बोर की भरी हुई बन्दूक सहित उसे पकड़ लिया। इस बीच श्री महेश बोराह ने एक अन्य उग्रवादी को पकड़ लिया, जो इस अचानक हमले से भौंचक्का हो गया था। तथापि, शेष उग्रवादी अंधेरे और घने जंगल का लाभ उठाते हुए बच कर भाग निकले। इस प्रकार श्री बर्मन और उनके दल ने अपहृत व्यक्ति और लूटी गई धनराशि में से कुछ राशि भी बरामद कर ली। गिरफ्तार किए गए उग्रवादी, बोडो लिब्रेशन टाईगर फोर्स के कार्यकर्ता थे। वे धन एंठने और हत्या करने के अनेकों मामलों में संलिप्त थे। दूर तक मारक क्षमता वाले कारतूसों से भरी .12 बोर की एक बन्दूक भी उनके बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री जे. सी. बर्मन, पुलिस उपाधीक्षक और श्री एम. सी. बोराह, पुलिस उप निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-6-95 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 28-प्रेज/97—राष्ट्रपति, बिहार सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री द्वारिका पाल,
पुलिस उप-निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी, थाना भावीर,
जिला-भागलपुर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18-7-1995 को लगभग 7.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि श्रीलूटन साओ, जिसका अपहरण 17/18 जुलाई, 1995

की मध्य-रात्रि को किया गया था, के अपहरणकर्ता गांव प्रहलादपुर में छिपे हुए हैं। उप निरीक्षक द्वारिका पाल, प्रभारी अधिकारी, थाना भादौर, ने तत्काल एक छापामार दल गठित किया और 4.00 बजे अपराह्न उनके छिपने के स्थान पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अपहरणकर्ता गांव रामपुर चले गए हैं। पुलिस पार्टी तुरंत वहां गयी और महतो नामक व्यक्ति के मकान को घेर लिया, जिसमें अपहरणकर्ता, अपहृत व्यक्ति के साथ छिपे हुए थे। जैसे ही पुलिस कार्मिकों ने मोर्चा सम्भाला, अपराधियों ने मकान के अन्दर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री द्वारिका पाल अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ तत्काल घर के अन्दर घुस गए और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। उन्होंने पार्टी के अन्य कार्मिकों को आत्मरक्षा में गोलियां चलाने का भी निदेश दिया। जब श्री पाल ने घर में प्रवेश किया तो उनके पेट को गोलियों से भेद दिया गया और वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद, उन्होंने अपराधियों पर दबाव बनाने के लिए अपने रिवाल्वर से गोलियां चलायी। अन्य पुलिस कार्मिकों ने भी अपराधियों पर गोलियां चलायी। अपने आपको दृढ़ निश्चयी पुलिस कार्मिकों के आमने-सामने पाकर अपराधी घबरा गए और वे अपहृत व्यक्ति को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस कार्मिकों ने तुरंत उनका पीछा किया और उनमें से तीन को पकड़ लिया। तथापि, शेष अपराधी भागने में सफल हो गए। घायल उप निरीक्षक श्री द्वारिका पाल को इलाज के लिए पटना मेडीकल कालेज ले जाया गया। गिरफ्तार अपराधियों की शिनाख्त, बाद में, (1) अरविन्द कुमार (2) राम विलास यादव (3) जदा नन्द महतो के रूप में की गयी। तलाशी के दौरान घटनास्थल से बड़ी संख्या में सक्रिय कारतूसों के साथ एक देशी पिस्तौल बरामद की गयी। इस गिरोह के सभी सदस्य बड़ी संख्या में जघन्य अपराधों और अन्य सनसनीखेज अपराधों में संलिप्त थे।

इस मुठभेड़ में, श्री द्वारिका पाल, पुलिस उप निरीक्षक ने ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18-7-95 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 29-प्रेज/97—राष्ट्रपति, बिहार सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री राम कृपाल शर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
प्रभारी अधिकारी, रामगढ़।

श्री सुनील कुमार,
पुलिस उप-निरीक्षक,
मोहानियां।

श्री बालेश्वर पासवान,
हवलदार,
पुलिस लाइन, भाभुवा।

श्री हरिद्वार शर्मा,
हवलदार,
डी.ए.पी., भाभुवा।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13 मार्च, 1994 को श्री एम. के. सिंघल, पुलिस अधीक्षक को 8-9 बदमाशों के एक गांव में उपस्थित होने के बारे में विशिष्ट सूचना मिली। पुलिस अधीक्षक, उपलब्ध बल के साथ तुरंत उस जगह पर गए और पुलिस बल को दो दलों में विभाजित किया, प्रत्येक दल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक और सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर ने किया। संदिग्ध मकान में प्रवेश करने पर, सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर और उसके दल पर अन्दर से गोलीबारी की गयी। जब पुलिस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा तो एक अपराधी बाहर आया और उसने सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर पर गोली चला दी लेकिन निशाना चूक गया। सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर के साथ-साथ हवलदार बालेश्वर पासवान द्वारा की गयी जवाबी गोली से अपराधी मारा गया। गोलीबारी की कवर में, भाग रहे अन्य अपराधियों का पीछा, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व वाले दल द्वारा किया गया और उन्होंने नजदीक के एक गांव में आड़ ली। कुमुक पहुंचने के बाद, गांव वालों से एकत्र होने का अनुरोध किया गया, जहां पर पुलिस अधीक्षक को यह बताया गया कि कुछ अपराधी मकान में छिपे हो सकते हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने उस मकान को घेरने का निदेश दिया। सब-डिवीजनल पुलिस आफिसर और उनके दल ने, जिसमें तीन उप-निरीक्षक थे, एक तरफ से तलाशी लेनी शुरू की, जबकि दूसरे दल, जिसमें दो होमगार्ड सहित एक निरीक्षक और उप-निरीक्षक राम कृपाल शर्मा और उप-निरीक्षक सुनील कुमार थे, ने दूसरी तरफ से तलाशी लेनी शुरू की, जब दूसरे दल ने उस मकान में घुसने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर दो दिशाओं से गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके परिणामस्वरूप एक होमगार्ड की मृत्यु हो गयी और उप-निरीक्षक सुनील कुमार गोली लगने से

ज़ख्मी हो गए, जिन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से तुरंत जवाबी गोली चलायी । श्री राम कृपाल शर्मा, उप-निरीक्षक और एकमात्र होमगार्ड अपराधियों पर लगातार गोलियां चलाते रहे ताकि सुनील कुमार उप-निरीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी, जिन्होंने अचानक अपने आपको घिरा हुआ पाया, वहां से हट सकें । अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक और उसके दल ने गांव की घेराबंदी कर ली तथा तीनों सशस्त्र अपराधियों को गांव के दूसरे छोर को भागने के लिए मजबूर किया । उनका पीछा करते हुए हवलदार बालेश्वर पासवान ने तेजी से जवाबी गोलीबारी की और हवलदार हरिद्वार शर्मा तथा उप-निरीक्षक राम कृपाल शर्मा ने एक अपराधी को मार गिराया । शेष अपराधी भी गोलीबारी में मारे गए । मारे गए 4 अपराधियों में से 3 की शिनाख्त राम सिंह कामकार, त्रिवेणी कोयरी और राम दयाल कोयरी के रूप में की गयी तथा चौथे अपराधी की शिनाख्त नहीं हो पायी । निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया :—

(1) 315 बोर की एक राइफल और एक डी. बी. बी. एल. गन ।

(2) एक अर्ध स्वचालित माउजर राइफल और कुछ सक्रिय कारतूस ।

(3) सक्रिय कारतूसों के साथ चार डी. बी. बी. एल. गन (इसे उप-निरीक्षक आर. के. शर्मा द्वारा बाद में बरामद किया गया) ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राम कृपाल शर्मा और सुनील कुमार, उप-निरीक्षक, बालेश्वर पासवान और हरिद्वार शर्मा, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-3-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 30-प्रेज/97—राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री करतार सिंह,
हैड-कान्सटेबल (अब सहायक उप-निरीक्षक)
पूर्वी जिला ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15-7-95 को तिलक नगर, दिल्ली के श्री जितेन्द्र नामक व्यक्ति ने राम पाल, जिसने जितेन्द्र को मारने की धमकी दी थी, के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करायी । एक मामला दर्ज किया गया और इस मामले को राजबीर सिंह, निरीक्षक के सुपुर्द किया गया । जांच-पड़ताल के दौरान, राम पाल द्वारा प्रयुक्त सफेद रंग की मारूति कार की पंजीकरण संख्या/ब्यौरे एकत्र किए गए । 19-7-95 को श्री जितेन्द्र को राम पाल से पुनः धमकियां मिली । उप पुलिस आयुक्त (पश्चिमी) के साथ, स्थिति पर विचार-विमर्श करने के बाद, चार पुलिस दल बनाए गए, जिनमें 16 पुलिस कार्मिक थे :—प्रथम दल में, श्री दीपक मिश्रा, पुलिस उप-आयुक्त, एल. एन. राव, सहायक पुलिस आयुक्त और अन्य थे, दूसरे दल में राजबीर सिंह, निरीक्षक और हैड-कांस्टेबल, करतार सिंह और अन्य थे, तीसरे दल में मोहन चन्द, उप-निरीक्षक और हैड-कांस्टेबल राकेश तथा चौथे दल में हैड-कांस्टेबल जय किशन और अन्य पुलिस कांस्टेबल थे । योजना के अनुसार, दूसरे दल ने जितेन्द्र के मकान पर सख्त निगरानी रखी और अन्य तीन दलों को तैयार रखा गया । लगभग 2.00 बजे पूर्वाह्न को श्री राजबीर सिंह (दल सं. 2) ने जितेन्द्र के मकान के नजदीक एक सफेद मारूति कार देखी और इसे रूकने के लिए कहा लेकिन कार भाग निकली । यह समाचार तत्काल शेष तीन दलों को भेजा गया । श्री राजबीर सिंह ने कार का पीछा किया और इसकी दिशाओं के बारे में अन्य दलों को भी लगातार सूचना देते रहे । यह कार, दिल्ली सीमा पार करने के बाद, अन्ततः फरीदाबाद पहुंची और राजेन्द्र मोटर्स के सामने रूकी । कार से, रामपाल सहित दो व्यक्ति उतरे और साथ ही साथ सभी दलों ने उस स्थान को घेर लिया । पुलिस उप-आयुक्त/पश्चिमी ने उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, जिसके बदले उन्होंने आगे बढ़ रहे दूसरे दल पर गोलियां चलायी, जिसके परिणामस्वरूप हैड-कांस्टेबल करतार सिंह, दाहिनी बांह में गोली लगने से घायल हो गए । उसके बाद पुलिस उप-आयुक्त/पश्चिमी, ने सभी दलों को मोर्चा सम्भालने और जवाबी गोलीबारी करने का निदेश दिया । जब बदमाशों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी तो राम पाल और उसके साथी नरेश का शव पाया गया । घटनास्थल से एक पिस्तौल, खाली कारतूस, एक अतिरिक्त भरी हुई मेगजीन और एक रिवाल्वर बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री करतार सिंह, हैड-कांस्टेबल (अब सहायक उप निरीक्षक) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपराणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-7-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 31-प्रेज/97—राष्ट्रपति दिल्ली सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री ओम प्रकाश (मरणोपरान्त)
हैड-कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

श्री ओम प्रकाश, हैड-कांस्टेबल और श्री उमेद सिंह को, एक वांछित अपराधी चन्द्र मोहन को गिरफ्तार करने के लिए तैनात किया गया था । 12-6-96 को लगभग 7.30 बजे अपराह्न वे उक्त स्कूटर पर गांव-सारा (इन्डोरा) पहुंचे । मुखबिर से अपराधी का अता-पता करने के बाद श्री ओम प्रकाश अकेले ही इन्डोरा की थानी में वांछित अपराधी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उसके छिपने के स्थान की तरफ आगे बढ़े । नाला पार करने के बाद वे पहाड़ी के उपरी हिस्से से गए और उस स्थान पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर, दो व्यक्ति उस तरफ आ रहे हैं । उनमें से एक चन्द्रमोहन पंडित था और दूसरा मनजीत था । उन्होंने उन दोनों से निपटने और मार गिराने का निर्णय लिया । इससे पहले कि श्री ओम प्रकाश अपना हथियार निकालते, चन्द्र मोहन ने उन पर दो गोलियां चलायी और उन्हें तत्काल वहीं पर मार गिराया । बाद में पुलिस ने मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया लेकिन चन्द्र मोहन भागने में सफल हो गया । श्री ओम प्रकाश ने सेवा की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हुए उच्चकोटि का बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री ओम प्रकाश, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12-6-1996 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 32-प्रेज/97—राष्ट्रपति, गुजरात सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री वी. जे. झाला, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
थाना नारनपुरा,
जिला-अहमदाबाद ।

श्री ए. जी. भुनेतर,
कांस्टेबल,
थाना नारनपुरा,
जिला-अहमदाबाद ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 10-5-1996 को सर्वश्री वी. जे. झाला और ए. जी. भुनेतर, कांस्टेबल, एक मामले की जांच-पड़ताल करने के सिलसिले में थाना नारनपुरा से रवाना हुए । जिस समय वे उसमानपुरा गार्डन के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक व्यक्ति को एक महिला की जंजीर छीनते हुए देखा जो एक मोटर साईकिल, जिसे एक अन्य व्यक्ति चला रहा था, पर बच कर भागने की कोशिश कर रहा था । उसके बाद श्री झाला और श्री भुनेतर ने अपने स्कूटर से उनका पीछा किया । जब वे लुटेरों के निकट पहुंचे तो मोटर साईकिल पर सवार लुटेरों ने अपनी मोटर-साईकिल से उनके स्कूटर पर टक्कर मारी जिसमें दोनों पुलिस कर्मी नीचे गिर गए । श्री झाला तुरन्त उन पर झपटे और उन्होंने उनमें से एक लुटेरे को धर पकड़ने की कोशिश की परन्तु उस लुटेरे ने चाकू निकाल कर श्री झाला पर वार किया जिससे वह नीचे गिर गए, इस बीच, श्री भुनेतर ने दूसरे लुटेरे को पकड़ लिया परन्तु उसने भी श्री भुनेतर के दाहिने हाथ पर चाकू से वार किया । श्री भुनेतर उसके हाथ से चाकू छीनने में सफल हो गए । घाव और रक्तस्राव के बावजूद श्री भुनेतर ने लुटेरे को बच कर भागने नहीं दिया । बहादुरी के साथ उसे तब तक पकड़े रखा जब तक कि वहां जनता एकट्ठी नहीं हो गई । उसको बाद में थाने ले जाया गया । तथापि, दूसरा लुटेरा बचकर भाग निकला । उसके बाद श्री भुनेतर, श्री झाला को निकट के अस्पताल ले गए परन्तु वहां बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । गिरफ्तार किए गए लुटेरे की शिनाख्त अहमदाबाद के मोजखान अकबरखान पठान के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री वी. जे. झाला और श्री ए. जी. भुनेतर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-5-1996 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 33-प्रेज/97—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जे. पी. सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
अनन्तनाग ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

17-12-1995 को, जब श्री सिंह एस.ओ.जी. कार्मिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ रोजमर्रा की गश्त ड्यूटी पर थे, उग्रवादियों के एक ग्रुप ने गांव हुनजी दान्तेर अनन्तनाग के नजदीक इस टुकड़ी पर घात लगायी । उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से सभी दिशाओं से अंधाधुंध गोलियां चलायी । एस.ओ.जी. टुकड़ी ने उग्रवादियों का पीछा करते हुए एक मकान के चारों तरफ घेरा डाल दिया । यह अधिकारी, सिविलियनों और इस मकान में रहने वाले अन्य लोगों को युक्तिपूर्ण ढंग से बाहर निकालने में कामयाब हो गए और वहां छिपे उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा । लेकिन उग्रवादियों ने अपने छिपने के स्थान से गोलियों की बौछार कर दी । सिविलियनों और अपने जवानों के लिए खतरे को भांप कर श्री सिंह रेंगते हुए मकान के पीछे गए और दो जवानों के साथ इस मकान पर धावा बोल दिया जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें मकान की रसोई में एक उग्रवादी मारा गया, जबकि उसके साथी इस मकान के प्रथम तल से लगातार गोलीबारी कर रहे थे। श्री सिंह ने अपने साथियों को उग्रवादियों को उलझाए रखने के लिए कहा । इसी बीच वे सीढ़ियों से लगातार ऊपर बढ़ते रहे और एक उग्रवादी को, गोली चलाने का मौका दिए बिना, उसे अपना लक्ष्य बनाया । दूसरे उग्रवादी ने उन पर हथगोला फेंका जो उस दीवार से टकराया जहां पर इस अधिकारी ने मोर्चा सम्भाल रखा था और यह हथगोला श्री सिंह से कुछेक इंच की दूरी पर फटा । इस विस्फोट के कारण उग्रवादी, श्री सिंह को देख नहीं पाया और यह मानकर कि वे मर गए हैं, वह आगे बढ़ा और गुलाम हसन दार नामक व्यक्ति के मकान में जबरन शरण लेकर पुलिस पार्टी पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलियां चलाता रहा । श्री सिंह ने उग्रवादी को निशाना बनाया और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । गोलीबारी के दौरान मकान में आग लग गयी । दूसरा उग्रवादी मकान से बाहर नहीं आ सका और वहीं मर गया । मुठभेड़ में कुल मिलाकर 3 उग्रवादी मारे गए, एक सारजेंट खालिद, प्रतिबन्धित जमायते-उल-मुज्जाहिद्दीन संगठन का स्वयंभू जिला कमांडर तथा उसके दो अन्य साथी नामतः बशीर और शौकत अहमद । मुठभेड़ के स्थान से 3 ए.के.-56 राइफलों, 9 मैगजीनों, 1 वायरलैस सैट सहित बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में, श्री जे. पी. सिंह, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17-12-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 34-प्रेज/97—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री दोस्त मोहम्मद (मरणोपरान्त)
एस. जी. कांस्टेबल,
श्रीनगर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

25 अक्तूबर, 1995 को जम्मू और कश्मीर पुलिस, श्रीनगर के विशेष सुरक्षा ग्रुप को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि हरकत-उल-अंसार उग्रवादी संगठन के दो उग्रवादी नामतः उमैर भाई और चान्द भाई, गांव मगनीपुरा जिला बारामुल्ला में एक स्थान में छिपे हुए हैं । स्पेशल आपरेशन ग्रुप के एक दल, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल थी, को तत्काल लक्षित छिपने के स्थान को घेरने के लिए भेजा गया । छापामार दल ने इस मकान को सफलतापूर्वक घेर लिया, लेकिन इस बीच उग्रवादी भी सावधान हो गए । कांस्टेबल दोस्त मोहम्मद छापामार दल की अग्रिम पंक्ति में थे, जिन्होंने छिपने के स्थान को तोड़ा। जब पुलिस पार्टी छिपने के स्थान को तोड़कर अंदर घुस रही थी तो वहां छिपा एक उग्रवादी अपने छिपने के स्थान से अचानक बाहर आया और श्री जाला पर गोली चलायी, जो इस समय छापामार दल का नेतृत्व कर रहे थे । श्री मोहम्मद ने जो श्री जाला के साथ थे, अपने अधिकारी को एक तरफ धकेल कर, मानव ढाल के रूप में उन्हें आड़ देते हुए उग्रवादी पर नजदीक से जवाबी गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इस कार्रवाई में उन्हें भी गोलियां लगी और उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया । श्री जाला ने छिपने के स्थान से अपने साथी के शव को निकालकर अपने साधनों को पुनः जुटाया और छिपने के स्थान पर हमला बोल दिया । दूसरा उग्रवादी, जो सुरक्षा बल के जाल से बच रहा था, ने इस दल को जबरदस्त मुठभेड़ में उलझाए रखा। इसी बीच, फंसे हुए उग्रवादियों के साथियों, जो आसपास के गांवों में उपस्थित थे, ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि छापामार दल का ध्यान बांटा जा सके और अपने फंसे हुए साथियों को बचकर भाग निकलने में सहायता की जा सके । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना, श्री जाला यह सुनिश्चित करने के लिए कि छिपने के स्थान के चारों तरफ घेरा अभेद्य रहे, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गए । चूंकि छिपने का स्थान सिमेन्ट का बना हुआ मकान था, अतः उसे तोड़ना कठिन था । अतः राकेटों की मदद से छिपने के स्थान को नष्ट करने के लिए सेना के विशेषज्ञों को बुलाया गया । मकान पर बड़ी संख्या में राकेट दागे गए । वहां छिपे उग्रवादी जिन्दा थे और हथगोले फेंकने के साथ-साथ वे गोलीबारी भी कर रहे थे । इस स्थिति को देख कर श्री जाला ने छिपने के स्थान पर धावा बोलने और उग्रवादियों को स्वयं बाहर निकालने का निर्णय लिया । उन्होंने अपने दल के साथ मकान पर धावा

धावा और एक जबरदस्त मुठभेड़ के बाद अन्दर छिपे उग्रवादियों को मार गिराया । इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गए। जबकि छिपने के स्थान को नष्ट कर दिया गया, वहां से 2 ए.के. राइफलों के साथ मैगजीनें, दाउद और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री दोस्त मोहम्मद, एस.पी. कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25-10-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 35-प्रेज/97—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री आर. के. जाला,
पुलिस उप-अधीक्षक,
श्रीनगर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

25 अक्तूबर, 1995 को जम्मू और कश्मीर पुलिस, श्रीनगर के विशेष सुरक्षा ग्रुप को एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि हरकत-उल-अन्सार उग्रवादी संगठन के दो उग्रवादी नामत: उमेर भाई और चान्द भाई, गांव मगनीपुरा जिला बारामूल्ला में एक स्थान में छिपे हुए हैं । स्पेशल आपरेशन ग्रुप के एक दल, जिसकी सहायता के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल थी, को तत्काल लक्षित छिपने के स्थान को घेरने के लिए भेजा गया । छापामार दल ने इस मकान को सफलतापूर्वक घेर लिया, लेकिन इस बीच उग्रवादी भी सावधान हो गए । कांस्टेबल दोस्त मोहम्मद छापामार दल की अग्रिम पंक्ति में थे, जिन्होंने छिपने के स्थान को तोड़ा । जब पुलिस पार्टी छिपने के स्थान को तोड़कर अन्दर घुस रही थी तो वहां छिपा एक उग्रवादी अपने छिपने के स्थान से अचानक बाहर आया और श्री जाला पर गोली चलायी, जो उस समय छापामार दल का नेतृत्व कर रहे थे । श्री मोहम्मद ने, जो श्री जाला के साथ थे, अपने अधिकारी को एक तरफ धकेल कर, मानव ढाल के रूप में उन्हें आड़ देते हुए उग्रवादी पर नजदीक से जवाबी गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । इस कार्रवाई में उन्हें भी गोलियां लगीं और उन्होंने घावों के कारण दम तोड़ दिया । श्री जाला ने छिपने के स्थान से अपने साथी को शव को निकालकर अपने साथियों का पुन: जुटाया और छिपने के स्थान पर हमला बोल दिया । दूसरा उग्रवादी, जो सुरक्षा दल के जाल से बच रहा था, ने इस दल को जबरदस्त मुठभेड़ में उलझाए रखा । इसी बीच, फंसे हुए उग्रवादियों के साथियों, जो आसपास के गांव में उपस्थित थे, ने भी गोलियां चलाना शुरू कर दिया ताकि छापामार दल का ध्यान बांटा जा सके और अपने फंसे हुए साथियों को बचकर भाग निकलने में सहायता की जा सके । अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किये बिना, श्री जाला यह सुनिश्चित करने के लिए कि छिपने के स्थान के चारों तरफ घेरा अभेद्य रहे, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास गए। चूंकि छिपने के स्थान सिमेन्ट का बना हुआ मकान था, अत: उसे तोड़ना कठिन था। अत: राकेटों की मदद से छिपने के स्थान को नष्ट करने के लिए सेना के विशेषज्ञों को बुलाया गया । मकान पर बड़ी संख्या में राकेट दागे गए । वहां छिपे उग्रवादी जिन्दा थे और हथगोले फेंकने के साथ-साथ वे गोलीबारी भी कर रहे थे । इस स्थिति को देख कर श्री जाला ने छिपने के स्थान पर धावा बोलने और उग्रवादियों को स्वयं बाहर निकालने का निर्णय लिया । उन्होंने अपने दल के साथ मकान पर धावा बोला और एक जबरदस्त मुठभेड़ के बाद अन्दर छिपे उग्रवादियों को मार गिराया । इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी मारे गए । जबकि छिपने के स्थान को नष्ट कर दिया गया, वहां से 2 ए.के. राइफलों के साथ मैगजीनें, दाउद और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री आर. के. जाला, पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25-10-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 36-प्रेज/97—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री शमशेर सिंह परिहार,
उप निरीक्षक,
जम्मू ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया ।

17-10-1994 को श्री एस. एस. परिहार को विश्वसनीय सूचना मिली कि कुछ आतंकवादियों ने, जो टेलीफोन करके श्री एस. एस. जौहर से फिरौती की मांग कर रहे थे, उनके घर पर

बाहर खोलने की कोशिश बनायी है। पुलिस ने तत्काल उन्हें पकड़ने और आतंकवादियों के इरादों को नाकामयाब करने का निर्णय लिया। श्री परिहार के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने श्री चौहर के घर के पास 2 दिनों तक घात लगायी। 19-10-94 को लगभग 6.30 बजे माऊजरों से लैस तीन आतंकवादी घर के आंगन में दाखिल हुए। पुलिस दल ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले और उस बहाने उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और हथगोले भी फेंके। जवाब में पुलिस दल ने भी ए. के. 56 राइफल से कई गोलियां चलायी। इसी बीच, आतंकवादियों ने हथगोले फेंके जिसके परिणामस्वरूप श्री चौहर, उनकी पत्नी, और सभी तीनों पुलिस कार्मिक जख्मी हो गए। गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद श्री परिहार ने जवाबी गोलियां चलायी और खूंखार आतंकवादी और खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स के प्रमुख जस्बीर सिंह उर्फ डाक्टर को गम्भीर रूप से जख्मी करने में कामयाब हो गए, जिसकी बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गयी। पुलिस दल द्वारा की गयी गोलीबारी के परिणामस्वरूप अन्य दो आतंकवादी भी जख्मी हो गए, तथापि वे बचकर भागने में कामयाब हो गए।

इस मुठभेड़ में श्री समशेर परिहार, उप निरीक्षक, जम्मू ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17-10-1994 से दिया जाएगा।

शिरीष प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 37-प्रेज/97—राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री एम. एच. शाह,
कांस्टेबल,
जम्मू और कश्मीर।

श्री फतेह मोहम्मद,
कांस्टेबल,
जम्मू और कश्मीर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

15-9-1994 को लगभग 0310 बजे आतंकवादियों के एक ग्रुप ने पुलिस चौकी गोटा पर हमला बोला और उसे घेर लिया तथा पुलिस कार्मिकों को शस्त्र और गोलाबारूद समर्पित करने के लिए कहा और चेतावनी दी। श्री एम. एच. शाह, कांस्टेबल, जो पुलिस चौकी पर संतरी की ड्यूटी कर रहा था, को उग्रवादियों ने दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे गम्भीर परिणामों की चेतावनी दी लेकिन श्री शाह ने इन धमकियों की परवाह नहीं की। उग्रवादियों की संख्या बहुत अधिक थी और वे पुलिस चौकी को आसानी से समाप्त कर सकते थे। पुलिस कार्मिक मकान की छत से घिरे कच्चे कमरों में फंस गए थे, जहां पर रोशनी भी नहीं थी। उपर्युक्त भारी मुसीबतों के बावजूद, श्री शाह ने आतंकवादियों को ललकारा, लेकिन उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और पुलिस चौकी के अन्दर हथगोले फेंके। पुलिस पार्टी और उग्रवादियों के बीच लगातार 1 घण्टा और 40 मिनट तक गोलीबारी होती रही और आतंकवादियों ने पुलिस चौकी के भीतर दो हथगोले फेंके। श्री फतेह मोहम्मद, कांस्टेबल, जो स्पेशल ड्यूटी पर उपस्थित थे, ने दो संतरियों के साथ मिलकर जवाबी गोलियां चलायी और उग्रवादियों का वीरोचित मुकाबला किया। इस मुठभेड़ के दौरान, श्री शाह और फतेह मोहम्मद गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस से कड़े मुकाबले का सामना करने पर, आतंकवादी भाग खड़े हुए और शस्त्र और गोलाबारूद लूटने में सफल नहीं हो सके।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एम. एच. शाह और फतेह मोहम्मद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 5(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-9-1994 से दिया जाएगा।

शिरीष प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 38-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केरल सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एस. विजयन, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
तिरुवनंतपुरम।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

दिनांक 10-7-1996 को थम्पानूर ओवर-ब्रिज के क्षेत्र के निकट एक पुलिस दल, जिसमें एक हैड-कांस्टेबल, दो कांस्टेबल (श्री विजयन समेत) और एक हवलदार गश्त-ड्यूटी पर तैनात थे। करीब 10.15 बजे अपराह्न दल के कमांडर को सूचना मिली कि कृपा थियेटर के उत्तर की तरफ पांच व्यक्तियों का एक गिरोह चाकू की नोक पर डकैती डालने की कोशिश कर रहा है। पुलिस दल तुरन्त घटना स्थल की

और चल पड़ा । वे जैसे ही रेलवे पुल के निकट पहुंचे तो, कांस्टेबल विजयन, जो सबसे आगे थे, ने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को लूटने की कोशिश कर रहे हैं । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्हें ललकारा और उनमें से एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश की । इसी के साथ उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को बचाने की भी कोशिश की । अचानक, उनमें से एक अपराधी ने चाकू निकाला और श्री विजयन के सीने पर बाईं ओर वार कर दिया । अन्य पुलिस कर्मियों के उस स्थान पर पहुंचते ही अपराधी वहां से भाग गए। श्री विजयन को तुरन्त मेडिकल कालेज अस्पताल, तिरुवनंतापुरम ले जाया गया परन्तु बाद में घावों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । श्री विजयन ने सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाए रखते हुए एक सर्वोत्तम बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री एस. विजयन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10-7-1996 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 39-प्रेज/97—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्रीमती मृदुला एम. लाड,
उप-निरीक्षक ।

श्री अभिमन्यु एम. पेठे,
कांस्टेबल ।
श्री अनन्त बी. चव्हाण,
कांस्टेबल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 11-1-96 को जब कांस्टेबल पेठे श्री विकास, अमराव की संरक्षण ड्यूटी पर तैनात थे तो उन्होंने एक मारुति कार, जिसमें चार व्यक्ति सवार थे, संदिग्ध अवस्था में देखी । उन्होंने तुरन्त इसकी सूचना समीप की पुलिस टुकड़ी, जिसका नेतृत्व महिला उप-निरीक्षक लाड कर रही थीं, को दी । आगे जांच-पड़ताल करने के लिए कांस्टेबल पेठे और दो अन्य एक प्राईवेट कार में सवार होकर संदिग्ध कार की ओर चल पड़े, उप-निरीक्षक लाड और कांस्टेबल ए. बी. चव्हाण भी एक अन्य जीप में उनके साथ हो गए । कार में सवार संदिग्ध व्यक्तियों ने यह आभास मिलते ही कि पुलिस द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है, बड़ी तेजी के साथ अपनी कार की दिशा बदल दी । उनसे बच कर भाग निकलने को रोकने के लिए कांस्टेबल/ड्राईवर चव्हाण ने अपनी जीप को उक्त मारुति कार से भिड़ा दिया । चारों संदिग्ध व्यक्ति अपनी कार छोड़कर भागने लगे । इस मौके पर, उप-निरीक्षक लाड और कांस्टेबल ए. चव्हाण ने संदिग्ध व्यक्तियों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा । इसके बजाए, उनमें से एक अभियुक्त, किशोर दागडू-अवारे ने कांस्टेबल ए. चव्हाण पर चाकू से वार किया, अपने घाव के बावजूद वह उसके साथ भिड़ते रहे । उप-निरीक्षक लाड और कांस्टेबल चव्हाण ने हाथापाई के बाद अभियुक्त को निशस्त्र कर और उस पर काबू पा लिया । कांस्टेबल पेठे और उनके अन्य दो साथियों ने अन्य तीन अभियुक्तों का पीछा किया । पीछा करने वाले दल को दूर रखने के लिए, उनमें से एक अभियुक्त ने रिवाल्वर निकाल कर कांस्टेबल पेठे पर गोली चलाई, जिन्होंने जवाब में गोली चला कर उनमें से एक अभियुक्त को घायल कर दिया जिसे बाद में उप-निरीक्षक लाड और अन्य ने पकड़ लिया । शेष दोनों अभियुक्तों ने कोई अन्य रास्ता न देख अपने रिवाल्वर निकाले और इससे पहले कि वे गोली चला पाते कांस्टेबल पेठे ने शीघ्रता से गोलियां चलाकर उनमें से एक को घायल कर दिया जो वहीं पर गिर पड़ा । चौथे अभियुक्त को कांस्टेबल पेठे के दो सिविलियन सहयोगियों द्वारा पकड़ कर उप-निरीक्षक लाड और उनके दल के हवाले कर दिया । बाद में तीनों संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान आकाश उर्फ बी. के. राव, फ्रांसिस और राजेश सांताराम गोरे के रूप में की गई । अपराधियों से एक चाकू, गंडासा, रिवाल्वर, कट्टा और जीवित कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्रीमती मृदुला एम. लाड, उप-निरीक्षक, सर्वश्री अभिमन्यु एम. पेठे और अनन्त बी. चव्हाण, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-1-96 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 40-प्रेज/97—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एन. एस. चन्द्रावत, (मरणोपरांत)
निरीक्षक ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 18-2-96 को निरीक्षक चन्द्रावत को एक सामूहिक झड़प होने के बारे में सूचना मिली । तुरंत कार्रवाई करते हुए, उन्होंने दो उप-निरीक्षक और अन्य को साथ लेकर एक पुलिस दल संगठित किया । घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस दल ने देखा कि कुख्यात बदमाश गोप और उसके साथी राजकुमार नामक एक पान विक्रेता के साथ लड़ रहे थे । पुलिस दल को देख कर गोप ने अपने साथियों से पुलिस कर्मियों को पिस्तौल से मार डालने को कहा । निरीक्षक चन्द्रावत और उसके दल ने बदमाशों को ललकारा और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े । गोप कार में भाग गया जबकि उसके अन्य साथी दूसरी ओर भागने लगे । पुलिस दल ने उनका पीछा किया तो उनमें से रमेश नामक उनके साथी ने देशी पिस्तौल निकाल कर उन्हें धमकी दी कि यदि पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्हें मार डाला जाएगा । धमकियों की परवाह न करते हुए चन्द्रावत, जो आगे थे, ने रमेश को पकड़ लिया । इस पर रमेश ने अपनी पिस्तौल से गोली चलाई जिससे चन्द्रावत गंभीर रूप से घायल हो गए । घावों के बावजूद, उन्होंने अभियुक्त को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनके अन्य सहकर्मी उसे पकड़ने के लिए पहुंच नहीं गए । निरीक्षक चन्द्रावत ने घावों के कारण दम तोड़ दिया जबकि अन्य अपराधी बच कर भाग निकले । अपराधी से एक देशी पिस्तौल बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, श्री एन. एस. चन्द्रावत, निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18-2-96 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 41-प्रेज/97—राष्ट्रपति, मणिपुर सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री थौ. इबोहल सिंह, (मरणोपरांत)
राईफलमैन,
6ठी बटालियन,
मणिपुर राईफल्स,
जिला इम्फाल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

27 जनवरी, 1996 को रात को करीब 3.00 बजे उग्रवादियों का एक सशस्त्र गिरोह एक पावर हाउस में घुस गया और विभिन्न दिशाओं से स्वचालित हथियारों से गांव-थाईगांगांग-पोकपी, थाना-लामलाई, जिला-इम्फाल में स्थित मणिपुर राईफल की छठी बटालियन पर हमला बोल दिया । चौकी पर मौजूद सुरक्षा कार्मिकों ने आत्मसुरक्षा में तुरन्त जवाबी गोलीबारी की । चौकी के पिछले भाग में तैनात संतरी ने उग्रवादियों को आगे बढ़ते हुए देख कर उन्हें ललकारा । परन्तु उग्रवादियों ने संतरी पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसका उस संतरी ने शीघ्रता से गोलियां चला कर जवाब दिया । जब संतरी ने अपने साथियों को सतर्क किया, तो राईफलमैन थौ. इबोहल सिंह अपने अन्य साथियों सहित तुरन्त बैरक से बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने पी.जीशान से भी तथा उग्रवादियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । उनकी गोली-बारी से उग्रवादी आगे बढ़ने से रुक गए और उन्होंने उनमें से एक उग्रवादी को घायल कर दिया । पुलिस कार्मिकों की अचूक गोली-बारी से उग्रवादी उसमें आगे नहीं बढ़ सके । राईफलमैन इबोहल सिंह और अन्य कार्मिकों ने गोली-बारी जारी रखी और अपनी चौकी को बचा लिया । अपने घायल साथियों के साथ वापस भागते समय उग्रवादियों ने राईफलमैन इबोहल सिंह पर विभिन्न दिशाओं से जोरदार गोलीबारी की । दुर्भाग्यवश, एक गोली श्री इबोहल सिंह के माथे पर लगी और उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया । इस प्रकार, श्री सिंह ने आखरी सांस तक उग्रवादियों के साथ कड़ा मुकाबला किया और विद्रोहियों से अपने साथियों को बचा लिया ।

इस मुठभेड़ में श्री थौ. इबोहल सिंह, राईफलमैन, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27-1-1996 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 42-प्रेज/97—राष्ट्रपति, मेघालय सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पोबोन बारबोलोई (मरणोपरान्त)
लांसनायक,
दूसरी एम. एल. पी. बटालियन,
ग्योरागरे, मेघालय ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25-6-1995 को सूचना प्राप्त हुई कि स्टेट सैन्ट्रल लाईब्रेरी परिसर, शिलांग, में एच. ए. एल. सी (एक भूमिगत गिरोह) को हथियार बेचने संबंधी एक सौदा तय करने की व्यवस्था की गई है। भूमिगत गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए लाईब्रेरी के अन्दर एक विशेष - आपरेशन टीम की सहायता प्राप्त डी. ई. एफ. का एक विशेष अभियान ग्रुप तैनात किया गया था। करीब 9.00 बजे अपराह्न पुस्तकालय के परिसर में एक स्थानीय टैक्सी ने प्रवेश किया तथा दो महिलाओं और एक पुरुष को पुस्तकालय के सामने उतारने के बाद दो सवारियों समेत पुस्तकालय के पीछे की तरफ चली गई। इस बीच, विशेष अभियान ग्रुप का एक उप-निरीक्षक, जो शस्त्रों के व्यापारी का रूप धारण किए था, भी बुक स्वयं चलाई गई टैक्सी में वहां पहुंचा और पूर्व योजनानुसार, पुलिस दल के कर्मियों को संकेत दिया। संकेत प्राप्त होते ही पुलिस कर्मी हरकत में आ गए और उन्होंने दोनों महिलाओं और उस पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जो पुस्तकालय के सामने प्रतीक्षा कर रहे थे। संकेत प्राप्त करते ही विशेष अभियान टीम के लांस नायक पोबोन बारबोलोई, दौड़ते हुए उस टैक्सी तक गए जो वहां प्रतीक्षा कर रही थी तथा टैक्सी के चालक के साथ बैठे व्यक्ति को हाथ खड़े करके टैक्सी से बाहर आने के लिए कहा। इस बीच, अन्य पुलिस कर्मी भी वहां पहुंच गए और टैक्सी के चालक के निकट पोजीशन ले ली। जिस व्यक्ति को टैक्सी से बाहर आने के लिए कहा गया था उस व्यक्ति ने बाहर आने का नाटक करते हुए अपनी पिस्तौल से एक गोली चलाई जो लांस नायक बारबोलोई के सीने में लगी और घावों के कारण उनकी वहीं मृत्यु हो गई। गोली बारी के बाद, हमलावर वहां से भाग गया। अन्य पुलिस कर्मियों ने उसका पीछा किया और उसे मार गिराया। तलाशी के दौरान एच.ए.एल.सी. के कार्यकर्ता से विदेश निर्मित 9 मि.मी. की एक पिस्तौल तथा करीब एक लाख रुपया (एक पोलीथीन बैग में) बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए एच. ए. एल. सी. कार्यकर्ताओं की पहचान फेयरवैल दानवानखर और श्रीमती बनारी मुखीम के रूप में की गई।

इस मुठभेड़ में श्री पोबोन बारबोलोई, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस, और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 25-6-95 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 43-प्रेज/97—राष्ट्रपति, नागालैंड सरकार के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री टी. सी. लोथा,
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक,
प्रभारी दोयांग,
जिला-वोखा।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27-6-1995 को करीब 5.00 बजे अपराह्न सहायक पुलिस उप-निरीक्षक टी. सी. लोथा, प्रभारी थाना-दोयांग, जिला वोखा, दो कांस्टेबलों को साथ लेकर लापता हुई एक नौकरानी की तलाश करने के लिए वाहनों की जांच कर रहे थे। सहायक उप-निरीक्षक ने लापता नौकरानी के मालिक के वाहन को देखा तो उसे रुकने के लिए कहा। अचानक एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया और श्री लोथा को गालियां देनी शुरू कर दीं और उनसे पूछा कि किस अधिकार के तहत वह वाहन को रोक सकते हैं। इसके साथ ही उसने एक पिस्तौल भी निकाल ली और उससे उन पर वार करने की कोशिश भी की परन्तु श्री लोथा ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथापाई के दौरान, दो गोलियां चलीं, जिनमें से एक श्री लोथा की दाहिनी और घाव करती निकल गई। गोली के घाव के बावजूद, श्री लोथा उसके साथ लड़ते रहे। इस बीच, दोनों कांस्टेबल भी उनकी मदद के लिए आ गए और उन्होंने पिस्तौल छीन ली। ऐसा होते देख, उपद्रवकारी ने बचकर भाग निकलने की कोशिश की परन्तु लोगों ने उसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर, 6 जीवित और दो खाली कारतूसों सहित एक एम-20 पिस्तौल बरामद की गई। बाद में उस उपद्रवकारी की पहचान एक खूंखार भूमिगत उपद्रवी नामतः एस. एम. मेजर रामकाथिंग ताम्बुल, जोकि एन. एस. सी. एन. का एक सदस्य था, के रूप में की गई। वह एक बैंक डकैती और घातों में संलिप्त था तथा अनेक पुलिस और सैनिक कर्मियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था।

इस मुठभेड़ में श्री टी. सी. लोथा, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

जाता सकता, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27-6-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 1997

सं. 44-प्रेज/97—राष्ट्रपति, नागालैण्ड सरकार/महा-निदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री ए. शोलापुरकर,
सैकेण्ड-इन-कमांड,
43वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
दीमापुर।

श्री ललित राय,
नायक,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
दीमापुर।

श्री विक्रम बहादुर,
वाटर कैरियर,
43वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
दीमापुर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

22-7-1995 को लगभग 1830 बजे, 43वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का कांस्टेबल मेघराज, अपनी भरी हुई एस एल आर, भरी हुई दो मैगजीनों और दो बारूदी हथगोलों के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप-कमांडेंट श्री पी एस राजोरा के घर में किसी गुप्त इरादे से घुसा। घर में घुसते ही उसने वाटर कैरियर विक्रम बहादुर पर गोली चलाकर उसे मार डाला। तत्पश्चात् उसने बंदूक की नोक पर श्रीमती राजोरा और उनकी नाबालिग पुत्री को बारूद से भरा एक हथगोला दिखाते हुए बन्धक बना लिया और घर से बाहर निकल आया। अन्य लोगों को आतंकित करने के लिए उसने कुछ गोलियां चलाई और धमकी दी कि यदि किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो हथगोले का विस्फोट करके वह बंधकों को मार डालेगा। घटना के बारे में सुनकर सैकेण्ड-इन-कमांड श्री ए. शोलापुरकर घटनास्थल पर पहुंचे और उससे अपील की कि वह, दोनों बन्धकों को छोड़ दे, उन्होंने उसे बातचीत में लगा लिया और बंधकों को बिना शर्त छोड़ने के लिए समझाने की रणनीति का प्रयोग किया। उसका गुस्सा शांत करने में वे सफल हो गए और इसके बाद कांस्टेबल मेघराज ने निम्नलिखित मांगें रखीं :—

1. 50,000/- रु. नकद।
2. दो निहत्थे कांस्टेबलों सहित दो मारुति जिप्सी।
3. कांस्टेबल/ड्राइवर आर. जी. पाटिल द्वारा चलाई जाने वाली एक जिप्सी।
4. श्री ए. शोलापुरकर एक अन्य जिप्सी में उसके साथ चलें ताकि वह सुरक्षित रूप से बचकर निकल सके।

फिर उसने चेतावनी दी कि कोई भी सुरक्षा वाहन उसका पीछा न करे अन्यथा वह बंधकों को मार डालेगा। सबसे आगे वाली जिप्सी को श्री ए. शोलापुरकर चला रहे थे और उसमें दो कांस्टेबल बैठे थे। पिछली जिप्सी को कांस्टेबल/ड्राइवर आर. जी. पाटिल चला रहे थे और इसमें बंधकों के साथ कांस्टेबल मेघराज बैठा हुआ था। जैसे ही वे दीमापुर स्टेडियम के निकट पहुंचे, कांस्टेबल मेघराज ने खाना और पानी मांगा, उसने पहले श्री शोलापुरकर से इसे चखने के लिए कहा और उन्होंने खुशी से चखा।

उसी समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महा-निरीक्षक (आपरेशन) श्री ए. गुहा राय वहां पहुंच गए और अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह किए बिना वे कांस्टेबल मेघराज की ओर बढ़े और उससे बंधकों को रिहा कर देने की अपील की। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर दो घंटे से अधिक समय तक वार्ता होती रही। थोड़ी दूर जाने के बाद श्री राय ने पुनः प्रयास किया और काफी मनुहार के बाद वे सफल हो गए और बंधकों को रिहा कर देने के लिए उसे मना लिया। उसने कहा कि वह श्री शोलापुरकर को बंधक रखेगा क्योंकि दोनों एक ही राज्य कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री राय जानते थे कि रास्ते में श्री शोलापुरकर के वाहन छोड़कर निकल भागने के अवसर हैं। अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर श्री शोलापुरकर बंधक बन गए ताकि दोनों निर्दोष बंधक जो लगभग पांच घंटों से भारी मानसिक यंत्रणा सह रहे थे, रिहा किए जा सकें।

कांस्टेबल मेघराज ने श्री शोलापुरकर से गाड़ी चलवाई और अन्य लोगों को बंधक की सुरक्षा के लिए उसका पीछा न करने की धमकी देते हुए वे गुवाहाटी की ओर चले। जब यह वाहन, बोकाजान वन जांच चौकी पर पहुंचा तो जांच चौकी के रजिस्टर में प्रविष्टि करने की बात कहकर श्री शोलापुरकर ने गाड़ी रोक दी। कांस्टेबल मेघराज उनकी चाल में फंस गया और यह काम पूरा करने की अनुमति उन्हें प्रदान कर दी तथा अपनी ए. के. 47 राइफल उनकी ओर करके स्वयं वाहन के सामने खड़ा हो गया। सोची समझी चाल के अनुसार श्री शोलापुरकर जांच चौकी से परे आगे बढ़ गए। कांस्टेबल मेघराज ने उन्हें वापस आने के लिए कहा और उधर से कोई जवाब न पाकर उसने उसी दिशा

में गोली चला दी। श्री शोलापुरकर ने तुरन्त सड़क की दाहिनी ओर एक गड्ढे में छलांग लगा दी और बच निकले। पकड़ लिए जाने का खतरा भांपकर कांस्टेबल मेघराज भी सड़क के दूसरी ओर छलांग लगाकर गायब हो गया। तुरंत ही श्री राय घटनास्थल पर पहुंच गए और श्री शोलापुरकर का पता लगाने के लिए आगे आपरेशन चलाने की योजना बनाई परन्तु वे सुरक्षित लौट आए।

23-7-1995 को लगभग 0540 बजे कांस्टेबल मेघराज न्यू फील्ड जांच चौकी, बीमापुर पहुंचा जहां पर 8वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक तैनात थे और उसने नायक ललित राय को पीछे की ओर से पकड़ लिया। उसने बारूद से भरा एक हथगोला दिखाते हुए नायक राय को धमकाया और उससे वह इलाका खाली कर देने को कहा तथा मांग की वह अपने कमांडिंग आफीसर को बुलाए नहीं तो वह उसे मार डालेगा। सोची समझी चाल के तहत अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना नायक राय ने कांस्टेबल मेघराज के हाथ पर जोरदार प्रहार किया जिसके कारण हथगोला दूर जाकर गिरा और फट गया। नायक राय ने कांस्टेबल मेघराज पर काबू पा लिया और उसे संतरी की चौकी के फर्श पर दे मारा तथा दूसरों से चिल्लाकर उसे मार देने को कहा। यह सुनकर अन्य संतरियों ने उस पर गोलियां चलाईं और उसे मार डाला। दिवंगत मेघराज के पास से समस्त हथियार/गोलाबारूद और धन बरामद कर लिया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री ए. शोलापुरकर, सेकेण्ड-इन-कमांड, श्री ललित राय, नायक और श्री विनक्रम बहादुर, वाटर कैरियर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-7-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 45-प्रेज/97—राष्ट्रपति, पंजाब सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

श्री गुरमीत सिंह,
उप-निरीक्षक
श्री पवन कुमार,
कांस्टेबल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

22 दिसम्बर, 1995, को जगतार सिंह हवारा, नामक एक खूंखार आतंकवादी के आने के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक (औद्योगिक क्षेत्र) और गुरमीत सिंह (उप निरीक्षक) के नेतृत्व में एक पुलिस दल जालंधर के बस अड्डे क्षेत्र को घेरने के लिए तैनात किया गया। करीब 5.30 बजे अपराह्न, एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया। मुखबिर के संकेत पर उप-निरीक्षक गुरमीत सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार और अन्य उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। घेराबन्दी से बचकर भाग निकलने के लिए संदिग्ध व्यक्ति ने पिस्तौल निकाल ली और पुलिस दल पर गोली चलाई जोकि कांस्टेबल की बाईं टांग में लगी। गोली-बारी के कारण जगतार सिंह हवारा की जांघ में भी चोट लगी। क्योंकि वह यह समझ चुका था कि उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाने की चेष्टा की। परन्तु कांस्टेबल पवन कुमार बिना-विचलित हुए, आगे बढ़े और उसके साथ जूझते हुए संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर गिर गए। उप-निरीक्षक गुरमीत सिंह भी उनकी मदद के लिए आ गए और अन्ततः उसे धर दबोचा। दबोचे गए आतंकवादी ने अपने आपको जगतार सिंह हवारा बताया जिसकी एक जानीमानी हस्ती की हत्या के संबंध में तलाश थी। उससे जीवित कारतूसों सहित एक पिस्तौल बरामद की गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से आगे पूछताछ करने पर अन्य सह-अभियुक्त गिरोह व और षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ शस्त्र और गोला-बारूद, विस्फोटक सामग्री, जहरीले पदार्थ, एक स्कूटर और मोटर-साईकिल इत्यादि का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री गुरमीत सिंह, उप-निरीक्षक और पवन कुमार, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-12-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 46-प्रेज/96—राष्ट्रपति, तमिलनाडु सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री टी. राधाकृष्णन,
पुलिस उपायुक्त,
आसूचना।

श्री वी. राजलिन वेलकन,
सहायक पुलिस आयुक्त,
आर्कियार रेंज

श्री के. पेरिया,
सहायक पुलिस आयुक्त (एल पी सी)
थाना सैदापेठ

श्री पी. शक्तिवेलु,
निरीक्षक,
थाना सैदापेठ ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

24-9-1996 को जे. शाजी ने एक स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23-9-96 को कबीलन नामक व्यक्ति ने बंगलौर से फोन पर 5.00 लाख रु. की फिरौती मांगी है, फिरौती न दिए जाने पर उसने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है । आगे, उस अपराधी ने इस काम के लिए स्थान तय किया और श्री शाजी को सूचित किया । उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, जांच के दौरान पुलिस ने श्री शाजी को अपने सेल्युलर फोन के साथ उस स्थल पर पहुंचने के लिए कहा जिससे कि वे फोन पर अभियुक्त के आगमन के बारे में ब्यौरा दे सकें । 24-9-96 को लगभग 15.00 बजे शाजी ने पुलिस उपायुक्त श्री टी. राधाकृष्णन को सूचित किया कि कबीलन ने उससे स्थान परिवर्तन के लिए कहा है क्योंकि उसे वहां कुछ अजनबी व्यक्तियों के आगमन का संदेह है । श्री टी. राधाकृष्णन ने तुरन्त ही 6 धर-पकड़ दल गठित किए जिनमें 21 पुलिस कर्मी शामिल थे और इनका नेतृत्व मुख्य रूप से स्वयं पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त वी राजलिन, सहायक पुलिस आयुक्त के पेरिया और निरीक्षक पी. शक्तिवेल कर रहे थे और शेष दलों का नेतृत्व अन्य पुलिस कर्मी कर रहे थे । लगभग 15.40 बजे शिकायतकर्ता अपनी कार पर नई जगह पहुंच गया । लगभग 16.00 बजे अभियुक्त ने नए स्थल में प्रवेश किया और अपनी कार शिकायत-कर्ता की कार के बराबर में खड़ी कर दी । पुलिस उपायुक्त श्री राधाकृष्णन ने अपने साथियों को सावधान कर दिया । पहले दिए गए निर्देश के अनुसार श्री शाजी कागजी धन सौंपने के लिए कबीलन की ओर बढ़े जिसने कि उन्हें अपनी कार के भीतर खींचने की कोशिश की । श्री शाजी द्वारा प्रतिरोध करने और सुरक्षा के लिए शोर मचाने पर अपराधी ने उन पर गोली चला दी और उन्हें घायल कर दिया । पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और कबीलन की ओर बढ़ी तथा उसके वाहन को निष्फल कर दिया । उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कबीलन और उसके चालक ने अपने हथियार निकालकर अपनी पिस्तौल और रिवाल्वर से पुलिस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, पेरिया और शक्तिवेलु ने इसका बाखूबी जवाब दिया । इस मुठभेड़ में एक साईकिल सवार मारा गया और सहायक पुलिस आयुक्त पेरिया एवं अन्य घायल हो गए । लोगों को मारे जाने से बचाने के लिए पुलिस आयुक्त श्री राधाकृष्णन और उनके दल ने जवाबी गोलीबारी की । दोनों ओर से गोली चलने से पुलिस उपायुक्त स्वयं घायल हो गए । चूंकि यह इलाका बहुत भीड़-भाड़ वाला है इसलिए निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए पुलिस उपायुक्त ने कबीलन और उसके चालक की गोलीबारी का जवाब देने का आदेश दिया । कार के पास पहुंचने पर उन्होंने कबीलन को गोली लगने से मरे हुए और चालक को जीवन के लिए संघर्ष करते पाया, बाद में उसकी घायलावस्था में ही मृत्यु हो गई । अभियुक्त की कार से दो शाट गन, दो रिवाल्वर, एक एअर पिस्टल, 9 एम एम का एक पिस्तौल, 2 वॉकी टॉकी तथा एक सेल्यूलर फोन बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री टी. राधाकृष्णन, पुलिस उपायुक्त, वी. राजलिन वेलकन, सहायक पुलिस आयुक्त और के. पेरिया, सहायक पुलिस आयुक्त (एल पी सी) तथा पी. शक्तिवेलु, निरी-क्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-9-1996 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 47-प्रेज/97—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्न-लिखित अधिकारी को उनकी वीरता, के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री किशन पाल (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल,
थाना : खतौली,
जिला : मुजफ्फरनगर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

23-9-94 को करीब 7.30 बजे पूर्वाह्न, कान्स्टेबल हरपाल सिंह और कान्स्टेबल किशन पाल सिंह को बैल्डिंग की एक दुकान में तीन संदिग्ध अपराधियों के मौजूद होने की सूचना मिली । इससे पहले कि अपराधी अपनी योजना को अंजाम दे पाते, दोनों कान्स्टेबल, यद्यपि वे निशस्त्र थे, उस दुकान की ओर गए और उन्होंने वहां रामपाल गुज्जर और दो अन्य को मौजूद पाया । कान्स्टेबलों ने अपनी पहचान बता कर अपराधियों को तलाशी देने को कहा परन्तु अपराधियों ने इसका कड़ा विरोध किया । अप-राधियों ने वहां से बच कर भागना शुरू किया परन्तु पुलिस ने उनका पीछा किया । पुलिस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रामपाल गुज्जर और दो अन्य अपराधियों ने अपने-अपने पिस्तौल निकाल लिए और पुलिस कान्स्टेबलों पर अन्धाधुंध गोलियां चलाने लगे जिससे कान्स्टेबल किशन पाल गोलियां लगने से घायल हो

गए और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया । कान्स्टेबल हरपाल सिंह बाल-बाल बच गए । अपराधी वहां से बच कर भाग गए ।

इस मुठभेड़ में श्री किशन पाल, कान्स्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-9-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 48-प्रेज/97—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री वी. के. गुप्ता,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
अलीगढ़ ।

श्री राम भरोसे,
अपर पुलिस अधीक्षक,
अलीगढ़ ।

श्री जयपाल सिंह,
सर्किल आफीसर,
अन्नादेवी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 19-9-95 को 2.45 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी. के. गुप्ता को गांव कानूपुरा में उन दो अपहर्ताओं के मौजूद होने की सूचना मिली जिन्होंने अलीगढ़ के दो लड़कों का अपहरण किया था । उन्होंने तुरन्त अन्य पुलिस अधिकारियों को तैयार होने का निदेश दिया और पी. ए. सी. की एक प्लाटून सहित बल को साथ लेकर तलाश अभियान के लिए रवाना हो गए । गांव कानूपुरा के बाहरी क्षेत्र में पहुंचने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वाहनों को वहीं छोड़ दिया और छिपने के स्थान की ओर बढ़ते हुए पुलिस बल को चार दलों में बांट दिया । पहले दल का नेतृत्व उन्होंने स्वयं और अन्नादेवी के सर्किल आफीसर श्री जयपाल सिंह ने सैकंड-इन-कमांड के रूप में संभाला, दूसरे दल का नेतृत्व श्री जयराम दास, पुलिस अधीक्षक (आर. ए.) ने किया, जिन्हें पूर्व की ओर से घेरा डालने का कार्य सौंपा गया, तीसरे दल, जिसका नेतृत्व श्री ए. एन. गुप्ता, थाना प्रभारी, अन्नादेवी कर रहे थे, को दक्षिण दिशा से घेरा डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई तथा चौथे दल का नेतृत्व श्री राम भरोसे, अपर पुलिस अधीक्षक कर रहे थे जिन्हें उत्तरी दिशा की ओर से कवर करना था । श्री गुप्ता और उनके दल ने साथ वाली छत पर चढ़ना शुरू कर दिया जहां हथियारों से लैस अपहरणकर्ता मौजूद थे । अत्यंत सावधानी बरतने के बावजूद भी अपहरणकर्ताओं ने श्री गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, और श्री जे. पी. सिंह, सर्किल आफीसर, अन्नादेवी को वहां देख लिया और गोलियों की बौछार कर दी । कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं । बदमाशों की गोली-बारी से विचलित हुए बिना दोनों अधिकारी अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपराधियों की ओर आगे बढ़े और उन पर जवाबी गोली चलाई । दोनों पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने रिवाल्वरों से एक-एक राउण्ड गोलियां चलाई । श्री वी. के. गुप्ता ने अपहरणकर्ताओं को समर्पण कर देने की चुनौती दी परन्तु इसके बदले में उन्होंने अपने-अपने हथियारों को फिर से भरना शुरू कर दिया । उन्होंने गोलियां भी चलाई और यह धमकी भी दी कि यदि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो वे इन लड़कों को मार देंगे । इस धमकी की परवाह किए बिना श्री गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनमें से एक सशस्त्र अपहर्ता पर झपट पड़े और हाथापाई के बाद उसे दबोच लिया । इसी प्रकार श्री जे. पी. सिंह ने भारी लड़ाई के बाद दूसरे अपहर्ता पर काबू पा लिया । इस बीच, इन अधिकारियों पर बदमाशों द्वारा अंधाधुंध गोली-बारी के कारण चिंतित अपर पुलिस अधीक्षक श्री राम भरोसे भी उत्तरी दिशा की ओर से घुस आए । उनकी गोलियों की परवाह किए बिना, उन्होंने उनमें से एक सशस्त्र अपहरणकर्ता को पकड़ लिया । तत्पश्चात्, एक पुलिस कर्मी ने मुख्य द्वार खोल दिया फिर शेष दल भी परिसर में अन्दर प्रवेश कर गया । पुलिस कर्मियों की मजबूत स्थिति देख अन्य बदमाश वहां से भाग निकलने के लिए मजबूर हो गए परन्तु पुलिस ने पीछा किया और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया जबकि अन्य दो बचकर भागने में सफल हो गए । दो बंधकों की बरामदगी, कारखाने में निर्मित एक एस. बी. बी. एल. बन्दूक सहित चार अपराधियों की गिरफ्तारी, एक देशी राइफल, और कारतूसों सहित दो देशी पिस्तौलों की बरामदगी के साथ इस मुठभेड़ का अन्त हुआ ।

इस मुठभेड़ में, श्री वी. के. गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राम भरोसे, अपर पुलिस अधीक्षक, श्री जयपाल सिंह, सर्किल आफीसर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-9-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 49-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री पी. सुदर्शनन, (मरणोपरान्त)
नायक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट,
डी.एच.ई.पी.
दोयांग, नागालैंड ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक कान्वाइ, जिसमें तीन वाहनों में 23 कार्मिक थे (उप निरीक्षक आर. एस. लिंगप्पा, हैड-कांस्टेबल आर. एन. गौड़, और नायक पी. सुदर्शनन सम्मिलित थे), 2-12-1995 को यूनिट के मासिक वेतन की 5.6 लाख रुपए की राशि के साथ वोखा में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा से वापस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, डी.एच.ई.पी. दोयांग को लौट रहे थे । उप निरीक्षक लिंगप्पा, नगदी के साथ दूसरे वाहन में थे, इस वाहन को हैड-कांस्टेबल गौड़ चला रहे थे, वोखा से लगभग 5 किलोमीटर दूर, घने जंगलों से घिरी पहाड़ी सड़क पर, जैसे ही यह कान्वाइ सड़क के तीखे मोड़ पर पहुंची, इस पर एन.एस.सी.एन. के उग्रवादियों ने घात लगायी और स्वचालित हथियारों से भारी-गोलीबारी की । जबकि, सबसे आगे चल रहे वाहन में सवार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी 6 कार्मिक घटनास्थल पर ही मारे गए, दूसरे वाहन पर भी भारी गोलीबारी की गयी और उग्रवादियों ने इस वाहन पर हथगोला फेंका । श्री लिंगप्पा की दाहिनी टांग में गोली लगी और श्री गौड़ भी जख्मी हो गए तथा वाहन का ब्रेक सिस्टम टूट गया । इसके बावजूद हैड-कांस्टेबल/ड्राईवर गौड़ अपने वाहन को चढ़ाई से पहले वाहन से आगे ले गए और वाहन को उग्रवादियों की गोलीबारी की रेंज से बाहर ले आए । उन्होंने अपने वाहन को, सड़क के किनारे बनी मुंडेर से टकराकर रोका । श्री लिंगप्पा, हालांकि टांग में गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे, फिर भी उन्होंने नगदी वाले बैग को उठाया, वाहन से बाहर आए और साथ के जंगल में आड़ ली । श्री गौड़ ने मृतक कार्मिकों के हथियार एकत्र किए और पहाड़ी-क्षेत्र में आड़ ले ली ।

इसी बीच, नायक सुदर्शनन, जो तीसरे वाहन में आ रहे थे, पार्टी के अन्य कार्मिकों के साथ वाहन से नीचे उतरे और मोर्चा लेकर उग्रवादियों पर गोलियां चलायी । उग्रवादियों ने जब यह देखा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक प्रभावी ढंग से गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं तो उन्होंने तीसरे वाहन पर हमला कर दिया । नायक सुदर्शनन अपने सुरक्षित मोर्चे से बाहर आए और वाहन के पीछे से गोलीबारी करने लगे, ताकि उग्रवादियों के एल. एम. जी. मोर्चे को तोड़ा जा सके । उनकी इस कार्रवाई से उग्रवादी बचाव मुद्रा में आ गए लेकिन उग्रवादियों ने नायक सुदर्शनन पर दूसरी तरफ से हमला बोल दिया और स्वचालित हथियारों की गोलियों की घातक बौछार उनके सीने पर हुई जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इस प्रकार, नायक सुदर्शनन ने, सेवा की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री पी. सुदर्शनन, नायक ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2-12-95 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 50-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री आर. एस. लिंगप्पा,
सहायक उप निरीक्षक (क्लर्क)
(अब उप निरीक्षक (सचिवालय)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट,
डी.एच.ई.पी.
दोयांग, नागालैंड ।

श्री आर. एन. गौड़,
हैड-कांस्टेबल (ड्राईवर)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट,
डी.एच.ई.पी.
दोयांग, नागालैंड ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की एक कान्वाइ, जिसमें तीन वाहनों में 23 कार्मिक थे (उप निरीक्षक आर. एस. लिंगप्पा, हैड-कांस्टेबल आर. एन. गौड़, और नायक पी. सुदर्शनन सम्मिलित थे), 2-12-1995 को यूनिट के मासिक वेतन की 5.6 लाख रुपए की राशि के साथ वोखा में स्टेट बैंक आफ इंडिया की शाखा से वापस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, डी.एच.ई.पी. दोयांग को लौट रहे थे । उप निरीक्षक लिंगप्पा, नगदी के साथ दूसरे वाहन में थे, इस वाहन को हैड-कांस्टेबल गौड़ चला रहे थे, वोखा से लगभग 5 किलोमीटर दूर, घने जंगलों से घिरी पहाड़ी सड़क पर, जैसे ही यह कान्वाइ सड़क के तीखे मोड़ पर पहुंची, इस पर एन.एस.सी.एन. के उग्रवादियों ने घात लगायी और स्वचालित हथियारों से भारी-गोलीबारी की । जबकि, सबसे आगे चल रहे वाहन में सवार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी 6 कार्मिक घटनास्थल पर

ही मारे गए, दूसरे वाहन पर भी भारी गोलीबारी की गयी और उग्रवादियों ने इस वाहन पर हथगोला फेंका । श्री लिंगप्पा की दाहिनी टांग में गोली लगी और श्री गौड़ भी जख्मी हो गए तथा वाहन का ब्रेक सिस्टम टूट गया । इसके बावजूद हैड-कांस्टेबल/ड्राईवर गौड़ अपने वाहन को चतुराई से पहले वाहन से आगे ले गए और वाहन को, उग्रवादियों की गोलाबारी की रेंज से बाहर ले आए । उन्होंने अपने वाहन को, सड़क के किनारे बनी मुंडेर से टकराकर रोका । श्री लिंगप्पा, हालांकि टांग में गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गए थे, फिर भी उन्होंने नगदी वाले बैग को उठाया, वाहन से बाहर आए और साथ के जंगल में आड़ ली । श्री गौड़ ने मृतक कार्मिकों के हथियार एकत्र किए और पहाड़ी-क्षेत्र में आड़ ले ली ।

इसी बीच, नायक सुदर्शनन, जो तीसरे वाहन में आ रहे थे, पार्टी के अन्य कार्मिकों के साथ वाहन से नीचे उतरे और मोर्चा लेकर उग्रवादियों पर गोलियां चलायीं । उग्रवादियों ने जब यह देखा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक प्रभावी ढंग से गोलीबारी का जवाब दे रहे हैं तो उन्होंने तीसरे वाहन पर हमला कर दिया । नायक सुदर्शनन अपने सुरक्षित मोर्चे से बाहर आए और वाहन के पीछे से गोलीबारी करने लगे, ताकि उग्रवादियों के एल.एम.जी. मोर्चे को तोड़ा जा सके । उनकी इस कार्रवाई से उग्रवादी दबाव में आ गए लेकिन उग्रवादियों ने नायक सुदर्शनन पर दूसरी तरफ से हमला बोल दिया और स्वचालित हथियारों की गोलियों की घातक बौछार उनके सीने पर हुई जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । इस प्रकार, नायक सुदर्शनन ने, सेवा, की उच्चतम परम्परा को बनाए रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में, श्री आर. एस. लिंगप्पा, सहायक उप निरीक्षक (क्लर्क) अब उप निरीक्षक (सचिवालय) और श्री आर. एन. गौड़, हैड-कांस्टेबल (ड्राईवर) ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2-12-95 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 51-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर. एस. एच. एस. सहोता, (वीरता के लिए पुलिस पदक का बार)
सैकण्ड-इन-कमांड
(अब कमांडेंट)
7 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
नौगांव,
असम ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

4-5-1994 को बावेजिया गांव के आस-पास उल्फा के कार्य-कर्ताओं की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, श्री आर. एस. एच. एस. सहोता, सैकिण्ड-इन-कमांड, 7 वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, को कमांडेन्ट्स केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दल को छापा मारने और उग्रवादियों को खोजने के लिए तलाशी अभियान चलाने हेतु तैनात किया गया । जब यह दल गांव बावेजिया में उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध स्थान का घेरा डाल रहा था तो उग्रवादी गाहीन गांव की ओर भागे । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने उग्रवादियों का पीछा किया और कुछ दूरी के बाद उग्रवादी दो ग्रुपों में विभाजित हो गए । उनमें से एक ग्रुप गांव गाहीन की ओर भागता रहा और चार उग्र-वादियों वाला दूसरा ग्रुप गांव कुजेरबारी और सतियाली की ओर भागा । अपने दल के सदस्यों के साथ श्री सहोता ने दूसरे ग्रुप का पीछा किया । उग्रवादियों ने ऊंचे-नीचे खेतों और मिट्टी के टीलों का लाभ उठाते हुए मोर्चा संभाला तथा श्री सहोता और उनके दल पर अंधाधुंध गोली-बारी करनी शुरू कर दी । उनमें से एक उग्र-वादी ने मिट्टी के टीले के पीछे आड़ लेकर, आगे बढ़ते हुए श्री सहोता पर बहुत नजदीक से गोलियां चलाईं । श्री सहोता ने उग्रवादी को समर्पण करने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर गोलियां चलानी जारी रखीं । श्री सहोता, छिपे हुए उग्रवादी की ओर बढ़े और गोली चलाकर उसे मार गिराया, जिसकी बाद में जीतू उर्फ भास्कर बोरा के रूप में पहचान हुई । मृत उग्रवादी से एक सी. एम. स्टेनगन और 9 मि.मी. का एक राउण्ड बरामद हुआ । तत्पश्चात्, नायक कुलदीप सिंह समेत श्री सहोता ने भागते हुए दूसरे उग्रवादी का पीछा किया । नाला पार करने के लिए उन्होंने स्थानीय नाव की मदद ली । दुर्भाग्यवश, नाव नाले में डूब गई और दोनों ने 12 फुट गहरे नाले को तैर कर पार कर लिया और उसका पीछा करते रहे । उन्हें देख कर, छिपे उग्रवादी ने सर्वश्री सहोता और कुलदीप सिंह पर एक हथगोला फेंका परन्तु वे घायल होने से बच गए । जब वह दूसरा हथगोला फेंकने ही वाला था तो सर्वश्री सहोता और कुलदीप सिंह ने उस उग्रवादी पर हमला बोला और दोनों ने उस उग्रवादी पर एक साथ गोलियां चला कर उसको

वहीं मार गिराया । मृत उग्रवादी की बाद में हुरण्य राज बांगशी के रूप में पहचान की गई । यह पुलिस कार्मिकों और अन्य लोगों की हत्या करने में संलिप्त था । उस मृत उग्रवादी से एक एच.ई.-36 हथगोला और 4 डिटोनेटर्स बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री आर. एस. एच. एस. सहोता, सैकण्ड-इन-कमांड (अब कमांडेंट) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 4-5-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 52-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और पद

श्री कुलदीप सिंह,
नायक (अब हैड कांस्टेबल)
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
नौगांव, असम ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया ।

4-5-1994 को, गांव बाओंजिया के आस-पास उल्फा कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सातवीं बटालियन के सैकिण्ड-इन-कमांड श्री आर. एस. एच. एस. सहोता की कमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दल को उग्रवादियों को पकड़ने के लिए छापा मारने और तलाशी अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया । जब यह दल, गांव बाओंजिया में संदिग्ध छिपने के स्थान पर घेरा डाल रहा था तो उग्रवादी गांव गाहीन की तरफ भाग गए । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने उग्रवादियों का पीछा किया और कुछ दूरी तक जाने के बाद उग्रवादियों ने दो ग्रुप बनाए । उग्रवादियों का एक ग्रुप गांव गाहीन की तरफ भागता चला गया और चार उग्रवादियों का दूसरा ग्रुप गांव कुजेरबारी और सतियाली की तरफ भागा । श्री सहोता ने अपने दल के कार्मिकों के साथ दूसरे ग्रुप का पीछा किया । उग्रवादियों ने ऊबड़-खाबड़ खेतों और मिट्टी के टीलों का फायदा उठाया, मोर्चा सम्भाला और श्री सहोता और उनके दल पर अंधाधुंध गोलियां चलायी । एक उग्रवादी ने एक मिट्टी के टीले के पीछे आड़ लेकर आगे बढ़ रहे श्री सहोता पर नजदीक से गोलियां चलायीं लेकिन श्री सहोता बच गए । श्री सहोता ने उग्रवादी को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन उग्रवादी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर गोलियां चलाता रहा । श्री सहोता, छिपे हुए उग्रवादी की तरफ आगे बढ़े, उसका पता लगाया और उस पर गोली चला कर उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । उसकी शिनाख्त बाद में बीजू डेका उर्फ भास्कर बोरा के रूप में की गयी । मृतक उग्रवादी से एक 9 एम.एम. राउण्ड सहित एक सी.एम. स्टेनगन बरामद की गयी । उसके बाद श्री सहोता ने नायक कुलदीप सिंह के साथ, भाग रहे दूसरे उग्रवादी का पीछा किया । उन्होंने नाला पार करने के लिए एक स्थानीय नौका ली । दुर्भाग्यवश नौका नाले में उलट गयी लेकिन उन दोनों ने 12 फुट गहरे नाले को सुरक्षित ढंग से तैर कर पार कर लिया और उनका पीछा करना जारी रखा। उन्हें देखने पर, छिपे हुए उग्रवादी ने सर्व/श्री सहोता और कुलदीप सिंह पर एक हथगोला फेंका लेकिन वे बच गए । जब वह दूसरा हथगोला फेंकने ही वाला था तो सर्व श्री सहोता और कुलदीप सिंह ने उस उग्रवादी पर हमला बोला और दोनों ने एक साथ उस पर गोलियां चलायी और उग्रवादी को मार गिराया । मृतक उग्रवादी की शिनाख्त बाद में हुरण्य राज बांगशी के रूप में की गयी । यह पुलिस कार्मिकों और अन्य लोगों की हत्या में अन्तर्ग्रस्त था । मृतक उग्रवादी से चार डिटोनेटरों के साथ एक एच. ई.-36 हथगोला बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री कुलदीप सिंह, नायक (अब हैड कांस्टेबल) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 4-5-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 53-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री दलीप सिंह,
सहायक कमांडेंट,
128वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
पश्चिमी त्रिपुरा ।

श्री मनिन्दर सिंह,
कान्स्टेबल,
128वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल,
पश्चिमी त्रिपुरा ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया

26-4-1996 को श्री दलीप सिंह, सहायक कमांडेंट को सूचना प्राप्त हुई कि सिधाई सेक्टर के ग्यांगफंग क्षेत्र में ए. टी. टी. एफ. (टाईगर फोर्स) के विद्रोहियों की गतिविधियां हो रही हैं। 27-4-1996 को बड़े सवेरे श्री दलीप सिंह ने स्पेशल टास्क फोर्स की दो प्लाटूनों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया। यह दल 0015 बजे (27-4-1996 को) को हुंजामारा से रवाना हुआ और घने जंगलों से होता हुआ वहां पहुंचा। श्री दलीप सिंह ने अपने साथियों को बचकर भाग निकलने के सभी संभव रास्तों को कवर करने के लिए तैनात किया और फिर गांव ग्यानफुंग, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था, में तलाशी अभियान छेड़ा। उन्होंने पहाड़ी के दाहिनी ओर से चढ़ने के लिए उस तरफ पांच कर्मी तैनात कर दिए। वह कान्स्टेबल मनिंदर सिंह सहित एक टुकड़ी को लेकर एक गैप में से बांई ओर से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वह पहाड़ी के निकट पहुंचे तो विद्रोहियों ने गोली-बारी करनी शुरू कर दी। इस टुकड़ी के दो स्काउट्स, जो कि दल में आगे थे, ने पोजीशन ले ली और विद्रोहियों पर गोली-बारी करनी शुरू कर दी। कान्स्टेबल मनिन्दर सिंह सहित श्री दलीप सिंह, जो कि स्काउटों के पीछे थे, ने विद्रोहियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह देखते हुए कि दोनों स्काउट को विद्रोहियों ने पहाड़ी पर से फंसा लिया है, कान्स्टेबल मनिन्दर सिंह सहित श्री दलीप सिंह बाईं ओर तेजी से गए और पहाड़ी के ऊपर बन्दूक से निकलती आग की दो लपटों को देखा। इधर विद्रोहियों ने भी दलीप सिंह और उनके दल को देख लिया था और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यह देख कर कि विद्रोही एक सुरक्षित स्थान पर हैं, जहां पर उन पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों की गोलियों का असर नहीं हो रहा है, श्री दलीप सिंह ने कान्स्टेबल मनिन्दर सिंह सहित बाईं ओर पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने दल के अन्य सदस्यों से कवरिंग फायर करते रहने को कहा।

दोनों उग्रवादियों ने उन पर अधिक तेजी से गोलियां चलानी शुरू कर दी। कान्स्टेबल मनिन्दर सिंह ने बांस के झुंड में एक विद्रोही की पोजीशन को देख लिया और कमांडर को इसकी सूचना दी। श्री दलीप सिंह ने मनिन्दर सिंह से वहां मोर्चा ले लेने और विद्रोही को वहीं मार गिराने को कहा, और वह स्वयं विद्रोहियों की स्थिति का स्पष्ट आकलन करने के उद्देश्य से आगे गए। कान्स्टेबल मनिन्दर सिंह भी विद्रोहियों की तरफ आगे बढ़े और अपने कमांडर को कवरिंग फायर प्रदान की। भारी गोली-बारी के बावजूद वे अपनी जगह से उठे और विद्रोहियों की ओर तेजी से बढ़े और उन पर गोलियां चला दीं। करीब 20 मिनट तक दोनों ओर से गोली-बारी होती रही। बिना कोई समय गंवाए उन्होंने अन्तिम वार किया और एक व्यक्ति को घने बांसों के झुंड में मरा हुआ पाया जिसके हाथ में एक ए. के. 56 राईफल थी और उसकी छाती पर ए. के.-56 राइफल की मैगजीनों की थैली बंधी थी। बाद में उसकी शिनाख्त तरुण देव वर्मा के रूप में की गई, जोकि 20-1-1996 को के. रि. पु. बल के दल पर घात लगा कर हमला करने और के. रि. पु. बल के छह जवानों और एक सिविलियन की हत्या करने के लिए जिम्मेदार था। तथापि, अन्य विद्रोही जो घायल हो गया था, बचकर घने जंगलों में भागने में सफल हो गया। ए. के.-56 राइफल की तीन मैगजीनों सहित एक ए. के.-56 राईफल भी उससे बरामद की गई। एक मैगजीन पूरी तरह से खाली थी, दूसरी मैगजीन में केवल 4 राउण्ड ही शेष थे तथा तीसरी मैगजीन में करीब 20 राउण्ड थे। मृतक के पास फायर किए गए 11 खाली खोखे भी बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री दलीप सिंह, सहायक कमांडेंट और मनिन्दर सिंह, कान्स्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-4-1996 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 54-प्रेज/97—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री परशु राम सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
73वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री नछत्तर सिंह,
हैड-कान्स्टेबल,
73वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24-6-1993 को एक मुखबिर ने विशिष्ट सूचना दी कि हीरा सिंह, एरिया कमांडर को तीन/चार उग्रवादियों के साथ, जो सभी स्वर्ण सिंह जवान्दा गिरोह के थे, गांव हाजीरा माजरा के नजदीक देखा गया। यह सूचना गश्त दल को भेजी गयी, जो पहले ही उस क्षेत्र में ड्यूटी पर था और जिसमें स्टेशन हाउस आफिसर, पुलिस अपर अधीक्षक और स्टेशन हाउस आफिसर, बाजपुर के साथ सर्व/श्री परशुराम सिंह और नछत्तर सिंह उपस्थित थे। दो दल बनाए गए, एक दल, सी. ओ. के नेतृत्व में

आतंकवादियों की खोज में गया और दूसरा दल पश्चिमी दिशा की तरफ गया। जैसे ही पहला दल, संदिग्ध फार्म-हाउस के नजदीक पहुंचा, 4 सशस्त्र आतंकवादियों ने पुलिस दलों को मारने के लिए स्वचालित हथियारों से गोलियां चलायीं। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो प्रथम दल ने उनका पीछा करना शुरू किया। उप-निरीक्षक परशुराम सिंह ने अपने आदमियों को आतंकवादियों पर हमला बोलने और गोलियां चलाने के लिए कहा। लेकिन आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर भारी गोलीबारी की और वे गन्ने के खेतों में घुस गए। पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे। उन्होंने आतंकवादियों की चीखें सुनी जो जख्मी हो गए थे। श्री नछत्तर सिंह आतंकवादियों की तरफ आगे बढ़े और आतंकवादियों पर गोलीबारी की। लेकिन आतंकवादियों ने जवाबी गोलीबारी की और हथगोले भी फेंके। उप-निरीक्षक नछत्तर सिंह गम्भीर रूप से जख्मी हो गए लेकिन उन्होंने अपने आदमियों को आतंकवादियों पर गोलियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। बाद में उन्हें सहायक उप-निरीक्षक ने ललकारा। आतंकवादियों ने नारे लगाए और पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी की तथा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। घेरे को मजबूत करने के बाद आतंकवादियों पर राइफलों और हथगोलों से हमला किया गया। इसी बीच अन्धेरा हो गया और आतंकवादी, अरक्षित क्षेत्र का फायदा उठाकर उस स्थान से भाग गए। तलाशी के दौरान मृतक आतंकवादी की शिनाख्त ओंकार सिंह चीमा के रूप में की गयी। घटनास्थल से 1 ए. के.-56 राइफल, 1 ए. के.-56 राइफल मैगजीन, 64 ए. के.-56 सक्रिय कारतूस, 9 डिटोनेटर, 5,400 रु. नकद, 1 टेप रिकार्डर, 1 कैसेट, 1 टेलीफोन, 1 हैंड-टेलीफोन, 1 बंडल बिजली का तार, 1 पी. एस. टी. के/डी. टी. एफ. के लेटर पैड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री परशुराम सिंह उप-निरीक्षक और नछत्तर सिंह, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च-कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 24-6-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 55-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री मोहिन्दर सिंह,
उप कमांडेंट,
31 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री जे. एस. चौहान,
उप-निरीक्षक,
जे ए डी (जी) टीम,
बारामूला।

श्री लखविंदर सिंह,
हैड कांस्टेबल,
31 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

29-8-1995 को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ विद्रोही ग्राम मांझीगांव (सोपोर) में छिपे हुए हैं। उप कमांडेंट श्री मोहिन्दर सिंह को दो कंपनियों के साथ इस गांव की घेराबंदी और तलाशी के लिए तैनात किया गया। प्रातः 0430 बजे गांव का घेरा डाल दिया गया और शिनाख्त परेड के पश्चात् तलाशी दल को अलग-अलग घरों की तलाशी लेने का काम सौंपा गया। एक तलाशी दल जब सनोउल्लाह पर्रे नामक व्यक्ति के घर में घुसा तो घर में छिपे उग्रवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। उप कमांडेंट श्री मोहिन्दर सिंह ने उस घर के चारों ओर घेराबंदी मजबूत कर दी और उग्रवादियों को निकाल बाहर करने की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्होंने उग्रवादियों से कहा कि उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया है और उनके समक्ष इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि वे या तो मारे जाएं या फिर आत्मसमर्पण कर दें परन्तु उग्रवादियों ने इसका जवाब, हथगोले फेंककर और गोलियां चलाकर दिया। चूंकि इधर से कोई उत्तर नहीं मिला था इसलिए श्री सिंह ने दूसरी मंजिल से उग्रवादियों के संचलन को रोकने के लिए एक खुले हिस्से से कुछ गोलियां चलाने के लिए एक दल को भेजा। श्री मोहिन्दर सिंह, जे. एस. चौहान, उप-निरीक्षक और लखविन्दर सिंह, हैड-कांस्टेबल उस घर की दीवाल तक पहुंच गए। उन्होंने श्री लखविन्दर सिंह, हैड-कांस्टेबल से कहा कि वे खिड़की से होकर गोला फेंकें और स्वयं उन्होंने खिड़की से मकान के अन्दर गोली चलाई। इस गोलीबारी का जवाब उग्रवादियों की ओर से दिया गया। श्री मोहिन्दर सिंह ने यह जान लिया कि घर के भीतर राइफलों सहित 2 उग्रवादी हैं। उस समय जब श्री चौहान के साथ श्री सिंह भी आगे की कार्रवाई के बारे में योजना बना रहे थे तो एक उग्रवादी ने खिड़की से होकर एक हथगोला फेंका जिससे वे दोनों घायल हो गए। उनकी बाईं बाहों में हथगोले के टुकड़े आकर लगे। अब उग्रवादी भूतल पर आ गए थे। भीतर की ओर अन्य हथगोले फेंके गए और दरवाजे एवं खिड़कियों से होकर एल एम जी एवं राइफलों द्वारा भूतल पर गोलियां चलाई गईं। दोनों ओर से 09.30 बजे तक गोलियां चलती रहीं। श्री सिंह ने उग्रवादियों को आत्मसमर्पण के लिए पुनः चेताया और कहा कि ऐसा न करने पर वे घास के ढेर में आग लगा देंगे और वे जिंदा जल जाएंगे, जब उन्होंने कोई अनुरोध नहीं माना तो श्री सिंह ने घास में आग लगा दी जिससे घर में आग लग गई,

घर की खिड़कियां उग्रवादियों द्वारा बन्द नहीं की गई थीं इसलिए इन खिड़कियों से होकर बहुत सारा धुआं और आग भी घर में घुसने लगी । कोई अन्य विकल्प न पाकर एक उग्रवादी ने तीन मैगजीनों सहित अपनी राइफल फेंक दी और चिल्लाया कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है । श्री सिंह ने उससे दूसरे उग्रवादी के बारे में पूछा । उसने कहा कि दूसरा उग्रवादी मारा गया है । उससे कहा गया कि वह दूसरी राइफल भी फेंक दे । आड़ में रहते हुए श्री मोहिन्दर सिंह ने विद्रोही पर गोली चलाई और उसे निहत्था कर दिया । पूछताछ करने पर उग्रवादी ने बताया कि दो अन्य उग्रवादी अभी मकान के अंदर हैं, एक मर चुका है और दूसरा घायल है । श्री मोहिन्दर सिंह तेजी से मकान में घुसे और घायलावस्था में पड़े उग्रवादी को पकड़ लिया । गोला फटने से एक अन्य उग्रवादी मारा जा चुका था । ये तीन उग्रवादी थे—रशीद मौलवी, हिज्बुल मुजाहिदीन गिरोह का स्वयंभू एरिया कमांडर (मृत), गुलाम हुसैन (घायल) और बशीर अहमद नांतरे (गिरफ्त में लिया गया) । 3 ए. के. 56 राइफलें, 8 मैगजीनें 28 राउण्ड तथा ए. के.- श्रेणी के 7 बी एफ सी बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री मोहिन्दर सिंह, उप कमांडेन्ट, जे. एस. चौहान, उप-निरीक्षक, लखविन्दर सिंह, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29-8-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 56-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बालक राम,
सूबेदार,
43 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

21 जुलाई, 1995 को श्री बालक राम, सूबेदार को सोपोर के नसीराबाद कायनी क्षेत्र में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई । कट्टर उग्रवादियों की धर-पकड़ के लिए उस क्षेत्र में एक अभियान चलाने की योजना सेकेण्ड-इन-कमांड द्वारा बनाई गयी । चार भिन्न-भिन्न दिशाओं से सैनिक दल उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो श्री बालक राम वाले दल ने देखा कि दो संदिग्ध उग्रवादी खड़ी फसल/बगीचों से होकर आदिपुरा गांव की ओर बचकर भाग रहे हैं । श्री बालक राम ने उनका पीछा किया और भाग रहे संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का आदेश दिया परन्तु रुकने के बजाय उन्होंने दल के कर्मियों पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री बालक राम ने भी गोलीबारी का जवाब दिया, उनका तेजी से पीछा किया और भागते हुए उग्रवादियों को दौड़ते हुए गोलियां चलाकर उलझाया । उग्रवादियों ने एक नहर के किनारे पोजीशन ले ली और पीछा करने वाले दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए गोलियां चलाना शुरू कर दिया । श्री बालक राम, गोली चलाते और आड़ लेते हुए भाग रहे उक्त उग्रवादियों की दिशा में आगे बढ़े । एक उग्रवादी अपना मोर्चा छोड़कर महाराजपुरा मोहल्ले की ओर भागने लगा जबकि दूसरा, श्री बालक राम और उनके दल पर गोली चलाता रहा । भाग रहे उग्रवादी का पीछा उप कमांडेंट तथा अन्य ने किया परन्तु धान के खेतों और सेब के घने बागानों की आड़ लेकर वह बच निकलने में सफल हो गया । दूसरा उग्रवादी, खतरे को भांपकर अपनी पोजीशन छोड़कर बांध की आड़ लेता हुआ आदिपुरा गांव की ओर भागने लगा । श्री बालक राम पानी से भरे धान के खेतों से होकर दल के अन्य सदस्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े और बांध के एक मोड़ पर स्वयं पोजीशन लेकर उन्होंने उग्रवादी के बचकर भागने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया । मोड़ पर पुलिस की मौजूदगी देखकर उग्रवादी ने अपने हथियार से गोलियों की बौछार की जिससे श्री बालक राम बाल-बाल बच गए । श्री बालकराम उग्रवादी पर टूट पड़े और थोड़े संघर्ष के बाद उस पर काबू पा लिया । पकड़े गए उग्रवादी ने अपना नाम अब्दुल रशीद पुत्र अब्दुल खालिक, मोहल्ला हजाम, सोपोर बताया, यह एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी तथा हिज्बुल मुजाहिदीन गिरोह का स्वयंभू प्लाटून कमांडर था । पकड़े गए उग्रवादी के पास से ए. के.-56 राइफल, ए. के. श्रेणी की मैगजीन, एन बी डी, .30 पिस्तौल की मैगजीन तथा .30 पिस्तौल के 8 राउण्ड बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री बालकराम, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21-7-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 57-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री गुणपाल सिंह,
कांस्टेबल,
104 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

11 जुलाई, 1995 को 104 बटालियन मुख्यालय में सूचना प्राप्त हुई कि श्रीनगर शहर के नौगांव चौक के इलाके में एक महत्वपूर्ण विद्रोही नेता गुलाम मोहिउद्दीन को देखा गया है । यह जानकारी मिलने पर एक कमांडेंट के अधीन 2 सेक्शन कार्मिकों का एक सचल गश्ती दल तैनात किया गया । जब कमांडेन्ट उस चौक पर पहुंचे तो एक दुकान में बैठे उग्रवादियों ने इस दल पर गोलियां चलाईं और दो मकानों के बीच की जगह में पीछे की ओर हटने लगे । कमांडेंट ने अपने वाहन और कमांडो टुकड़ी को रोका और वाहन से बाहर निकलकर गली के दोनों तरफ पोजीशन ले ली । कांस्टेबल गुणपाल सिंह सामने की ओर था और गोली लगने से घायल होने के बावजूद गली में उग्रवादियों का पीछा करता रहा । उग्रवादियों की गोलीबारी के बावजूद श्री सिंह तेजी की ओर दौड़ते हुए तथा वृक्षयुक्त क्षेत्र में टेढ़े-मेढ़े होकर चलते हुए उन तक जा पहुंचे । एस्कार्ट का नेतृत्व कर रहे श्री सिंह ही उग्रवादियों पर गोली चला पाए तथा एस्कार्ट पार्टी के अन्य कार्मिक अपने हथियारों का प्रयोग न कर सके क्योंकि उनके अपने ही साथियों की सुरक्षा पर आंच आ सकती थी । तथापि, पहला उग्रवादी किसी तरह से नाला पार करके जंगल में बचकर निकल गया । गोलीबारी का जवाब देते हुए श्री सिंह और अन्य पुलिस कार्मिकों ने दूसरे उग्रवादी पर गोलियां चलाईं और उसे वहीं ढेर कर दिया । मृत उग्रवादी की शिनाख्त बाद में तहरीक-उल-मुजाहिदीन के उप प्रमुख गुलाम मोहिउद्दीन के रूप में हुई । एक ए.के.-56 राइफल, ए.के.-56 राइफल की 4 मैगजीन हथियार और गोलीबारूद तथा दो हथगोले मृत उग्रवादी के पास से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री गुणपाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-7-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 58-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री हरि पादकार, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल
50वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 जुलाई, 1995 को लगभग 0445 बजे, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में एक दल, खोशीपुरा गांव के आस-पास के क्षेत्र में उग्रवादियों के छिपने के एक संदिग्ध ठिकाने की टोह लेने तथा घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाने के लिए अच्छाबल चौकी से रवाना हुआ । लगभग 0600 बजे जब यह दल उस गांव के पास पहुंचा तो सहायक कमांडेन्ट ने एक प्लाटून को खोशीपुरा गांव से होकर गुजरने वाली सड़क पर तैनात कर दिया और शेष दो प्लाटून अपने पास रखकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में टोह लेने के लिए गांव को पार कर गए । जब यह दल गांव से लगभग 300 मीटर दूर निकल गया तो उग्रवादियों ने दल पर गोलियां चलाईं । दल ने उग्रवादियों की गोलियों का जवाब दिया । इसके पश्चात उग्रवादी गांव की दिशा में भागकर भागने लगे । जब वे सड़क पार कर रहे थे तो भाग रहे उग्रवादियों का मुकाबला सड़क पर तैनात एक अन्य प्लाटून से हुआ परन्तु उग्रवादी, गोलीबारी के बीच बचकर निकलने में कामयाब हो गए और गांव की ओर भागे । सहायक कमांडेंट अपने सैनिकों के साथ पीछे से आगे बढ़े और उग्रवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया । उग्रवादी नाला पार कर गए और उन्होंने एक बागीचे के नजदीक में पोजीशन ले ली । उग्रवादियों को नाला पार कर जाने से रोकने के लिए एक प्लाटून तैनात कर दी गई, उस दल ने अखरोट के बगीचे की तलाशी लेनी शुरू की तो इस पर भारी गोलीबारी की गई । सहायक कमांडेंट के नेतृत्व वाले दल के स्काउट कांस्टेबल एच. पी. कार पर नाला पार करते समय भारी गोलीबारी की गई, एक गोली उसकी बाईं कनपटी पर आकर लगी और लगभग तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई । आक्रामक स्थिति होने के कारण कार्मिक सतर्क हो गए । कार्मिक दल को पता चला कि कम से कम दो उग्रवादियों ने वहां से बचकर निकलने के लिए महिलाओं के एक झुंड की आड़ ली थी । इसलिए वे एक अन्य उग्रवादी को तलाशने निकल पड़े जो कि एक दीवाल और अखरोट के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था । परन्तु उसने अचानक ही इस दल पर, गोली चला दी । कार्मिक ने भी भीषण मुठभेड़ में उस उग्रवादी को मौत के घाट उतार दिया । मारे गए उग्रवादी की शिनाख्त बाद में कारबोन गुलामी के रूप में हुई और कि हरकत-उल-अंसार दल से सम्बन्धित था । श्री कार ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया ।

इस मुठभेड़ में श्री हरि पाद कार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत

वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-7-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 59-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

सुभाष चन्द्र शर्मा, (मरणोपरान्त)
उप कमांडेंट,
7वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19-12-1995 को एक विशिष्ट सूचना मिलने पर, 3 उग्रवादियों को पकड़ने के लिए श्री एस. सी. शर्मा ने अन्य कार्मिकों के साथ छापा मारा और उन्हें पाक प्रशिक्षित एक अति-कट्टर उग्रवादी तथा पाक समर्थक उग्रवादी संगठन जेहाद फोर्स के सुप्रीम कमांडर बशीर अहमद को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके हथियारों का भंडार बल्लभनगर इलाके में पड़ा है। उप कमांडेंट श्री सुभाष चन्द्र शर्मा उस भूक्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपने दल को चार हिस्सों में बांटा और उन्हें अलग-अलग रास्तों से उस क्षेत्र की ओर भेजा जहां वह छिपने का स्थान अवस्थित था। जब वह दल उस घर के पास पहुंचा तो भारी गोलीबारी हुई और उन्हें रुकना पड़ा। जवाब में पुलिस दल ने भी उग्रवादियों पर गोलियां चलाईं। उग्रवादियों की गोलीबारी और हथगोले फेंकने से अहमद जो कि इस दल को वहां तक लाया था, एक उग्रवादी की गोली से आहत होकर मारा गया। कुमुक भी बुला ली गई। उग्रवादियों और पुलिस दल के बीच लगभग आधा घंटे तक गोलियां चलती रहीं। श्री शर्मा ने अपनी हलकी मशीनगनों को सावधानी पूर्वक पोजीशन किया और दोनों ओर से गोलीबारी के बीच फंसकर अपनी जान गंवा बैठने का खतरा उठाते हुए उन्होंने सभी दिशाओं से एक साथ खिड़कियों से होकर गोलियां चलवाईं। जब उस घर से गोलीबारी बन्द हो गई तो श्री शर्मा, कमरों को उग्रवादियों से मुक्त करने के लिए हथगोले फेंकते हुए उस इमारत पर धावा बोलने हेतु अपने दल का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। भीतर मौजूद विद्रोही मारे जा चुके थे और भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बारूद, मैगजीन सहित एक पिस्तौल, पिस्तौल के पांच सक्रिय कारतूस, 3 पिस्तौल एफ. एफ. सी., 30 गोलियां युक्त ए. के. श्रेणी की मैगजीन, ए. के. श्रेणी की 51 गोलियां, ए. के. श्रेणी के 19 एफ. एफ. सी., जे. के. जेहाद फोर्स के 14 पैड तथा स्टाम्प बरामद किए गए। (16-4-1996 को जब श्री शर्मा गश्त ड्यूटी के बाद अपने कम्पनी मुख्यालय की ओर लौट रहे थे तो तुरत-फुरत तैयार की गई एक शक्तिशाली विस्फोटक युक्ति के विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई; यह सुरंग खास तौर से उन्हीं के लिए बिछाई गई थी।)

इस मुठभेड़ में श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, उप कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-12-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं. 60-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री प्रवीण बख्शी,
सहायक कमांडेंट,
162 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

16-10-1995 को एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी परीपोरा क्षेत्र में देखे गए हैं। कम्पनियों से जुटाए गए अपने कमांडो सैनिकों के साथ सहायक कमांडेंट श्री प्रवीण बख्शी बटालियन मुख्यालय से निकल पड़े। श्री प्रवीण बख्शी ने अपने दल को 4 ग्रुपों में विभाजित किया और 4 अलग-अलग दिशाओं से उन्हें लक्षित क्षेत्र पर पहुंचने के लिए तैनात किया। विद्रोहियों ने लक्षित क्षेत्र में स्थित एक घर से गोलीबारी की। पुलिस कार्मिकों की आवाजाही देखकर उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री बख्शी ने हैड-कांस्टेबल श्री के. पी. प्रधान के अधीन अपने कमांडो को उस घर की एक दीवाल की तरफ भेजा जहां कि उस घर की ओर तैनात 2 हल्की मशीनगनों की गोलीबारी के कारण उग्रवादी पलटकर गोली नहीं चला पा रहे थे। श्री प्रधान एक खिड़की तक पहुंच गए और उन्होंने मकान के अंदर एक हथगोला फेंक दिया। जब हथगोला फटा तो विद्रोही गिरोह का नेता मारा गया। तथापि, एक उग्रवादी गोली चलाने में सफल हो गया, गोली श्री प्रधान के सिर में लगी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिन्ता किए बिना उन्होंने गोली चलाना तब तक जारी रखा जब तक वे बेहोश न हो गए। श्री बख्शी ने श्री प्रधान को वहां से निकाला किन्तु उनकी मृत्यु घायलावस्था में ही हो गई।

इस मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए और दो जख्मी हुए। घटना स्थल से ए. के. 47 राइफलें, मैगजीन, गोली बारूद, स्टीरियो मिनी कैसेट रिकार्डर, ग्रेनेड, मैगजीन पाउच, स्टिक ग्रेनेड पाउच, अरबी की किताब और आडियो कैसेट बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री प्रवीण बख्शी, सहायक कमांडेन्ट ने अदम्य वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16-10-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं० 61-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री के० पी० प्रधान (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
162 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

16-10-1995 को एक विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि कुछ उग्रवादी परीपुरा क्षेत्र में देखे गए हैं। कंपनियों से जुटाए गए अपने कमांडो सैनिकों के साथ सहायक कमांडेंट श्री प्रवीण बख्शी बटालियन मुख्यालय से निकल पड़े। श्री प्रवीण बख्शी ने अपने बल को 4 ग्रुपों में विभाजित किया और 4 अलग-अलग दिशाओं से उन्हें लक्षित क्षेत्र पर पहुंचने के लिए तैनात किया। विद्रोहियों ने लक्षित क्षेत्र में स्थित एक घर से गोलीबारी की। पुलिस कर्मियों की आवाजाही देखकर उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री बख्शी ने हैड-कांस्टेबल श्री के० पी० प्रधान के अधीन अपने कमांडो को उस घर की एक दीवाल की तरफ भेजा जहां कि उस घर की ओर तैनात 2 हल्की मशीनगनों की गोलीबारी के कारण उग्रवादी पलटकर गोली नहीं चला पा रहे थे। श्री प्रधान एक खिड़की तक पहुंच गए और उन्होंने मकान के अंदर एक हथगोला फैंक दिया। जब हथगोला फटा तो विद्रोही गिरोह का नेता मारा गया। तथापि, एक उग्रवादी गोली चलाने में सफल हो गया, गोली श्री प्रधान के सिर में लगी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता किए बिना उन्होंने गोली चलाना तब तक जारी रखा जब तक वे बेहोश न हो गए। श्री बख्शी ने श्री प्रधान को वहां से निकाला।

किन्तु उनकी मृत्यु घायलावस्था में ही हो गई। इस मुठभेड़ में 4 उग्रवादी मारे गए और दो जख्मी हुए। घटना स्थल से ए० के० 47 राइफलें, मैगजीन, गोली बारूद, स्टीरियो मिनी कैसेट रिकार्डर, ग्रेनेड, मैगजीन पाउच, स्टिक ग्रेनेड पाउच, अरबी की किताब और आडियो कैसेट बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री के० पी० प्रधान, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 16-10-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं० 62-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री एस० बी० मुखर्जी,
सहायक कमांडेंट (तकनीकी),
104 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री वीर पाल सिंह,
कांस्टेबल,
104 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13-10-1995 को करीब 1115 बजे सूचना मिली कि एक ओर से गांव नौगाम, चिरालीपुरा, पदशाहीबाग और दूसरी ओर से बारामूल्ला बाई-पास रोड से घिरे हुए लासजन जंगल में कुछ उग्रवादी छिपे हुए हैं। करीब 1200 बजे एक कमांडेंट और तीन कम्पनियों के नेतृत्व वाले एक तलाशी दल ने एक जहूर महमद भट्ट नामक व्यक्ति को रोका जिसने आगे पूछताछ के दौरान बताया कि जंगल में चार और सशस्त्र उग्रवादी छिपे हुए हैं। कमांडेंट तक इस संदेश को पहुंचा दिया गया और तलाशी दलों को सतर्क कर दिया गया। करीब 1245 बजे श्री मुखर्जी और उनके दल ने चारों उग्रवादियों को देखा जिनमें दो के पास ए० के० श्रेणी की राइफलें थीं तथा अन्य दो के पास कोई शस्त्र नहीं था। श्री मुखर्जी ने तुरन्त इस संदेश को द्वि० कमांडेंट तक पहुंचा दिया। उसके बाद श्री मुखर्जी ने

अपने दल के अन्य सदस्यों को साथ लेकर उग्रवादियों का पीछा करना शुरू कर दिया। उग्रवादियों ने जब श्री मुखर्जी के नेतृत्वाधीन सीमा सुरक्षा बल के दल को देखा तो उन्होंने इस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। श्री मुखर्जी और उनके दल ने जवाबी गोली-बारी की। दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं तथा उग्रवादी सीमा सुरक्षा बल के दल पर गोलियां चलाते हुए बारामूल्ला बाई-पास की ओर भागते गए। जब श्री मुखर्जी और आगे बढ़े तो उग्रवादियों ने उन पर एक हथगोला फेंका जो श्री मुखर्जी के थोड़ा सा आगे गिरकर फटा। भाग्यवश, श्री मुखर्जी ने ऊंची-नीची भूमि के एक टुकड़े के पीछे पोजीशन ले ली थी। उग्रवादियों की गोलियों की बौछार से विचलित हुए बिना और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर, श्री मुखर्जी ने अपने साथियों को इन उग्रवादियों का गोलियों से सफाया कर देने का आदेश दिया। दोनों ओर से गोलियां चलने के कारण उनमें से एक उग्रवादी के सिर में गोली लगी, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। शेष तीन उग्रवादी नाले में छिपने के लिए मजबूर हो गए। उग्रवादियों की पोजीशन का जायजा लेने तथा कमांडेंट के निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त सुरक्षा दल आगे बढ़ा और उग्रवादियों को गोली-बारी में उलझा लिया। चारों ओर से अचानक की गई इस गोली-बारी से उग्रवादी हैरान हो गए तो उन्होंने अंधाधुंध गोली-बारी करते हुए और हथगोले फेंकते हुए बारामूल्ला बाई-पास की ओर से सुरक्षा बलों के घेरे को तोड़ने का निष्फल प्रयास किया। इस गोली-बारी के दौरान श्री बीरपाल सिंह बाल-बाल बचे। उग्रवादियों की भारी गोली-बारी के बावजूद अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना कांस्टेबल बीरपाल सिंह उग्रवादियों की ओर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपनी ए० के० राइफल से गोली चलाकर एक उग्रवादी को वहीं मार गिराया। इसी समय दूसरे पुलिस दल ने उग्रवादियों के साथ सीधे गोली-बारी कर उनसे सीधी टक्कर ली और तीसरे उग्रवादी को मार डाला। इस बीच एक अन्य पुलिस दल भी वहां पहुंच गया और कमांडेंट के दल के साथ मिलकर कार्रवाई में शामिल हो गया। चौथा उग्रवादी, जो अभी तक सिपाहियों पर गोली-बारी कर रहा था, को चारों ओर से घेर लिया गया और उसे भी वहीं मार गिराया गया। मारे गए उग्रवादियों की बाद में बिलाल अहमद खान उर्फ यूनुस, मुजफ्फर अहमद उर्फ अलियास, रियाज अहमद उर्फ तामातोर और गुलजार अहमद उर्फ जावेद के रूप में की गई। घटनास्थल से 3 ए० के० राइफलें, 2 चीनी पिस्तौलें, 11 ए० के० मैगजीनें, 4 पिस्तौल मैगजीनें, 2 हथगोले, 1 डिजिटल वायरलेस सैट, ए० के० श्रेणी के 233 राउण्ड और पिस्तौल के 20 राउण्ड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० बी० मुखर्जी, सहायक कमांडेंट (तकनीकी), बीरपाल सिंह, कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावाल के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-10-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं० 63-प्रेज/97:—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री आई० कंवर, (मरणोपरान्त)
उप कमांडेंट,
27 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

श्री विनोद कुमार (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
27 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

श्री बी० एन० सिंह (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
27 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

2 अक्तूबर, 1993 को सीमा सुरक्षा बल की 27 वीं बटालियन के कमांडेंट को सूचना प्राप्त हुई कि सशस्त्र उग्रवादियों का एक ग्रुप जिसमें कुछ विदेशी भी शामिल हैं, तिलसरा गांव में मौजूद हैं। सीमा सुरक्षा बल की एक मजबूत टुकड़ी को तैनात किया गया और यूनिट में पहुंचने के बाद इस टुकड़ी को चार ग्रुपों में बांटा गया, पहली टुकड़ी का नेतृत्व श्री आई० कंवर, दूसरी का नेतृत्व श्री डी० एस० साधू, तीसरी पार्टी का नेतृत्व श्री त्रिलोचन सिंह, चौथी पार्टी का नेतृत्व श्री एस० एस० कुशवाहा के हाथों में था। गांव के आस पास घेरा भी डाल दिया गया। घेरा डाले जाते समय, गांव में छिपे लगभग आधा दर्जन विद्रोहियों को पुलिस की मौजूदगी का आभास हो गया। चूंकि उग्रवादी उस क्षेत्र से परिचित थे इसलिए उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई और एक नाले में कूदकर बच निकले। कांस्टेबल विनोद कुमार ने एक उग्रवादी को हथगोला फेंकते देखकर उस पर गोली चलाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। उसी समय एक अन्य उग्रवादी ने विनोद कुमार पर गोली चलाई और उसे मार डाला। यह सूचना तुरन्त श्री कंवर को मिल गई और वे तुरन्त ही पीछा करते हुए उनके पीछे घाटी में चले गये।

परन्तु विद्रोही, ढलान पर चढ़ गये और लाभदायक पोजीशन ले ली। जब उग्रवादियों ने देखा कि श्री आई० कंवर और अन्य टुकड़ियों द्वारा उन पर काबू पा लिया गया है

तो उन्होंने विभिन्न दिशाओं से भारी गोली-बारी शुरू कर दी। विद्रोहियों की गतिविधि की खबर बेतार पर सामारिक मुख्यालय को दे दी गई। कमांडेंट के नेतृत्व में कुमुक तुरन्त ही निकल पड़ी और उसने विद्रोहियों के बचकर भागने के मार्ग अवरुद्ध कर दिये। श्री कंवर ने उस क्षेत्र का पता लगाया जहां से उग्रवादियों ने गोली चलाई थी और बल के 2 कार्मिकों को घायल कर दिया था फिर उन्होंने उग्रवादियों पर एक हथगोला फैंका जिसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी घायल हो गया और बचकर भागने लगा। उप कमांडेंट श्री कंवर ने सबसे आगे होकर उसका पीछा किया परन्तु उग्रवादी ने उन पर गोली चलाई और उन्हें मार डाला। इस मुठभेड़ में 2 उग्रवादी पकड़ लिये गये और 3 मार डाले गये। 5 ए० के० 47 राइफलें, चीन निर्मित एक पिस्तौल, ए० के० 56, की 15 मैगजीन, ए० के० 56 मैगजीन 361 कारतूस, पिस्तौल की 2 मैगजीन, पिस्तौल की 9 गोलियां, 5 हथगोले, तथा राकेट लांचर अन्वीक्षण प्रणाली इल्यूमिनेटिंग डिवाइस के साथ मुठभेड़ स्थल से बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में, श्री आई० कंवर, उप कमांडेंट, श्री विनोद कुमार, कांस्टेबल और श्री बी० एन० सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस, और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8-10-1993 से दिया जायगा।

गिरीश प्रधान,
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

सं० 64-प्रेज/97.—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिय राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जे० एस० भाटी (मरणोपरान्त)
उप कमांडेंट,
42 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

27-3-1996 को करीब 1.00 बजे श्री जे० एस० भाटी, डी० सी०, के नेतृत्वाधीन गश्ती दल को सूचना मिली कि चन्खान क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। अपनी कम्पनी समेत श्री भाटी तत्काल उस क्षेत्र की ओर गये। अपने दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित कर, श्री भाटी ने उस क्षेत्र को घेर लिया और घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। करीब 13.45 बजे जब श्री भाटी के नेतृत्व में तलाशी दल एक मोहम्मद रमदान के घर में घुसा, तो पहली मंजिल पर छिपे उग्रवादियों ने दो हथगोले फैंके और उन पर गोलियां भी चलाईं जिसके फलस्वरूप (दिवंगत) सर्वश्री बलवन्त सिंह, उप निरीक्षक, जयन्ती प्रसाद, कांस्टेबल, राजबीर गौतम, कांस्टेबल, की मृत्यु हो गई। श्री भाटी डी० सी० ने अपने दल को साथ लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी। कांस्टेबल जयन्ती प्रसाद जो आगे थे, उनकी बाईं जांघ में उग्रवादियों की एक गोली लगी और वह गिर गये। श्री भाटी ने एक उग्रवादी पर गोलियों की बौछार की तो जवाबी कार्रवाई में उग्रवादी ने श्री भाटी पर गोलियां चलाई और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। श्री भाटी, अपने घावों के बावजूद, वीरतापूर्वक अपने शेष दल का नेतृत्व करते रहे। श्री भाटी अन्य स्थान पर चले गये, परन्तु उन पर एक अन्य उग्रवादी ने ऊपर वाली मंजिल से गोली बारी की और वह गिर गये। सर्वश्री रमेश चन्दर और द्वारिका नाथ, कांस्टेबल, जो डी० सी० की पिछली तरफ थे, ने गोलियां चलाई और सीढ़ियों पर हमला बोल दिया। उग्रवादी, जो कि पहली मंजिल के कमरों के दरवाजों में से गोली-बारी कर रहे थे, कांस्टेबल रमेश चन्दर और कांस्टेबल द्वारिका नाथ पर गोली चलाने में सफल हो गये। उन्हें गोली लगी और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर कुमुक भेजी गई। करीब दो घंटों तक गोली-बारी होती रही और जिस घर में उग्रवादी छिपे थे उसमें आग लग गई। जो कि साथ वाले घरों में भी फैल गई। उस क्षेत्र को घेर लेने के बाद, कुमुक दल उस घर में घुसा और एक उग्रवादी (जिसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी) समेत सात शव बरामद किये गये। दो जली हुई राइफलों समेत वहां से तीन ए० के० श्रेणी की राइफलें और एक क्षतिग्रस्त वायरलेस सैट बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री जे० एस० भाटी, उप कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27-3-1996 से दिया जायेगा।

गिरीश प्रधान,
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव,

सं० 65-प्रेज/97—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री रमेश चन्दर, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
42वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री द्वारिका नाथ, (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
42वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

27-3-1996 को करीब 13.00 बजे श्री के० एस० भाटी, डी० सी०, के नेतृत्वाधीन गश्ती दल को सूचना मिली कि खन्यार क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं। अपनी कम्पनी समेत श्री भाटी तत्काल उस क्षेत्र की ओर गए। अपने दल को तीन टुकड़ियों में विभाजित कर श्री भाटी ने उस क्षेत्र को घेर लिया और घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। करीब 1345 बजे जब श्री भाटी के नेतृत्व में तलाशी दल एक मोहम्मद रमदान के घर में घुसी तो पहली मंजिल पर छिपे उग्रवादियों ने दो हथगोले फैंके और उन पर गोलियां भी चलाई जिसके फलस्वरूप (दिवंगत) सर्व श्री बलवन्त सिंह, उप-निरीक्षक, जयन्ती प्रसाद, कांस्टेबल, राजबीर गौतम, कांस्टेबल, की मृत्यु हो गई। श्री भाटी, डी० सी० ने अपने दल को साथ लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दीं। कांस्टेबल जयन्ती प्रसाद जो आगे थे, उनकी बाईं जांघ में उग्रवादियों की एक गोली लगी और वह नीचे गिर गए। श्री भाटी ने एक उग्रवादी पर गोलियों की बौछार की तो जवाबी कार्रवाई में उग्रवादियों ने श्री भाटी पर गोलियां चलाईं और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। श्री भाटी अपने घावों के बावजूद, वीरतापूर्वक अपने शेष दल का नेतृत्व करते रहे। श्री भाटी अन्य स्थान पर चले गए, परन्तु उन पर एक अन्य उग्रवादी ने ऊपर वाली मंजिल से गोली-बारी की और वह नीचे गिर गए। सर्वश्री रमेश चन्दर और द्वारिका नाथ, कांस्टेबल, जो डी० सी० की पिछली तरफ थे, ने गोलियां चलाईं और सीढ़ियों पर हमला बोल दिया। उग्रवादी, जो कि पहली मंजिल के कमरों के दरवाजों में से गोली-बारी कर रहे थे, ने कांस्टेबल रमेश चन्दर और कांस्टेबल द्वारिका नाथ पर गोली चलाने में सफल हो गए, उन्हें गोली लगी और उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटनास्थल पर कुमुक भेजी गई। करीब दो घण्टों तक गोली-बारी होती रही और जिस घर में उग्रवादी छिपे थे उसमें आग लग गई जो कि साथ वाले घरों में भी फैल गई। उस क्षेत्र को घेर लेने के बाद, कुमुक दल उस घर में घुसी और एक उग्रवादी (जिसकी शिनाख्त नहीं की जा सकी) समेत सात शव बरामद किए गए। दो जली हुई राइफलों समेत वहां से तीन ए० के० श्रेणी की राइफलें और एक क्षतिग्रस्त वायरलेस सैट बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, रमेश चन्दर और द्वारिका नाथ, कांस्टेबलों ने वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27-3-1996 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

शुद्धि-पत्र

सं० 66-प्रेज 97—"सेना मेडल" प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में 30 नवम्बर 1996 को भारत के राजपत्र भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित, 15 अगस्त, 1996 की इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 90-प्रेज/96 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

59. 7239922 कार्यकारी लांस दफादार सुखदेव घोष, रिमाउन्ट एवं पशु चिकित्सा को —हटा दें तथा
मौजूदा क्रम संख्या 60 से 76 को
59 से 75 के रूप में पढ़ें।

गिरीश प्रधान,
राष्ट्रपति का संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 1997

शुद्धि-पत्र

सं. 8-2/97-आई जे एस सी—योजना आयोग के दिनांक 1 जून, 1962 के संकल्प संख्या एफ 13 (39)/62-प्रशा. 1 के तहत गठित भारत और जापान में आर्थिक विकास के अध्ययनार्थ समिति और दिनांक 13 जनवरी, 1979 के संकल्प संख्या 8-2/97 आई जे एस सी के तहत भारत-जापान अध्ययन समिति के रूप में पुनः नामित और योजना आयोग के दिनांक 9 अक्तूबर, 1996 के संकल्प संख्या 8-2/96 आई जे एस सी के तहत अन्ततः पुनर्गठित में एतद्द्वारा निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

1. श्री सलमान हैदर के स्थान पर सदस्य के रूप में विदेश सचिव श्री के. रघुनाथ को रखा गया है।
2. श्री शेखर दत्त के स्थान पर सदस्य के रूप में श्री एन. कुमार, अध्यक्ष, सी II को रखा गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव और जापान में भारतीय राजदूत को भिजवा दी जाए।

एस. एन. बख्शी चौधरी
निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1997

संकल्प

सं. ए-60012/06/97-प्रशा. 1 (ए)—भारत सरकार ने राष्ट्र के विकास में मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान की महत्ता को स्वीकार करते हुए विज्ञान में विश्व स्तरीयता प्राप्त करने के लिए अत्युत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों को सहायता देने हेतु एक समग्र निधि का निर्माण करते हुए भारत की स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना गठित करने का निर्णय लिया है।

2. यह स्वर्ण जयंती फेलोशिप भारतीय नागरिकता वाले 30 से 40 वर्ष की आयु के वैसे युवा वैज्ञानिकों के लिए होगी जिनके पास अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में नवीन अग्रणी क्षेत्रों की खोज के लिए अत्युत्कृष्ट अनुसंधान कार्य की प्रमाणिक क्षमता होगा। यह फेलोशिप वैज्ञानिक विशिष्ट होगी, संस्था विशिष्ट नहीं तथा बहुत सुविधा होगी एवं उसकी अकादमिक मानिटरिंग की जाएगी। इस सहायता में उच्चतम स्तर पर कार्य निष्पादन के लिए सभी आवश्यकताओं की परिपूर्ति को समाहित किया जाएगा तथा 25,000/- रुपए प्रति माह की आकर्षक राशि के अलावा उपस्करों के लिए अनुदान, अनुसंधान एवं प्रशासनिक सहायता, उपभोज्यों, आकस्मिक खर्चों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तथा अवसंरचनात्मक सुहायता सहित किन्हीं अन्य विशेष आवश्यकताओं के पोषण को समावेश होगा।

3. आवश्यक विवरणों सहित इस योजना को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा व्यापक तौर पर प्रचारित किया जाएगा। फेलोशिप के लिए आवेदनों/नामांकनों को वर्ष में एक बार मंगाया जाएगा। प्राप्त आवेदनों/नामांकनों के आधार पर एक उचित प्रदत्त समिति फेलोशिप दिए जाने के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव करेगी तथा अनुसंधान परियोजनाओं का मानिटर एवं मूल्यांकन करेगी। प्रत्येक फेलोशिप की अवधि शुरू होने की तिथि से 5 वर्षों की होगी।

4. इस परियोजना को कार्यान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों, देश के सभी विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं (सी एस आई आर/आई सी ए आर/आई सी एम आर, यू जी सी, डी आर डी ओ इत्यादि) को सम्प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मनमोहन कुमार सरवाल
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1997

विषय : पुस्तकालय पद्धति को सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषज्ञ समूह की स्थापना।

सं. 27-31/97-पुस्तक-1.—भारत सरकार एतद्द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन करती है जिसकी संरचना निम्नानुसार है :—

अध्यक्ष

(1) श्री सुमतीन्द्र नाडिग, अध्यक्ष
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

सदस्य

(2) श्री एन. एम. मलवाड, पुस्तकाध्यक्ष
भारतीय विज्ञान संस्थान,
बंगलौर

(3) श्री आर. भट्टाचार्जी, निदेशक
राजाराम मोहनराय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता

(4) श्री एच. के. कौल, निदेशक
दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क,
इंडिया इन्टरनेशनल सेन्टर,
दिल्ली

(5) सुश्री हुमेरा अहमद
निदेशक (पुस्तकालय)
संस्कृति विभाग

सदस्य-सचिव

(6) श्रीमती कल्पना दास गुप्ता
निदेशक (केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार)

2. समूह के विचारणीय विषय निम्नानुसार हैं:—

— देश में विभिन्न पुस्तकालयों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए सिफारिशें करना यथा :—

सार्वजनिक पुस्तकालय,
संस्थागत पुस्तकालय
सरकारी विभागों के पुस्तकालय

— संसाधन जुटाने और भारत सरकार से एकमुश्त अनुदान के लिए कार्यनीति निरूपित करना।

3. समिति के सदस्यों को समिति के कार्यकाल के दौरान केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारियों को यथा स्वीकार्य यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

4. समिति इस अधिसूचना के जारी होने के 4 सप्ताहों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

कस्तूरी गुप्ता मेनन
संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 1997

लिपिक श्रेणी विभागीय परीक्षा केवल समूह "घ" कर्मचारियों के लिए, 1997

नियम

सं. 9/3/97-के. से. 2—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) ग्रेड-6 के अवर श्रेणी ग्रेड, संसदीय कार्य विभाग में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में नियमित रूप से नियुक्त ग्रुप "घ" कर्मचारियों के लिए आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1997 में ली जाने वाली क्लर्क ग्रेड परीक्षा (समूह "घ" कर्मचारी), 1997 अर्हक परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ।

जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रविष्ट किए जाएंगे वे निम्नलिखित सेवाओं की रिक्तियों के पात्र होंगे :—

(1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, यदि वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालय/कार्यालय में कार्य कर रहे हैं,

(2) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा यदि वे सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त हैं,

(3) भारतीय विदेश सेवा (ख का ग्रेड-6) यदि वे विदेश मंत्रालय या विदेश में इसके दूतावासों में नियुक्त हैं, और

(4) संसदीय कार्य मंत्रालय में अवर श्रेणी लिपिक के पदों में, यदि वे संसदीय कार्य विभाग में कार्यरत हैं ।

2. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या इस परीक्षा में प्रतिभागी प्रत्येक संवर्ग प्राधिकरणों द्वारा निश्चित की जाएंगी ।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों में परिशिष्ट में विहित विधि से किया जाएगा । किस तारीख और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी इसका निश्चय आयोग द्वारा किया जाएगा ।

4. कोई भी स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी ग्रुप (घ) कर्मचारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने का पात्र होगा :—

1. सेवा अवधि : (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/कार्यालयों में अथवा (2) सशस्त्र सेना मुख्यालयों अथवा सेवा संगठनों अथवा (3) विदेश मंत्रालय/विदेशों में इसके दूतावासों अथवा (4) संसदीय कार्य विभाग में ग्रुप "घ" कर्मचारी के रूप में अथवा किसी उच्चतर ग्रेड में 1-8-1997 को कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा की हो ।

टिप्पणी : 1: यदि किसी अभ्यर्थी की कुल गणनीय सेवा आंशिक रूप से किसी मंत्रालय या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा वाले किसी कार्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा वाले कार्यालय या विदेश मंत्रालय और इसके विदेश स्थित दूतावासों या संसदीय कार्य विभाग में श्रेणी "घ" कर्मचारी के रूप में और आंशिक रूप से अवर श्रेणी लिपिक (तदर्थ) के पद पर हों तो भी पांच वर्ष की अनुमोदित और नियमित सेवा की सीमा लागू होगी ।

टिप्पणी : 2 : जो ग्रुप "घ" कर्मचारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।

2. आयु : वह 1-8-1997 को 50 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए अर्थात् 2-8-1947 से पहले उसका जन्म न हुआ हो । यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है, तो उपर्युक्त निर्धारित आयु सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

ऊपर बतायी गयी स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।

3 शैक्षणिक अर्हता : भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अंत में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता है, वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय अवश्य पास होनी चाहिए ।

टिप्पणी : 1 : यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसको पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा है, वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी : 2 : कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है, केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया है, कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है।

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में किसी अन्य प्रकार का दुर्व्यवहार करना, अथवा

(9) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पांडुलिपि में अश्लील भाषा अथवा अश्लील सामग्री भी शामिल है; या

(10) परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से प्रश्न पुस्तिका उत्तर पत्रक ले गया हो या इसे किसी अनधिकृत व्यक्ति को दिया हो, अथवा

(11) परीक्षाओं के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान करना अथवा शारीरिक क्षति/चोट पहुंचाना, या

(12) उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति संबंधी उनके प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अन्य आदेश का उल्लंघन करना, अथवा

(13) पूर्व उक्त धाराओं में उल्लिखित सभी अथवा कोई एक आचरण करने का प्रयास करना अथवा यथाशक्ति उसको अभिप्रेरित करना।

फौजदारी मुकदमें का भागी होने के अतिरिक्त उस पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकती है—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

9. परीक्षा के बाद, आयोग प्रत्येक संबंधित संवर्ग प्राधिकारी को इस परीक्षा में भाग लेने वाले उन उम्मीदवारों के नामों की अलग से सिफारिश करेगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए अर्हक मानक प्राप्त करेंगे। उन उम्मीदवार के नाम जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, उनका नाम एकल सूची में उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनके मूल "घ" पदों में रखा जाएगा। उच्च श्रेणी में पद धारण करने वाले कर्मचारी निम्न श्रेणी के कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे। संवर्ग प्राधिकारी अपने द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार भरी जाने वाली निर्णित की गयी रिक्तियों पर उनको नियुक्ति करने के कदम उठाएंगे।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारियों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हों। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित चिकित्सा परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की चिकित्सा की परीक्षा की जाएगी जिनके बारे में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

टिप्पणी : विकलांग भूतपूर्व रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवाओं के सैन्य विघटन चिकित्सा बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र नियुक्ति के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

11. इस परीणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग/राजभाषा विभाग के अधीन हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा की गयी अंग्रेजी या हिन्दी की कोई आवर्ती टंकण परीक्षा पहले ही पास न की हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकार द्वारा संचालित अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से ऐसी परीक्षा पास करेगा । ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएंगी ।

दृष्टिगत विकलांग अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में 300 और हिन्दी में 250 शब्द टंकण के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा ।

यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि में उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसे अवर श्रेणी लिपिकीय ग्रेड में नियुक्त करने से पूर्व मूल नियुक्ति पर अथवा अस्थायी पद पर लौटा दिया जाएगा ।

टिप्पणी : परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्त जिस उम्मीदवार ने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास की हो या जो अपनी नियुक्ति के 6 मास के भीतर टंकण परीक्षा पास कर लेगा उसे पहली वेतनवृद्धि एक वर्ष के बजाय छ: महीने के बाद ही दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा ।

12. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने के बाद अथवा परीक्षा में बैठने के बाद अपने ग्रुप "ग" पद की नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा/और किसी कारणवश नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे संबंध विच्छेद कर लेता है अथवा उसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा वह किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा किसी अन्य सेवा में स्थानान्तरण पर नियुक्त हो जाता है और ग्रुप "घ" पद पर उसका पुन: ग्रहणाधिकार नहीं रहता है तो वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह शर्त उस ग्रुप "घ" कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी, जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है ।

एम. एस. धीमन
अवर सचिव

परिशिष्ट

यह परीक्षा निम्न प्रकार से संचालित की जाएगी :—

परीक्षा के लिए विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

प्रश्न पत्र सं०		विषय	पूर्णांक		दिया गया समय
I		निबन्ध	100		1½ घण्टा
II	(क)	भाषा (सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिन्दी) एवं	50	100	2 घण्टा
	(ख)	सामान्य ज्ञान	50		

2. परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दर्शाया गया है ।

टिप्पणी-1 : अभ्यर्थियों को दोनों प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने का विकल्प होगा । विकल्प दोनों प्रश्नपत्रों के लिए होगा, एक प्रश्नपत्र के लिए नहीं । प्रश्नपत्र अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में मुद्रित किए जाएंगे ।

टिप्पणी 2 : जो अभ्यर्थी प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरीलिपि) में देने का विकल्प देना चाहते हों, वे आवेदन पत्र के कालम 10 में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें अन्यथा यह माना जाएगा कि वे प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देना चाहते हैं ।

टिप्पणी-3 : एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा तथा साधारणतया विकल्प में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी-4 : अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प के अलावा किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखने पर अभ्यर्थी को शून्य अंक दिए जाएंगे ।

टिप्पणी-5 : दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों को दोनों ही प्रश्नपत्रों में आधा घंटा अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।

3. अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र के उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थितियों में उत्तर लिखने के लिए उन्हें किसी अन्य प्रकार से सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी । दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को प्रश्नपत्र ब्रेल लिपि में दिया जाएगा ।

4. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है ।

5. केवल सतही/बहुनियामी ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे ।

6. अस्पष्ट लिखावट के लिए 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे ।

परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में प्रभावपूर्ण ढंग से ठीक-ठीक की गयी अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाएगा ।

अनुसूची

पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र-1

निबंध :

दिए गए कई विषयों में से किसी एक पर 400 से 500 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा ।

प्रश्न पत्र-2

भाषा (सामान्य अंग्रेजी/सामान्य हिन्दी) एवं सामान्य ज्ञान

उम्मीदवारों को साधारण वाक्य रचना व्यावहारिक व्याकरण तथा प्रारम्भिक सारणीय (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी के रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की योग्यता जांचने के लिए) में परीक्षा ली जाएगी ।

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव, जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो, आशा की जा सकती है । इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे ।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 21st July 1997

No. 27-Pers/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Assam :—

Name and Rank of the Officer

Shri M. C. Borah
Dy. Supdt. of Police,
Headquarters,
Distt. : Sonitpur.

Shri M. C. Borah,
S.I. Police,
Distt. : Sonitpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the late night of 10-6-1995, Supdt. of Police, Sonitpur received information from one Shri Anil Saraf that his brother Ravi Saraf was kidnapped by six unknown miscreants alongwith a brief case containing Rs. 35,000/- and fled towards the jungles. They also demanded a ransom of Rs. 30 lakhs for the release of Ravi Saraf. On 12-6-1995, on the basis of the clues, DCP, Tezpur and his party arrested two associates of the criminals, who kidnapped the person. On further interrogation, they disclosed certain vital information. Following the clues given by them, Sh. J. C. Barman, Dy. S.P. (HQ) alongwith SI Shri M. C. Borah with a posse of armed force, searched the forest area on 13-6-95 for more than five hours. They spotted a small hutment on the top of a hillock. Shri Barman immediately alerted the force personnel and cordoned the area. Shri Barman led the police party and suddenly they came face to face with armed sentry at the hideout. Without loss of time, Shri Barman jumped over the armed sentry by opening fire from his carbine and caught him alongwith a loaded .12 bore gun. In the meanwhile, Shri Mahesh Borah caught another extremist, who was stunned by the sudden attack. However, the remaining extremists escaped under the cover of darkness and thick jungle. Thus Shri Barman and party rescued the abducted person and also portion of the looted money. The arrested extremists were cadres of Bodo Liberation Tiger Force. They were involved in a number of cases of extortion and murder. One .12 bore gun loaded with long range ammunition was recovered.

In this encounter Shri J. C. Barman, Dy. Supdt. of Police, and Shri M. C. Borah, Sub Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10th June, 1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 28-Pers/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Bihar :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dwarika Paul,
S.I. of Police,
Officer-in-Charge,
P.S. Bhadaur,
Distt. : Bhagalpur.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :

On 18-7-1995 at about 7.00 PM, information was received that kidnappers of one Shri Lootan Sao, who was kidnapped on the intervening night of 17/18th July, 1995 were hiding in village Prahladpur. S.I. Dwarika Paul, Officer-in-Charge, P. S. Bhadaur, immediately constituted a raiding party and reached the place of hide-out at 4.00 P.M. On reaching there they came to known that the kidnappers had left for village Rampur. The Police party rushed there and cordoned the house of one Mahto where the kidnappers were hiding alongwith the kidnapped person. As the police personnel took position, the criminals opened indiscriminate firing from inside the house. Immediately Shri Dwarika Paul, alongwith other police personnels moved into the house and challenged them to surrender. He also directed the other party personnel to return the fire in self defence. When Shri Paul entered the house, the bullets pierced into his abdomn and he was seriously injured. Despite his injuries, he opened fire from his revolver to pressurise the criminals. Other police personnel also fired on the criminals. Finding themselves face to face with determined policemen, the criminals lost their nerves and tried to run away, leaving the kidnapped person. The police personnel gave a hot chase and caught hold three of them. However the remaining criminals managed to escape. The injured SI Shri Dwarika Paul, alongwith other police personnels moved into the house ment. The arrested criminals were later identified as (1) Arvind Kumar; (2) Ram Bilash Yadav (3) Jada Nand Mahto. During search one country-made pistol with large number of live cartridges were recovered from the scene. All the gang members were involved in large number of heinous crimes and other sensational crimes.

In this encounter Shri Dwarika Paul, Sub Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and under rule 5, with effect from 18th July, 1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 29-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Bihar :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ram Kirpal Sharma,
Sub-Inspector of Police,
Officer-in-Charge, Ramgarh.

Shri Sunil Kumar,
Sub-Inspector of Police,
Mohania.

Shri Baleswar Paswan,
Havildar,
Police Line, Bhabhua.

Shri Haridwar Sharma,
Havildar,
D.A.P., Bhabhua.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 13th March, 1994, Shri S. K.Singhal, S.P. received specific information about the presence of 8-9 gangsters in a village. The S.P. alongwith the available force rushed to the spot and divided the police force in two parties each headed by S.P. and S.D.P.O. One entering the suspected house, SDPO and his party were fired from inside. When the police asked them to surrender, one criminal came out and shot at the SDPO but the shot was missed, The return fire of SDPO joined by Havildar Baleswar Paswan killed the criminal. The other criminals under the firing cover were chased by the party led by S.P. and took cover in a near-by village. After arrival of re-inforcement, the villagers were requested to assemble where it was disclosed to the S.P. that some criminals might be hiding in a house. There upon, the S.P. directed to encircle the house. While, SDPO and his party consisting of three SIs started search from one side, another party consisting of one Inspector and SI Ram Kirpal Sharma SI Sunil Kumar alongwith two HGs started search from another side. When the latter party attempted to enter the house, they were fired upon by the criminals from two different sides resulting in death of one HG and bullet injury to Sunil Kumar S.I. who also quickly returned the fire from his service revolver. Shri Ram Kirpal Sharma, SI and the only HG continuously fired at the criminals covering the retreat of Sunil Kumar, SI and other police officers had found themselves suddently surrounded. To tighten the grip, the SP and his party ensured further encirclement of the village and forced the three armed criminals to flee to the other end of the village. In their chase, Hav. Baleswar Paswan rapidly returned the fire and one criminal was shot down by Havildar Haridwar Sharma and S.I. Ram Kirpal Sharma. The remaining criminal was also killed in exchange of fire. Out of the four dead criminals, 3 were identified as Ramsingh Kamkar, Triveni Koari and Ram Dayal Koari and the 4th criminal could not be identified. The following arms and ammunition were recovered :—

(i) One 315 bore Rifle and one DBBL Gun.

(ii) One semi-automatic Mouser riffle and some live cartridges.

(iii) Four DBBL Guns alongwith live cartridges (subsequent seizures by S.I. R. K. Sharma).

In this encounter S/Shri Ram Kirpal Sharma, Sunil Kumar, Sub-Inspector, Baleswar Paswan & Haridwar Sharma Havildars displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th March 1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 30-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of NCT of Delhi :—

Name and Rank of the Officer

Shri Kartar Singh
Head Constable (Now ASI)
East District.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 15-7-95 one Shri Jitender of Tilak Nagar, Delhi lodged a report against Ram Pal who threatened to kill Jitender. A case was registered and the same was handed over to Rajbir Singh, Inspector. During investigation the registration number/details of the white maruti car used by Ram Pal were collected. Again on 19-7-95 Shri Jitender received threatenings from Ram Pal. After discussing the situation with DCP (WEST), four police teams comprising of 16 police personnel were constituted. Team one comprised of Shri Deepak Mishra, DCP. L. N. Rao, ACP and others, Second team comprised of Rajbir Singh, Inspector and H. C. Kartar Singh and others, Third team comprising of Mohan Chand, S.I. and H. C. Rakesh and Fourth team comprising of H. C. Jai Kishan and others police constables. As per planning, second team kept a constant vigil on the house of Jitender and other 3 teams were kept standby. Around 2.00 P.M. Shri Rajbir Singh (Team 2) spotted the white car near the house of Jitender and asked it to stop but the car managed to escape. This news was flashed to the rest of the 3 parties. Shri Rajbir Singh chased the car and also continuously informed other parties about its directions. The car after crossing Delhi border, ultimately reached Faridabad and stopped in front of Rajendra Motors. Two persons including Ram Pal got down from the car and simultaneously all the parties besieged the spot. DCP (West) asked them to surrender who instead opened fire on the advancing second team as a result of which HC Kartar Singh received a bullet injury on his right arm. Thereafter DCP (West) ordered all the teams to take position and to return the fire. When firing ceased from desparados side, dead bodies of Ram Pal and his associate Naresh were found. One Pistol, empty cartridges, one extra loaded magazine and one revolver were recovered from the spot.

In this encounter Shri Kartar Singh, Head Constable (Now ASI) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rules, with effect from the 15th July, 1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 31-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of NCT of Delhi :—

Name and Rank of the Officer

Shri OM Prakash (Posthumous)
Head Constable

Statement of services for which the decoration has been awarded :

Shri Om Prakash, Head Constable and Shri Umed Singh were detailed to arrest Chander Mohan, a wanted criminal. On 12-6-96, they reached Vill. : Sara (Indora) on a Scooter at about 7.30 P.M. After ascertaining the whereabouts of the criminal from an informer Shri Om Prakash alone proceeded towards the hide-out to verify the presence of wanted criminal in a Thani of Indora. After crossing a Nullah, he went from the upper side of the hill and on reaching the spot he noticed that two persons were coming there at a short distance. One of them was Chander Mohan Pandit and the other was Manjeet. He decided to tackle both and

pin them down. Before Shri Om Prakash could draw his weapon, he was shot twice by Chander Mohan killing him instantaneously. But before he could make his move, he was challunged by Manjeet Singh who grapped with him and succeeded in pinning down. Later on, the police arrested Manjeet Singh but Chander Mohan managed to escape. Shri Om Prakash showed a supreme sacrifice in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter Shri Om Prakash, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th June, 1996.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 32-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Gujarat :—

Name and Rank of the Officer

Shri V. J. Jhala (Posthumous)
Constable
P. S. Naranpura
Distt. Ahmedabad.

Shri A. G. Bhunetar
Constable
P.S. Naranpura
Distt : Ahmedabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 10-5-1996, S/Shri V. J. Jhala and A. G. Bhunetar, Constables left P.S. Naranpura in connection with the investigation of a case. When they reached near Usmanpura Garden, they noticed a man snatching a chain from a lady and was trying to escape on a motor cycle on which another man was sitting. Thereafter, S/Shri Jhala and Bhunetar chased them on their scooter. When they reached near the robbers, the motor-cycle rider dashed the motor-cycle against the scooter as a result of which both the police personnel fell down. Shri Jhala immediately jumped on them and tried to catch hold of one of the robbers but the robber took out a knife and stabbed Shri Jhala and he fell down. In the meantime, Shri Bhunetar caught hold of the second robber but he stabbed on the right hand of Shri Bhunetar. Shri Bhunetar managed to snatch the knife from his hand. Despite the injuries and bleeding, Shri Bhunetar did not allow the robber to escape. He bravely held him till the public gathered there, took the robber to Naranpur Police Station. However, the other robber managed to escape. Thereafter Shri Bhunetar shifted Shri Jhala to a nearby Hospital but he later on succumed to his injuries. The arrested robber was identified as Shaizkhan Akbarkhan Pathan of Ahmedabad.

In this encounter Shri V. J. Jhala and Shri A. G. Bhunetar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with in the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th May, 1996.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President

No. 33-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Jammu & Kashmir :—

Name and Rank of the Officer

Shri J. P. Singh,
Supdt. of Police,
Anantnag

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17-2-1995, when Shri J. P. Singh, Supdt. of Police was on a routine patrol duty with a small contingent of SOG personnel, a group of militants ambushed the party near village Hanji Danter Anantnag. The militants fired indiscriminately with automatic weapons from all sides. The SOG party while chasing the militants, laid a cordon around a house. The officer tactfully managed to bring out the civilian and other inmates from the house and asked the hold up militants to surrender. But the militants showered volly of fire from their hiding place. Sensing the danger to the Civilian and own troops, Shri Singh crawled to the back of the house and stormed the house alongwith two jawans. A close quarter battle ensued in which one militant was eliminated in the kitchen of the house while his associates were continuously firing from the first floor of the house. Shri Singh ordered his men to keep the militants engaged. In the meantime, he climbed up the stairs continuously and targetted one militant without giving him a chance to fire. The other militant threw a grenade at him which hit the wall where the officer had taken position and exploded a few inches away from Shri Singh. Due to explosion, the militant could not see Shri Singh and assuming him to be dead, he moved, took shelter forcibly in the house of one Gh. Hassan Dar and kept on firing indiscriminately with automatic weapons on the police party. Shri Singh targetted the militant and eliminated him, and killed him on the spot. During the exchange of fire the house caught fire. Another militant could not come out of the house and got killed. In all, 3 militants were killed in the encounter, one Sartej Khalid, self-styled Distt. Commander of banned militant outfit Jamait-ul-Mujahideen & 2 others were his associates viz. Bashir & Showkat Ahmad. From the scene of encounter a huge quantity of arms & ammunition was recovered including 3 AK-56 rifles, 9 Magazines, 01 wireless set.

In this encounter Shri J. P. Singh, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th December, 1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 34-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Jammu & Kashmir :—

Name and Rank of the Officer

Shuri Dost Mohd. (*Posthumous*)
SG Constable,
Srinagar

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25th October, 1995 SPG of Jammu & Kashmir Police, Srinagar received a reliable information that two militants namely Umer Bahi and Chand Bhai belonging to Harkat-ul-Ansar militant organisation were hiding in a hideout in Magnipura Vill, Disrtict Baramulla. Immediately a team of special operation Group assisted by CRPF was deputed to encircle the target hideout. The raiding party successfully encircled the house but meanwhile militants also got alert. Constable Dost Mohd. was in front ranks of the raiding party which broke into the hideout. While the Police party was breaking into the hideout, one of the militants hiding there suddenly came out of his hiding place and opened fire on Shri Jalla, who was leading the raiding party at that time. Shri Mohd who was accompanying Shri Jalla, pushed his officer aside and acting as human shield fired back on the militant at close range killing him on spot. In this injuries Shri Jalla after extricating the body of his deceased colleague from the hideout, regrouped his sources and attacked on the hideout. The second militant who had been evading the dragnet of security

force engaged the group in a fierce encounter. Meanwhile the associates of the trapped militants who were present in the surrounding villages also opened the fire in order to divert the attention of the raiding party and to help their trapped associates to escape. Without caring for his personal security, Shri Jalla went from post to post and person to person to ensure that the cordon around the hideout remain intact. As the hideout was cemented house, it was difficult to break it. Therefore, Army expertise was sought to destroy the hideout with the help of rockets. A large number of rockets were fired on the building. The militant hiding there survived and kept on firing as well as by throwing granades. On seeing this situation Shri Jalla decided to charge the hideout and flush the militants personally. He alongwith his group charged the house and killed the hold up militant inside after a fierce encounter, which resulted in the killing of both militants. 2 AK Rifles alongwith magazines, puches and large quantity of ammunition were recovered when the hideout was destroyed.

In this encounter Shri Dost Mohd., SG Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th October, 1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 35-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Jammu & Kashmir :—

Name and Rank of the Officer

Shri R. K. Jalla,
Dy. Supdt. of Police,
Srinagar

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25th October, 1995 SPG of J & K Police, Srinagar received a reliable information that two militants namely Umer Bhai and Chand Bhai belonging to Harkat-ul-Ansar militant organisation were hiding in a hideout in Magnipura Village, District Baramulla. Immediately a team of special operation Group assisted by CRPF was deputed to encircle the target hideout. The raiding party successfully encircled the house but meanwhile militants also got alerted. Constable Dost Mohd. was in front ranks of the raiding party which broke into the hideout. While the Police party which broke into the hideout. While the Police party was breaking into the hideout, one of the militants hiding there suddenly came out of his hiding place and opened fire on Shri Jalla, who was leading the raiding party at that time. Shri Mohd. who was accompanying Shri Jalla, pushed his officer aside and acting as human shield fired back on the militant at close range killing him on spot. In this action he was also hit by bullets and succumbed to his injuries. Shri Jalla after extricating the body of his deceased collegue from the hideout, regrouped his sources and attacked on the hideout. The second militant who had been evading the dragnet of security force engaged the group in a fierce encounter. Meanwhile the associates of the trapped militants who were present in a surrounding villages also opened the fire in order to divert the attention of the raiding party and to help their trapped associates to escape. Without caring for his personal security, Shri Jalla went from post to post and person to person to ensure that the cordon around the hideout remain intact. As the hideout was a cemented house, it was difficult to break it. Therefore, Army expertize was sought to destroy the hide-out with the help of rockets. A large number of rockets were fired on the building. The militant hiding there survived and kept on firing as well as by throwing grenades. On seeing this situation Shri Jalla decided to charge the hideout and flush the militants personally. He alongwith his group charge the house and killed the hold up militant inside after a fierce encounter, which resulted in the killing of both militants. 2 AK Rifles alongwith magazines, puches and large quantity of ammunition were recovered when the hideout was destroyed.

In this encounter Shri R. K. Jalla, Dy. Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th October, 1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 36-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Jammu & Kashmir :—

Name and Rank of the Officer

Shri Shamsher Singh Parihar,
Sub-Inspector,
Jammu.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17-10-1994, Shri S. S. Parihar, received reliable information that some terrorists who were demanding ransom from Shri S. S. Johar, through telephone calls had planned to strike in his house. Immediately, Police decided to trap them and also to foil the designs of the terrorists. A Police party headed by Shri Parihar laid ambush near the house of Shri Johar for 2 days. On 19-10-1994 around about 0630 hours three terrorists armed with Mousars entered in the lawn of the house. They were challanged by the Police party to surrender but they did not give up their arms and in pretention, they resorted to firing and also lobbed grenades. In retaliation the Police party also fired several shots from AK-56 Rifle. In the meanwhile the terrorists lobbed grenades as a result, Shri Johar, his wife and all the three police officials received injuries. Despite being seriously injured, Shri Parihar retaliated the fire and succeeded in seriously injuring dreaded terrorists and Chief of Khalistan Zindabad force, Jasbir Singh a doctor who later on succumbed to his injuries. As a result of firing by the Police party other two terrorists also received injuries who however managed to escape.

In this encounter Shri Shamsher Singh Parihar, Sub-Inspector, Jammu displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 17th October, 1994.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 37-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Jammu & Kashmir :—

Name and Rank of the Officers

Shri M. H. Shah,
Constable.
Jammu & Kashmir

Shri Fateh Mohammad,
Constable,
Jammu & Kashmir

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-9-1994 at about 0310 hrs, a group of terrorists attacked and surrounded the Police post Gota and challanged and warned the Police personnel to hand over the Arms and ammunition. Shri M. H. Shah, Constable who was performing sentry duty on the P. P. was compelled by militants to open the door. They threatened him with dire consequences but Shri Shah did not care for their threats. The number of militants was very large and they could easily destroy the Police Post. The Police personnel had been badly trapped in Kachha rooms without light and surrounded by maize crop. Inspite of the above heavy odds, Shri Shah challenged the terrorists, but they started firing indiscriminately and lobbed hand grenades inside the P. P. The firing between Police party and militant continued for one hour and forty minutes and militants lobbed two grenades inside the police post. Shri Fateh Mohd., Constable who was also present on Special Duty joined the sentries, retaliated and gave a heroic fight to the militants. During encounter, Shri Shah & Fateh Mohd. received grievous injuries. On facing the rough resistence from the Police, the terrorists took to their heels and did not succeed in looting the arms and ammunition.

In this encounter S/Shri M. H. Shah and Fateh Mohammad, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th September, 1994.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 38-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Kerala :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. Vijayan, (*Posthumous*)
Constable,
Thiruvananthapuram

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10-7-1996, a police party consisting of one Head Constable, two Constables (including Shri Vijayan) and one Havildar was on patrol duty near the area of over-bridge Thampanoor. The team commander received information around 10.15 P.M. that a gang of five persons was trying to commit dacoity at knife point on the northern side of Kripa Theatre. The police party immediately rushed to the spot. As they reached near the railway bridge. Constable Vijayan who was in the fore-front, found that some persons were trying to rob one person. Shri Vijayan without caring for his personal safety, challenged them and tried to apprehend one of the criminals. Simultaneously he tried to rescue the victim. Suddenly one of the assailants took out a knife and stabbed Shri Vijayan on the left side of his chest. When the other police personnel reached the spot, the criminals fled-away. Shri Vijayan was immediately rushed to Medical College Hospital, Thiruvananthapuram but he later succumbed to his injuries. Shri Vijayan made a supreme sacrifice in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter Shri S. Vijayan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th July, 1996.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 39-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Maharashtra :—

Name and Rank of the Officers

Smt. Mirudula M. Lad,
Sub-Inspector,

Shri Abhimanyu M. Pathe,
Constable,

Shri Anant B. Chavan,
Constable,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

While on protection duty for one Mr. Vikas Oberoi on 11-1-1996, Constable Pathe spotted a Maruti Car carrying four occupants in a suspicious manner. Immediately, he informed the nearby police picket headed by W.S.I. Lad. For further investigation, Constable Pathe and two others in a private car proceeded towards the suspected car joined by S. I. Lad and Constable A. B. Chavan and Constable Driver S. P. Chavan in another Jeep. Sensing the police chase, the suspected occupants reversed the direction of their car at a high speed. To prevent their escape, Const./Driver Chavan rammed their jeep in the said maruti car. The four suspects abondoned the car and started running. At this juncture, S. I. Lad and Constable A Chavan challenged the suspects to surrender. Instead, one of the accused i.e. Kishore Dagadu Aware attacked Constable A. Chavan with knife who despite his injury continued grappling with him. S. I. Lad and Constable Chavan, after a scuffle, ultimately overpowered and disarmed the accused. Constable Pathe and two other associates chased the other three suspects. To keep the chasing party away, one of these suspects who was later on apprehended by S. I. Lad and others. The remaining two suspects finding no way took out their revolvers but before they could fire, Constable Pathe quickly fired and wounded one, who fell on the spot. The fourth suspect was apprehended by two civilian associates of Constable Pathe who was handed over to S. I. Lad and her team. The three suspects were later on identified as Akash alias D. K. Rao and Rajesh Shantaram Gore. A knife, choper, revolver, country made revolver alongwith live cartridges were recovered from the criminals.

In this encounter Smt. Mrudula M. Lad, Sub-Inspector, S/Shri A. M. Pathe and A. B. Chavan, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 11th January, 1996.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 40-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Madhya Pradesh :—

Name and Rank of the Officer

Shri N. S. Chandrawat, (*Posthumous*)
Inspector

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-2-96, Inspector Chandrawat received information about a group clash. Reacting quickly, he organised a police party comprising of two SIs & others. On reaching the spot,

the police party found that a notorious gangster Gope and his accomplices fighting with Raj Kumar, a pan vendor. Seeing the Police, Gope asked his accomplices to kill the police personnel with pistol. Inspector Chandrawat and his party challenged the gangsters and went ahead to arrest them. Gope sped away in the car while his accomplices ran another side. The police party chased them and an accomplice Ramesh took out a country made pistol and threatened the police that they would be killed if they chased them. Without caring for the threats Chandrawat who was in front caught Ramesh. Then Ramesh fired from the pistol which caused serious injury to Chandrawat. Despite his injury, he did not let off the accused till the other staff reached to apprehend him. Inspector Chandrawat succumbed to his injuries while other criminals managed to escape. A country made revolver was recovered from the criminal.

In this encounter Shri N. S. Chandrawat, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th February, 1996.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 41-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Manipur :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ch. Ibohal Singh, (*Posthumous*)
Rifleman,
6 Bn., Manipur Rifles,
Distt. Imphal

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 27th January, 1996, at about 3.00 hours an armed group of extremists intruded into a power-house and attacked the 6th Battalion, Manipur Rifles located at Village Yaiinganangpokpi, P.Ss. Lamlai, Distt, Imphal with automatic weapons from different directions. The post personnel immediately, returned the fire in self defence. The sentry posted at the rear of the post noticed the advancing of the extremists and challenged them. But the extremists opened fire upon the sentry which was promptly returned by the Sentry. When the Sentry alerted their colleagues, Rifleman Ch. Ibohal Singh immediately got out of the barracks alongwith others, took position and started firing at the extremists. His firing kept the extremists at bay. He checked the advancing of the extremists and injurred one of them. Due to the accurate firing of Post personnel, the extremists could not advance further. Rifleman Ibohal Singh and other personnel kept on fighting and saved their post. While retreating alongwith their injured associate, the extremists opened brust fire from different directions towards Rifleman Ibohal Singh. Unfortunately one of the bullets hit Shri Singh on his fore-head and he died on the spot. Thus Shri Singh put up a determined fight against the extremists till his last breath and saved his colleagues from the insurgents.

In this encounter Shri Ch. Ibohal Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under 5, with effect from the 27th January, 1996.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 42-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Meghalaya :—

Name and Rank of the Officer

Shri Pobon Bordoloi, (*Posthumous*)
Lance Naik,
2nd Battalion, MLP
Georage, Meghalaya

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-6-1995, the information was received that a deal for selling of arms to HALC (an under-ground outfit) was arranged in the complex of State Central Library premises at Shillong. A special operation group of D.E.F. supported by a special operation team was detailed inside the library to apprehend the members of the underground outfit. At about 9.00 PM, one local taxi entered the Library premises and after dropping two ladies and a man in front of the Library went towards the backside of the Library with two occupants. In the meantime, one Sub-Inspector of Special Operation Group who was disguised as arms dealer also came in a taxi driven by himself and gave the signal to the police personnel as planned. On receipt of the signal the police personnel charged and arrested both the ladies and the man who were waiting in front of the Library. Lance Naik Pobon Bordoloi of Special Operation Team after noting the signal, ran towards the Taxi which was waiting there and asked one of the occupan who was sitting just near the driver to raise his hands and come out from the car. In the meantime other police personnel arrived at the spot and took position near the driver. The person who was asked to come out while pretending to do so fired one round from his pistol which hit the chest of L/NK Bordoloi and he succumbed to his injuries. After shooting, the assailant fled. Other police personnel chased the assailant and shot him dead. During search one 9 mm foreign-made pistol and about Rs. 1 lakh (in a polythene bag) were recovered from the dead HALC activist. The arrest HALC activists were identified as (i) Fairwell Wanwankhar; and (iv) Smt. Wanari Mukhim.

In this encounter Shri Pobon Bordoloi, Lance Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th June, 1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary

No. 43-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Nagaland :—

Name and Rank of the Officer

Shri T. C. Lotha,
A.S.I. of Police,
In-Charge Doyand,
Distt. Wokha

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 27-6-1995 at about 5 PM, ASI T. C. Lotha, In-Charge P. S. Doyang, Distt. Wokha alongwith two constables was checking vehicles about a missing maid servant. The ASI noted the vehicle of the employer of the maid servant and asked him to stop it. Suddenly one person came out of the vehicle and started abusing Shri Lotha and asked him under what authority he could stop the vehicle. He simultaneously took out a pistol and tried to hit him with pistol but Shri Lotha caught hold of his hand. During the scuffle, two shots were fired, one bullet grazed the right side of ASI Lotha. Despite the bullet grazed the

right side of ASI Lotha. Despite the bullet, injury, Shri Lotha fought with the miscreant. In the meantime, both the constables, came to his help and they snatched the pistol. While this was going on, the public gathered there. On seeing this, the miscreant tried to run away but he was over-powered by the public. During search one M .20 pistol with 6 live and 2 empty cartridges were recovered. The miscreant was later identified as hard-core U.G. viz. SS Major Ramkathing Tankhul of NSCN. He was involved in bank dacoity and ambushes and was responsible for killing a number of police and army personnel.

In this encounter Shri T. C. Lotha, A.S.I., of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th June, 1995.

G. B PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 44-Pers/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Nagaland/DG, CRPF :—

Name and Rank of the Officer

Shri A. Sholapurkar,
Second-in-Command,
43 Bn., CRPF, Dimapur.

Shri Lalita Rai,
Naik,
8 Bn., CRPF,
Dimapur

Shri Dikkam Bahadur,
Water-Carrier,
43 Bn., CRPF, Dimapur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 22-7-1995 at about 1830 hours Constable Megh Raj of 43 Bn., CRPF with his loaded SLR, two loaded magazines and two primed hand-grenades entered into the residence of Shri P. S. Rajora, Deputy Commandant, CRPF with some ulterior motives. As soon as he entered the house, he fired on W/C Dikkam Bahadur and shot him dead. Thereafter, he made hostage to Mrs. Rajora and her minor daughter at gun point, brandishing a primed hand grenade and came out of the house. He fired few shots to terrorise others and threatened to kill the hostages by exploding the grenade if anybody tried to stop him. On hearing about the incident Shri A. Sholapurker, 2-I/C rushed to the spot and appealed him to release both the hostages and engaged him in discussion and used pressure tactics to release the hostages un-conditionally. He succeeded in cooling down his tempers and consequently Ct. Megh Raj made the following demands :

1. Rs. 50,000/- cash
2. Two Maruty Gypsies with two unarmed Constables.
3. One Gypsy to be driven by Ct./Dvr R. G. Patil.
4. Shri A Sholapurkar, should accompany him for arranging safe passage to escape in another Gypsy.

He then warned that no security vehicle should follow him otherwise he would kill the hostages. The leading Gypsy was driven by Shri A. Sholapurkar alongwith two Constables. The rear Gypsy was driven by Ct./Dvr. R. G. Patil alongwith hostages and Ct. Megh Raj As they reached near Dimapur Stadium, Constable Megh Raj demanded food and water after getting it tasted by Shri Sholapurkar, which he willingly did.

At this point, Shri A. Guha Roy, DIG(Ops), CRPF reached there and without caring for his personal safety went towards Ct. Megh Raj and pleaded to release the hostages. Negotiations were made for more than two hours enroute at different places. After covering some distance Shri Roy made another try and became successful after a lot of pursuasion and made him agree to release the hostages. He demanded Shri Sholapurkar as hostage, as both belong to Karnataka State. Shri Roy knew that there are chances for Shri Sholapurkar to desert the vehicle on the way. Shri Sholapurkar became the hostage by putting his life into extreme danger so that both the innocent hostages, who were under great mental agony for nearly five hours, could be released.

Constable Megh Raj made Shri Sholapurkar to drive and threatened others not to follow him for safety of the hostage, they moved towards Guwahati. When the vehicle approached Bokajan Forest check-post, Shri Sholapurkar stopped the vehicle on the plea to make entry into the register at the check-post. Constable Megh Raj fell into the trap and permitted him to do the needful and positioned himself in front of the vehicle with his AK-47 Rifle pointing towards him. Shri Sholapurkar by taking calculated risk, moved beyond the check-post. Constable Megh Raj shouted at him to come back and on getting no response fired towards that direction. The officer immediately jumped on the right side of the road in a ditch and escaped. Sensing danger of being caught Ct. Megh Raj also leaped towards other side of the road and disappeared. Immediately, Shri Roy reached the spot and planned further operation to trace Shri Sholapurkar but he returned safe and sound.

On 23-7-1995 at about 0540 hours, Constable Megh Raj came to New Field check-post, Dimapur manned by personnel of 8 Bn., CRPF and caught Naik Lalita Rai from back-side. He showed a primed hand-grenade and threatened Naik Rai and demanded to vacate the area and also to call him Commanding Officer otherwsie he would kill him. Naik Rai took calculated risk and without caring for his personal safety, gave a powerful blow at the hand of Ct. Megh Raj, as a result of which the hand-grenade fell away and exploded. Naik Rai overpowered Ct. Megh Raj and threw him on the floor of the sentry post and shouted at others to kill him and shot him dead. All the arms/ammunition and money were recovered from the late Megh Raj.

In this encounter S/Shri A. Sholapurkar, Second-in-Command Lalita Rai, Naik and Dinkkam Bahadur, Water Carrier displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd July, 1995.

G. B. PRADHAN,
Jt. Secy. to the President

No. 45-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Punjab :

Name and Rank of the Officer

Shri Gurmeet Singh,
Sub-Inspector
Shri Pawan Kumar,
Constable

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 22nd December, 1995, after receiving specific information about the arrival of a notorious terrorist. Jagtar Singh Hawara, a police party headed by Dy. S. P. (Industrial Area) and Gurmeet Singh (now Inspector) were detailed to cordon the Bus Stand area of Jalandhar. At about 5.30 P.M., a young person under suspicious circumstances was spotted. On the signal of the informer S.I. Gurmeet Singh. Constable Pawan Kumar and others advanced to apprehend him. To escape the dragnet, the suspect whipped out the pistol and fired on the police party striking in the right leg of the constable. Jagtar Singh Hawara also received injury on his thigh due to the firing. Since he understood that he would be arrested by the Police, he tried to take some poisonous substance. But Constable Pawan Kumar undeterred, advanced, grappled and fell upon the suspect. S. I. Gurmeet Singh also joined in his fight and ultimately they pinned him down. The overpowered terrorist disclosed his identity as Jagtar Singh Hawara wanted in an assassination of a public figure. One Pistol alongwith live ammunition was seized from him. Further interrogation of the arrested suspect led to the apprehension of two more conspirators alongwith other co-accused and recovery of a large cache of arms and ammunition, explosive material, poisonous substance, a Scooter and Motor Cycle etc.

In this encounter S/Shri Gurmeet Singh, Sub-Inspector and Pawan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd December 1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 46-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Tamil Nadu :—

Name and Rank of the Officer

Shri T. Radhakrishnan,
DCP.
Adyar.

Shri V. Rosline Vethakon,
ACP,
Adyar Range.

Shri K. Periaiah,
ACP (LPC).
Saidapet P. S.

Shri P. Sakthivelu,
Inspector,
Saidapet P. S.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 24-9-1996, Shri J. Shaji lodged a report in a local Police Station about a ransom of Rs. 5.00 lakhs demanded by one Kabilan over telephone on 23-9-96 from Bangalore failing which he threatened to face dire consequences. Further, the criminal fixed up the venue for carrying out this and informed Shri Shaji. During investigation to take him in the dragnet, the Police instructed Shri Shaji to reach the venue with his cellular phone to give details about the arrival of the accused. At about 15.00 hrs, on 24-9-96. Shaji informed DCP Radhakrishnan that he was asked by Kabilan to change the venue as he suspectd movement of strangers. Shri T. Radhakrishnan immediately constituted nabbing parties consisting of 21 police personnel mainly headed by DCP himself, V. Rosline Vethakon, ACP, K. Periaiah, ACP, & P. Sakthivelu, Inspector and rest of the parties by other personnel. At about 15.40 hrs. the complainant reached the new place in his car. At about 16.00 hrs, the accused entered the new venue and parked his car parallel to the complainant. Shri Aadhakrishnan, DCP, alerted his fellow men. As earlier instructed Shri Shaji went ahead towards Kabilan to hand over the paper money who tried to drag him inside the car. On resistance and raising alarm for safety by Shaji, the culprit fired over him and caused bullet injury. The Police immediately came into action and advanced towards Kabilan and made his vehicle immobile. To prevent their advancement, Kabilan and his driver took out their weapons and started indiscriminate firing on the police from his pistol and revolver which was duly returned by Periaiah and Shakthivelu. In this encounter one cyclist was killed and A. C. Periaiah and others sustained injuries. To save further casualities Shri Radhakrishnan, DCP and his party returned the fire. In exchange DCP himself got injured. Since the area is very heavy congested and to prevent loss of innocent lives, DCP directed to return fire against Kabilan and his driver. On earning the car he found Kabilan succumbed to his bullet injuries and the driver was lingering for his life who also succumbed to the injuries. Two shot guns, two revolvers, one air pistol, one amm pistol, 2 long daggers and one cellular phone were recovered from the car of the accused.

In this encounter S/Shri T. Radhakrishnan, DCP, V. Rosline Vethakon, ACP, K. Periaiah, ACP (LPC) and P. Sakthivelu, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th September, 1996.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 47-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Government of Uttar Pradesh :

Name and Rank of the Officer

Shri Kishan Pal (*Posthumous*)
Constable,
P. S. Khathauli,
Distt : Muzaffarnagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 23-9-94 at about 7.30 a.m., Constable Har Pal Singh and Kishan Pal Singh received information about the presence of three suspected criminals in a welding shop. Before they could execute their plans, both the Constables though unarmed, proceeded towards the shop and found Ram Pal Gujjar and two others there. After disclosing their identity, they asked the criminals for search but the latter vehemantly opposed. The criminals started fleeing but they were chased by the police. To prevent them advancing, Rampal Gujjar and two other criminals whipped out their pistols and indiscriminately fired at the police constables resulting in bullet injury to Constable. Kishan Pal who died on the spot when the other constable Har Pal Singh had a narrow escape, the criminals managed to escape.

In this encounter Shri Krishan Pal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd September, 1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President.

No. 48-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Government of Uttar Pradesh:

Name and Rank of the Officer

Shri V. K. Gupta
S.S.P.,
Aligarh.

Shri Ram Bharose,
Addl. S. P.,
Aligarh.

Shri Jai Pal Singh,
C. O.,
Bannadevi.

Statement of services for which the decoration has been awarded:

On 15-9-95 at about 2.45 hrs. Shri V. K. Gupta, SSP received information about the presence of two kidnappers in village Banupura who had kidnapped two boys of Aligarh. He immediately directed other Police Officers to get ready and set out for the rescue operation with force alongwith one platoon of P.A.C. After reaching the outskirts of village Banupura, SSP left the vehicles, proceeded towards the hide out and devided the force in four parties. One party headed by himself and Shri Jai Pal Singh, CO, Bannadevi as second-in-command, Second party headed by Shri Jai Ram Das, S.P. (R.A.) to cordon from East, Third party headed by Shri A. N. Gupta, SHO, Bannadevi to cordon from South and Fourth party headed by Shri Ram Bharose, Addl. S.P. to provide cover from the North. Shri Gupta and his party started climbing on the adjoining roof where the armed kidnappers were present. Despite utmost precautions, the kidnappers observed the presence of Shri Gupta, SSP and Shri J. P. Singh, C.O., Bannadevi over there and opened volley of fire. Exchange of fire took place for sometime. Undaunted by the firing from miscreants, both the officers at grave risk advanced towards the criminals and fired back. Both the police officers fired one round each from their revolvers. Shri V. K. Gupta challenged the kidnappers to surrender but, instead, they reloaded their weapons. They also shot and threatened to kill the kidnapped boys, if any harm is done to them. Unmindful of the threat, Shri Gupta, SSP pounced upon one of the armed kidnappers and overpowered him after a scuffle. Similarly Shri J. P. Singh, also overpowered another armed kidnapper after a tough fighting. In the meantime worrying about indiscriminate firing from miscreants side on these officers, Shri Ram Bharose, Addl. SP forced his entry from the North. Without caring for their bullets, he caught hold of one of the armed kidnappers. Thereafter, one of the police personnel opened the main gate and rest of the force entered the premises. The dominating position of police compelled the other miscreants to rise but the police chased and arrested one whereas two managed to escape. The encounter ended with the recovery of two hostages arrest of four criminals with one factory made SBBL Gun, One country made Rifle, two country made Pistols with cartridges.

In this encounter S/Shri V. K. Gupta, SSP, Ram Bharose, Addl. SP, Jaipal Singh, C.O. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th September, 1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 49-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Industrial Security Force:

Name and Rank of the Officer

Shri P. Sudarshanan (*Posthumous*)
Naik,
CISF Unit, DHEP
Doyang, Nagaland.

Statement of services for which the decoration has been awarded:

On 2-12-1995, a CISF convoy consisting of 23 personnel in three vehicles (including SI R. S. Lingappa, HC R. N. Goud and Naik P. Sudarshanan) were returning from State Bank of India branch at Wokha to CISF Unit, DHEP Doyang with Rs. 5.6 lakhs, monthly salary of the Unit. SI Lingappa was in the second vehicle with cash, the vhicle was driven HC Goud. About 5 kms from Wokha on the densely forested hilly road, as the convey entered a horse-shoe bent in the road, it was amushed by NSCN militants, who opened heavy fire with automatic weapons. But all the 6 CISF personnel in the leading vehicle died on the spot. The second vehicle also came under heavy fire and militants lobbed a grenade on the vehicle. Shri Lingappa sustained bullet injury in his right leg and Shri Goud was also injured and the brake system of the vehicle was knocked out. Inspite of this HC/Driver Goud tactfully over-took the first vehicle and brought the vehicle out of firing range of the extremists. He stopped the vehicle by dashing it against a road side parapat. Shri Lingappa though seriously injured on the leg, picked up the bag containing cash got out of the vehicle and took cover in the adjoining forest. Shri Goud collected the weapons from the dead personnel and took cover in the hilly terrain.

In the meanwhile, Naik Sudarshanan, who was travelling in the third vehicle, alongwith other party personnel got down from the vehicle, took position and opened fire on the militants. The militants shifted their attack on the third vehicle when they noticed the CISF personnel returning fire effectively. Naik Sudarshanan came out of his safe position and started firing from behind the vehicle in order to knock out the LMG position of the militants. His determined action kept the militants at bay but the militants attacked Naik Sudarshanan from another side and he received a fatal burst of automatic fire in his chest and died on the spot. Thus Naik Sudarshanan laid down his life in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter Shri P. Sudarshanan, Naik displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule-5 with effect from 2nd December, 1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 50-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Industrial Security Force:

Name and Rank of the Officer

Shri R. S. Lingappa,
ASI (Clerk) (Now SI Min),
CISF Unit, DHEP,
Doyang, Nagaland.

Shri R. N. Goud,
HC (Driver),
CISF Unit, DHEP
Doyang, Nagaland.

Statement of services for which the decoration has been awarded:

On 2-12-1995, a CISF convoy consisting of 23 peronnel in three vhicle (including SI R. S. Lingappa, HC R. N. Goud and Naik Sudarshanan) were returning from State Bank of India branch at Wokha to CSIF Unit, DHEP Doyang with Rs. 5.6 lakhs monthly salary of the Unit. SI Lingappa was in the second vehicle with cash, the vehicle was driven by HC Goud. About 5 Kms from Wokha on the densely forested hilly roads as the convey entered a horseshoe bent in the road, it was amushed by NSCN militants who opened heavy fire with automatic weapons. But all the 6 CISF personnel in the leading vehicle died on the spot. The second vehicle also came under heavy fire and militants lobbed a grenade on the

vehicle. Shri Lingappa sustained bullet injury in his right leg and Shri Goud was also injured and the brake system of the vehicle was knocked out. Inspite of this HC/Driver Goud tactfully over-took the first vehicle and brought the vehicle by dashing it against a road side parapat. Shri Lingappa though seriously injured on the leg, picked up the bag containing cash got out of the vehicle and took cover in the adjoining forest. Shri Goud collected the weapons from the dead personnel and took cover in the hilly terrain.

In the meanwhile, Naik Sudarshanan, who was travelling in the third vehicle, alongwith other party personnel got down from the vehicle, took position and opened fire on the militants. The militants shifted their attack on the third vehicle when they noticed the CISF personnel returning fire effectively. Naik Sudarshanan came out of his safe position and started firing from behind the vehicle in order to knock out the LMG position of the militants. His determined action kept the militants at bay but the militants attacked Naik Sudarshanan from another side and he received a fatal burst of automatic fire in his chest and died on the spot. Thus Naik Sudarshanan laid down his life in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter Shri R. S. Lingappa, ASI (Clerk) now SI and Shri R. N. Goud, HC (Driver) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd December, 1995.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President.

No. 51-Pres/97.—The President is pleased to award Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri R. S. H. S. Sahota, Second-in-Command, (now Commandant) 7 Bn., CRPF, Nagaon, Assam. — Bar to PM for gallantry

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 4-5-1994, on receipt of information regarding movement of ULFA activists around Village Babejia, a CRPF party under the command of Shri R. S. H. S. Sahota, 2-I/C of 7th Battalion, CRPF was detailed to carry-out raid and search operation to track down the extremists. When the party was cordoning the suspected hide out in village Babejia the extremists ran towards village Gahin. The CRPF personnel chased the extremists and after some distance they formed two groups. One group of extremists continued to run towards village Gahin and the second group of four extremists continued to run towards village Gahin and the second group of four extremists ran towards village Kujeerbari and Satiali. Shri Sahota with his party personnel chased the second group. The extremists took advantage of uneven fields and mud mounds, took position and started indiscriminate firing on Shri Sahota and party. One of the extremists fired on advancing Shri Sahota from close range by taking cover behind a mud mound but Shri Sahota escaped. Shri Sahota warned the extremists to surrender but the extremist continued firing towards the CRPF personnel. Shri Sahota moved towards the hiding extremist, spotted him, fired and killed him on the spot, who was later identified as Jitu Deka alias Bhaskar Bora. On CM Sten Gun withone 9 mm round was recovered from the dead extremist. Thereafter, Shri Sahota alongwith Naik Kuldeep Singh chased the other fleeing extremist. They took a local boat to cross a Nallah. Unfortunately the boat casized in the nallah but both safely swam the 12 feet deep nallah and continued their chase. The hiding extremist on seeing them lobbed one hand-grenade on S/Shri Sahota and Kuldeep Singh but they escaped unhurt. When he was in the process of lobbing another grenade, S/Shri Sahota and Kuldeep Singh charged towards the extremist and both simultaneously fired at him and liquidated the extremist. The dead extremist was later identified as Haryana Raj Bangshi. He was involved in killing of Police personnel and others. One HE-36 handgrenade with four detonatores was recovered from the dead extremist.

In this encounter Shri R. S. H. S. Sahota, Second-in-Command (now Commandant) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under-rule-4(i) of the rules governing the award of Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under-rule-5 with effect from the 4th May, 1994.

G. B. PRADHAN
Jt. Secy. to the President.

No. 52-Pres/97.—The President is pleased to award the Police medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Kuldeep Singh,
Naik (Now HC),
7 Bn., CRPF,
Nagaon, Assam.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 4-5-1994, on receipt of information regarding movement of ULFA activists around Village Babejia, a CRPF party under the command of Shri R. S. H. S. Sahota, 2-I/C of 7th Battalion, CRPF was detailed to carry-out raid and search operation to trackdown the extremists. When the party was cordoning the suspected hide out in village Babejia the extremists ran towards village Gahin. The CRPF personnel chased the extremists and after some distance they formed two groups. One group of extremists continued to run towards village Gahin and the second group of four extremists ran towards village Kujeerbari and Satiali. Shri Sahota with his party personnel chased the second group. The extremists took advantage of uneven fields and mud mounds, took position and started indiscriminate firing on Shri Sahota and party. One of the extremists fired on advancing Shri Sahota from close range by taking cover behind a mud mound but Shri Sahota escaped. Shri Sahota warned the extremists to surrender but the extremist continued firing towards the CRPF personnel. Shri Sahota moved towards the hiding extremist, spotted him, fired and filled him on the spot, who was lated identified as Jitu Deka alias Bhaskar Bora. On CM Sten Gun with one 9mm round was recovered from the dead extremist. Thereafter, Shri Sahota alongwith Naik Kuldeep Singh chased the other fleeing extremist. They took a local boat to cross a Nallah. Unfortunately the boat casized in the nallah but both safely swam the 12 feet deep nallah and continued their chase. The hiding extremist on seeing them lobbed one hand-grenade on S/Shri Sahota and Kuldeep Singh but they escaped unhurt. When he was in the process of lobbing another grenade, S/Shri Sahota and Kuldeep Singh charged towards the extremist and both simultaneously fired at him and liquidated the extremist. The dead extremist was later identified as Haryana Raj Bangshi. He was involved in killing of Police personnel and others. One HE-36 handgrenade with four detonatores was recovered from the dead extremist.

In this encounter Shri Kuldeep Singh, Naik (Now HC) displayed conpicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 4th May, 1994.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 53-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dalip Singh,
Assistant Commandant,
128 Bn., CRPF,
West Tripura.

Shri Maninder Singh,
Constable,
128 Bn., CRPF,
West Tripura.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 26-4-1996, Shri Dalip Singh, Assistant Commandant, received information about the movement of ATTF (Tiger Force) insurgents in Gyangfung arcas of Sidhai Sector. On the early morning of 27-4-1996, Shri Dalip Singh launched a Special Operation with two platoons of Special Task Force. The party left Hezamara at about 0015 hours (27.4-1996) and reached there through thick jungles. Shri Dalip Singh deployed his ment to cover all possible escape routes, then launched search operation in village Gynafung which was located on a hillock. He deputed five personnel towards the right side of the hillock to climb from that side. He alongwith Constable Maninder Singh and one section advanced through a gap to climb the hillock from left side. As they reached near the hillock, the insurgents opened fire. Two scouts of the section who were ahead of the party, took position and opened fire on the insurgents. Shri Dalip Singh alongwith Constable Maninder Singh, who were behind the scouts opened fire on the insurgents. Seeing that both the scouts had been trapped by insurgents from hill top, Shri Dalip Singh alongwith constable Maninder Singh rushed towards the left side and located flashes of two guns on hill top. Insurgents also located Dalip Singh and his party and opened fire on them. On Finding that the insurgents were at an advantageous position and fire from CRPF personnel was not effective, Shri Dalip Singh with Constable Maninder Singh decided to climb the hill from the left side. He directed other members of the party to give covering fire. Both the insurgents intensified their firing on them. Constable Maninder Singh located the position of one of the insurgents in bamboo growth and informed his Commander. Shri Dalip Singh asked Shri Maninder Singh to take position there and pin down the insurgent, he himself went ahead to have a clear view of the insurgents. Constable Maninder Singh also advanced further towards insurgents and gave covering fire of his Commander. Inspite of heavy firing they got up from their position and rushed towards the insurgents and fired on them. Without wasting any time they went for the final assualt and found one person lying dead in the thick bamboo growth, who was holding one AK-56 Rifle in his hand and pouches containing magazines of AK-56 were tide to his chest. He was later identified as Tarun Deb Barma, responsible for ambush on CRPF party on 20-1-1996 and killing of six CRPF personnel and one civilian. However, the other insurgent who was injured managed to escape in thick jungles. In addition to one AK-56 Rifle, 3 magazine of AK-56 Rifle were also recovered. one magazine was empty, second magazine was having only 4 rounds left in it and there were 20 rounds in the third magazine. 11 fired cases were also recovered near the dead body.

In this encounter S/Shri Dalip Singh, Asstt. Commandant and Maninder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th April, 1996.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 54-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Parsu Ram Singh,
Sub-Inspector of Police,
73 Bn., CRPF.
Shri Nachhater Singh,
Head Constable,
73 Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 24-6-1993 an information gave specific information that Hira Singh, Area Commander alongwith three/four terrorists, all belonging to Swaran Singh Jawanda were seen near village Hazira Mazra. This information was passed on the patrol party which was already on duty in that area in which S/Shri Parsu Ram Singh and Nachhatar Singh were present alongwith SHO, Addl. S. P. and S.H.O., Bajpura. Two parties were formed, One party under C.O. went in search of terrorists and 2nd party towards western side. As soon as the 1st party reached near the suspected farm house, 4 armed terrorists fired with automatic weapons to kill the police parties. When tried to run away the 1st party started chasing them. Sub-Inspector Parsu Ram Singh exhorted his men to attack and fire at the terrorists. But the terrorists fired heavily on the CRPF party and entered into the sugarcane field. The Police and the CRPF parties kept on firing at the terrorists. They heart cries of terrorists who got injured. Shri Nachattar Singh, advanced towards the terrorists returned firing and also hand grenades. Sub-Inspector Nachhater Singh got seriously injured but encouraged his ment to fire at the terrorists. Later on they were challenged by ASI. The terrorists raised slogans and fired heavily on the police parties and tried to break the cordon. After strengthening the cordon the terrorists were attacked with rifle and hand grenades. In the meantime it became dark and the terrorists run away from the place taking advantage of the ungardened areas. Durnig search the dead body of the killed terrorists was identified as Onkar Singh Cheema. 1 AK-56 Rifle, 1 AK-56 Rifle Mag, 64 AK-56 live rounds, 9 Detonators, Rs. 5,400 cash, 1 Tape recorder, 1 Cassette, 1 Telephone, 1 Hand Telephone, 1 bundle Electric wire, 1 BSTK/BTFK letter pads were recovered from the place of incident.

In this encounter S/Shri Parsu Ram Singh, Sub-Inspector, and Nachhater Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th June, 1993.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 55-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohinder Singh,
Deputy Commandant,
31 Bn., Border Security Force.

Shri J. S. Chauhan,
Sub-Inspector,
JAD (G) Team, Baramulla,
Border Security Force.

Shri Lakhwinder Singh,
Head Constable,
31 Bn., Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 29-8-1995, an information was received that some insurgents were hinding in Village Mandigaon (Sopore). Shri Mohinder Singh, Dy. Commdt., with two Coys was detailed to cordon and search the village. The village was cordoned at 0430 hrs in the morning and after an identification parades, search party was detailed to search the individual houses. When one search party entered the house of one Sanoaulla Parey, militants hiding in the house opened fire. Shri Mohinder Singh, Dy. Commdt., strengthened the cordon around that house and started planning to flush out the militants. He told the militants that they were surrounded from all sides and they have no alternative but to either get killed or to surrender, but the militants replied by throwing grenades and firing. Since there was no response, Shri Singh sent a party to fire few shots through the opening to restrict the movement of militants from the 2nd floor. S/Shri Mohinder Singh, J. S. Chauhan, SI and Lakhwinder Singh, H. C. reached the wall of the house. He asked Shri Lakhwinder Singh, Head Constable to throw a grenade through a window and himself fired inside the house from the window. The fire was returned by the militants. Shri Mohinder Singh learnt that there were two militants with rifles inside the house. While Shri Singh, alongwith Shri Chauhan were planning the further action, one of militants threw grenade from the window which injured both of them. They sustained splinter injuries to their left arms. Now the militants had moved to the ground floor. More grenades were thrown inside and fire from LMG and rifles was concentrated on the ground floor through door and windows. Fire from both sides continued till 0930 hrs. Shri Singh again warned the militants to surrender or he would put the stack of grass on fire and that they would be burnt alive, when this did not heed any request, he set the grass on fire and the house caught fire as a result of which lot of smoke and fire entered the house through the window so that they were not closed by the militants. Finding no other alternative, one militant threw his rifle alongwith three magazines and shouted that he wanter to surrender. Shri Singh asked him about the second militant. He said that the other militant had been killed by them. He was asked to throw the other rifle also. Keeping under cover, Shri Mohinder Singh fired on the insurgent and disarmed him. The militant on interrogation stasted that two other militants were inside the house, one was dead and the other injured. Shri Mohinder Singh stormed into the house and apprehended one militant who was laying injured condition. One other militant had been killed as a result of the grenade explosion. The three militants were Rashid Moulvi, a self styled Area Commdr. of the HM outfit (killed) Gulam Hussain (injured) and Bashir Ahmed Tanire (captured). 3 AK 56 Rifles, 8 magazines, 28 rounds and 7 Nos. of BFC's AK series were recovered.

In this encounter S/Shri Mohinder Singh, Deputy Commandant, J. S. Chauhan, Sub-Inspector, Lakhwinder Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29-8-1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 56-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Balak Ram,
Subedar,
43 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 21st July, 1995 Shri Balak Ram, Subedar, received an information about militants' activities in Nasirabad Colony area of Sopore. An operation was planned by 2-I/c. to be conducted in that area to nab the hard core militants. As the troops were approaching the area from four different directions, the party consisting of Shri Balak Ram, observed two suspected militatnts escaping towards village Adipura through standing crops/orchards. Shri Balak Ram chased and ordered the escaping suspects to stop, but instead they opened heavy fire from automatic weapons on them. Shri Balak Ram also retaliated the fire, started hot chase and engaged the fleeing militants in running gun battle. The militants took position on the bank of a canal and started firing to stop advance of chasing party. Shri Balak Ram advanced in the direction of the said fleeing militants by using fire and cover. One of the militants left his position and started running towards Mohalla Maharajpura, whereas the other one kept on firing on Shri Balak Ram and party. The running militant was chased by Dy. Comdt. and others but he managed to escape by taking the advantage of paddy fields and thick apple orchards. The other militant, apprehending danger left his position and started running towards village Adipura by taking cover of the bundh. Shri Balak Ram ran through watered paddy fields leaving behind other party members and blocked the escape route of the militant by positioning himself on a curve in the bundh. The militant on observing presence of police on the curve fired a burst shot from his weapon which narrowly missed Shri Balak Ram. Shri Balak Ram jumped on the militant and overpowered him after a brief scuffle. The captured militant disclosed him identity as Abdul Rashid S/o Abdul Khaliq, Mohalla Hazam, Sopore, a PTM and self styled platoon Comdr. of HM outfit. AK-56 rifle, Mag AK series, NVD, Mag. 30 Pistol & 8 rds., amn. 30 pistol were recovered from the captured militant.

In this encounter Shri Balak Ram, Subedar displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21-7-1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 57-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Gunpal Singh,
Constable,
104 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 11th July, 1995 information was received at 104 Bn., Hqrs. about movement of an important insurgent leader Ghulam Mohd-ud-Deen in the area of Nowgam Chowk, Srinagar Town. On getting this information a mobile patrol of 02 sections of men was deputed under a Commandant. When the Comdt. approached the Chowk, militants who were sitting in a shop fired on the party and started retreating between two houses. The Commandant, stoped his vehicle and his commando section, jumped out and took position on either side of lane. Gunpal Singh, Constable was in front and despite bullet injury started chasing the militants by following them down the lane. Shri Singh managed to catch up with the retreating militants despite their firing, taking cover of the trees and zig-zagging through the wooded area. Shri Singh, who was leading the escort was able to

fire on the militants and the remaining personnel of the escort party could not make use of their weapons due the entailment of safety of their own comrades. The first militant, however, managed to cross the nallah and escaped into the jungle. The second injured militant while returning the fire was fired at by Shri Singh, and other police personnel killed him on the spot. The killed insurgent was later identified as Ghulam Mohd-Ud-Deen, Dy. Chief of Tehreekul Mujahideen. One AK-56 Rifle, 4 AK-56 Magazines, arms & ammunition and 2 Grenades were recovered from the killed militant.

In this encounter Shri Gunpal Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high orders.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-7-1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 58-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned Officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Hari Pada Kar, (*Posthumous*)
Constable,
50 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 20th July, 1995 at about 0445 hrs. a party led by Asstt. Comdt., left Achhabal Post for recce and cordon and search of a suspected hide out of militants in the area around village Khoshipura. At about 0600 hrs., when the party reached near village, Asstt. Comdt., deployed one platoon on the road passing through village Khoshipura, and kept remaining two platoons with him and crossed the village towards South-West recce. When the party crossed about 300 meters away from the village, it was fired upon by the militants. The party retaliated the fire of militants. Thereafter the militants started escaping towards the village. When they were crossing the road the running militants were engaged by the other platoon which was deployed on the road but the militants managed to get through the fire and ran towards village. The Asstt. Comdt., rushed back with his troops and started chasing the militants. The militants crossed the nullah and took position in a walnut grove. One Platoon was posted to prevent any further crossing of the militants, when the party started searching the grove, it came under heavy firing. Constable H. P. Kar, who was the scout of the party led by Asstt. Comdt. came under fire when he was crossing the nullah, received a bullet injury on his right temple and died almost instantaneously. Due to the aggressive situation re-inforcement was called. The re-inforcement party learnt that atleast two militants took cover of a group of women to escape from there. Hence they proceeded to search another militant who was hiding behind a wall and a Walnut tree. But suddenly he fired upon the party. The re-inforcement also met a strong encounter and killed the militant on the spot. The killed militant was later, identified as Quaban Rehmani belonging to Harkat-Ul-Ansar outfit. Shri Kar made a supreme sacrifice in the life to the dedication of the service.

In this encounter Shri Hari Pada Kar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20-7-1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.
to the President

No. 59-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Subhash Chandra Sharma, (*Posthumous*)
Deputy Commandant,
7 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 19-12-1995, on a specific information, a raid was conducted by Shri J. C [illegible] alongwith other personnel to apprehend 3 milit[illegible]ey succeeded in apprehending Khurshid Ahmed, [illegible]rained and highly motivated Supreme Comdr. of Pro-Pak militant of Jehad Force outfit. During questioning he disclosed that his weapons dump were lying in Bulbulanker area. Shri Subhash Chandra Sharma Dy. Comdt. knew the terrain well. He divided his party into four groups and sent them through different routes to the area where the hide out was located. When the party reached close to the cordon, there was heavy firing and the party was pinned down. In relation, police party also fired on the militants. Due to militants firing and lobbing of grenades, Ahmed who had led the party to the place was hit by a militant bullet and died on the spot. Reinforcement was also called. The firing between militants and police party continued for about half an hour. Shri Sharma positioned his LMG's carefully and directed fire through the windows simultaneously from all sides risking his life in cross fire. When the fire from the house stopped, Shri Sharma led his party in an assault into the building throwing grenades to clear the rooms. The insurgents inside had been killed and large number of arms & ammunition 1 No. Pistol with magazine, 5 rds. pistol live rds., 3 Nos Pistol FFC, AK Series Mag. filled with 30 rds. 51 AK Series Amn., 19 Nos. AK series I-FC's, 14 J.K. Jehad Force Pad & Stamp of J. K. Jehad Force were recovered (on 16-4-1996 while Shri Sharma was returning to his coy. Hqrs. after patrolling duly he was killed by a powerful IED blast triggered by militants which was specially laid for him.

In this encounter Shri Subhash Chandra Sharma, Deputy Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallanty under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th December, 1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 60-Pres/97.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Praveen Bakshi,
Asstt. Commandant,
162 Bn., BSF

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 16-10-1995, specific information was received about movement of some militants in Paripura area. Shri Praveen Bakshi, Asstt. Comdt. alongwith his Commando troops pooled from Coys. moved from Bn. Hq. Shri Praveen Bakshi divided his force into 4 groups and deployed them to approach the target area from 4 different sides. Insurgents fired from a house in the target area. On seeing the movement of the Police personnel, the militants resorted to indiscriminate firing. Shri Bakshi, sent his Commando under Shri K. P. Pradhan, Head Constable towards a wall of the house where the militants could not fire back because of concentrated fire of 2 LMGs positioned and firing on the site of the house. Shri Pradhan was able to move up to the window and threw a grenade inside the house. When the grenade exploded, the leader of the insurgent group was killed. However, an insurgent managed to fire a shot which hit Shri Pradhan on the head. Without caring for his personal safety, he continued to fire till he became unconscious. Shri Bakshi evacuated Shri Pradhan who succumbed to his injuries. In this encounter 4 militants were killed and two others were injured. AK 47 rifles, Mag, Amn., Stereo mini cassette recorder, Hand grenade, Magazine pouch, stick grenade, stick grenades Pouch, Arabi Book and Audio Cassette were recovered from the place of incident.

In this encounter Shri Praveen Bakshi, Asstt. Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16-10-1995.

G. B. PRADHAN,
Joint Secretary
to the President

No. 61-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri K. P. Pradhan,
Head Constable,
162 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 16-10-1995, specific information was received about movement of some militants in Paripura area. Shri Praveen Bakshi, Asstt. Comdt. alongwith his Commando troops pooled from Coys. moved from Bn. Hq. Shri Praveen Bakshi divided his force into 4 groups and deployed them to approach the target area from 4 different sides. Insurgents fired from a house in the target area. On seeing the movement of the Police personnel, the militants resorted to indiscriminate firing. Shri Bakshi, sent his Commando under Shri K. P. Pradhan, Head Constable towards a wall of the house where the militants could not fire back because of concentrated fire of 2 LMGs positioned and firing on the site of the house. Shri Pradhan was able to move up to the window and threw a grenade inside the house. When the grenade exploded, the leader of the insurgent group was killed. However, an insurgent managed to fire a shot which hit Shri Pradhan on the head. Without caring for his personal safety, he continued to fire till he became unconscious. Shri Bakshi evacuated Shri Pradhan who succumbed to his injuries. In this encounter 4 militants were killed and two others were injured. AK 47 rifles, Mag, Amn., Stereo mini cassette recorder, Hand grenade, Magazine pouch, stick grenade, stick grnades Pouch, Arabi Book and Audio Cassette were recovered from the place of incident.

In this encounter Shri K. P. Pradhan, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16-10-1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.

No. 62-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned Officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. B. Mukherjee,
Assistant Commandant (Tech),
104 Bn.,
Border Security Force.

Shri Virpal Singh,
Constable,
104 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-10-1995 at about 11.15 hrs. an information was received that some militants were hiding in Lasjan Jungle bounded by Villages Nowgam, Chiralipura, Padshaibagh on one side and the Baramulla by Pass road on the other side. At about 12.00 hrs. a combing party headed by a Comdt. 83 Coys. succeeded in detaining one Jehoor Ahmed Bhatt, who on interogation revealed that there were four more armed militants hilding in the jungle. The Commandant was conveyed of this message and the combing parties were alerted. Around 12.45 hrs. Shri Mukherjee and his party spotted at the 4 militants, while 2 were spotted with AK rifles, the other 2 were unarmed. Shri Mukherjee immediately conveyed this message to the Comdt. Thereafter Shri Mukherjee started chasing the militatnts alongwith his party. When militants noticed BSF party headed by Shri Mukherjee they opened fire on the police party. Shri Mukherjee & party retaliated the fire. The exchange of fire continued and militants kept on moving towards Baramulla By-Pass while firing on BSF party. When Shri Mukherjee further advanced, the militants hurled a grenade on him which blasted just ahead of Shri Mukherjee. Fortunately, Shri Mukherjee positioned himself behind a patch of undulating gorund. Undettered from the fire of militants and without caring for his personal safety, Shri Mukherjee ordered his party to eliminate the militants by fire. During this exchange of fire one of the militants was hit on the head resulting his death on the spot. The remaining three militatns were compelled to take position in a small nallah. After ascertaining the position of the militants and on the directions of the Comdt., the escort party moved forward and immediately engaged the militants in firing. This sudden engagement from different directions took them by absolute surprise and they made a desperate move to break through the cordon of Baramulla by-pass by indiscriminate firing and lobbing of grenades. During this firing, Shri Virpal Singh had a narrow escape. Despite heavy fire of the militants, Const. Virpal Singh made a determined move towards militants without caring for his personal safety and killed one of the militants on the spot by firing from his A. K. Rifle. At this stage another party engaged the militants with direct fire and killed the third militant. In the meantime another party also joined the Comdt's party. The fourth militant who was still firing on the troops was surrounded from all directions and was killed on the spot. The killed militants were later identified as Bilal Ahmed Khan @ Yonnus Muzaffar Ahmed @ Alias Riyaz Ahmed @ Tamator & Gulzar Ahmed @ Javed. 3 AK rifles, 2 Chienese Pistols, 11 AK Magazines, 233 Rds. of AK Amn. & 80 Rds. Pistol Amn. were recovered from scene.

In this encounter S/Shri S. B. Mukherjee, Asstt. Commandant (Tech.), Virpal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-10-1995.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.

No. 63-Pers/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri I. Konwar, (Posthumous)
Deputy Commandant,
27 Bn.,
Border Security Force.

Shri Vinod Kumar, (Posthumous)
Constable.
27 Bn.,
Border Security Force.

Shri B. N. Singh, (Posthumous)
Constable.
27 Bn.,
Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 2nd October, 1993, the Commandant of 27 Bn., BSF received an information that a group of armed m.l.tants which included some foreigners were reported to be in Village Tilsara. A strong column of BSF w s deputed and after reaching the unit. the column was divided into four groups, first column was under the command of Shri I. Konwar, 2nd was under the command of Shri D. S. Sadhu, 3rd party under Shri Tarlochan Singh, 4th party Shri S. S. Kushwaha. A cordon was also laid around the village. In the process of laying the cordon, presence of the troops was noticed by about half a dozen insurgents who were hiding in the village. Since the militants were familiar with the area, they fired on the police and jumped into a nallah and escaped. Constable Vinod Kumar who saw one militatnt throwing grenade fired on him on him and killed him on the spot. At the same time another militatnt fired on Vinod Kumar and shot him dead. This information was obtained immediately by Shri Konwar, and he immediately went after them into the valley. But the insurgents climbed up the slopes and took vantage positions. When the militatnts noticed that they were overpowered by Shri I. Konwar and other Sections, they started firing heavily from different directions. The movement of the insurgents was passed on to the Tac Hqrs. on wireless. Re-inforcements led by the Comdt., immediately moved out and blocked the escape routes of the insurgents. Shri Konwar located the area from where the militants fired up and injured 2 personnel of the force and lobbed a grenade on them as a result of which one militant got injured and started escaping Shri Konwar. DC was ahead of every body and chased him. But the militatnt fired on Shri Konwar and killed him on the spot. In this encounter, 2 militatnts were apprehended and 3 militants were killed 5 Nos AK-56 rifles Chinese made pistol. 15 Nos AK-56 Mag 361 Rds. AK 56 Mag. 2 Nos. Pistol Mag. 9 Rds. Pistol Amn. 5 Nos. Grenade and rocket louncher sight system with illuminating Device were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri I. Konwar, Deputy Commandant, Vinod Kumar, Constable and B N. Singh. Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8-10-1993.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.

No. 64-Pres/97.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri J. S. Bhati, (Posthumous)
Deputy Commandant,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-3-1996, around 13.00 hrs, petrol party led by Shri J. S. Bhati, DC got information regarding movement of some suspected persons in area Chankha. Shri Bhati alongwith his Coy immediately moved to the area. Dividing his group into 3 coloumns, Shri Bhati surrounded the area and began to search the houses. At about 13.45 hrs. when the search party led by Shri Bhati entered the house of one Mohd. Ramdan, the insurgents who were hiding on the first floor lobbed two grenades and also fired on them resulting into death of late S/Shri Balwant Singh, Sub-Inspector, Jayanti Prasad, Constable, Rajbir Gautam, Constable Shri Bhati, DC took his party and started firing. Constable Jyanti Prasad who was in front was hit on the left thigh by a bullet from an insurgent and fell down. Shri Bhati fired a burst on an insurgent who in turn fired at Shri Bhati injuring him seriously. Shri Bhati, despite his injury, led the place by fired upon by another militatnt from upper and fell down. S/Shri Ramesh Chander and Dwarika Nath, Constables, who were behind the DC, fired bursts and charged up the stair case. The insurgents who were firing through doors of rooms of the first floor managed to shoot Const. Ramesh Chander and Constable Dwarika Nath who were hit and died on the spot. Reinforcement rushed to place of occurance. The cross firing which continued for about hours, the house from where militatnt was firing caught fire which spread to adjoining houses. After corddning the area, the reinforcement party entered the house and moved seven dead bodies including one militatnt. (who could not be identified). Three AK rifles including two in burnt condition and one damaged wireless set was recovered.

In this encounter Shri J. S. Bhati, Deputy Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-3-1996.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.

No. 65-Pres/97.—The President is pleased to award the under rule 5, with effect from 27-3-1996.
President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Ramesh Chander (Posthumous)
Constable, n
42 Bn., BSF.

Shri Dwarika Nath, (Posthumous)
Constable, n
42 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-3-1996, around 13.00 hrs. petrol party led by Shri J. S. Bhati, DC got information regarding movement of some suspected persons in area Chankha. Shri Bhati alongwith his Coy immediately moved to the area. Dividing his group into 3 coloumns Shri Bhati surrounded the area and began to search the houses. At about 13 45 hrs. when the search party led by Shri Bhati entered the house of one Mohd. Ramdan, the insurgents who were hiding on the first floor lobbed two grenades and also fired on them resulting into death of late S/Shri Balwant Singh, Sub-Inspector, Jayanti Prasad, Constable, Rajbir Gautam, Constable Shri Bhati, DC took his party and started firing Constable Jayanti Prasad who was in front was hit on the left thigh by a bullet from an insurgent and fell down. Shri Bhati fired

a burst on an insurgent who in turn fired at Shri Bhati injuring him seriously. Shri Bhati, despite his injury, led the place but fired upon by another militant from upper floor and fell down. S/Shri Ramesh Chander and Dwarika Nath, Constables, who were behind the DC, fired bursts and charged up the stair case. The insurgents who were firing through doors of rooms of the first floor managed to shoot Const. Ramesh Chander and Constable Dwarika Nath who were hit and died on the spot. Reinforcement rushed to place of occurance. The cross firing which continued for about hours, the house from where militant was firing caught fire which spread to adjoining houses. After cordoning the area, the reinforcement party entered the house and moved seven dead bodies including one militatnt, (who could not be identified). Three AK rifles including two in burnt condition and one damaged wireless set was recovered.

In this encounter Shri Ramesh Chander and Shri Dwarika Nath, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made fore gallantry under rule 4(i) of the rule governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 27-3-1996.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.

No. 66-Pres/97-CORRIGENDUM.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 90-Pres/96, dated the 15th August, 1996 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated 30-11-1996 relating to the award of SENA MEDAL :—

Delete

Sl. No. 59—7239922 Acting Lance Dafedar Sukh Dev Ghosh, Remount Veterinary Corps.

READ

the existing serial numbers from 60 to 76 as 59 to 75.

G. B. PRADHAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING

New Delhi-3, the 2nd August 1997.

CLERK' GRADE DEPARTMENTAL EXAMINATION (FOR GROUP 'D' STAFF ONLY) 1997.

RULES

No. 9/3/97-CS. II.—The Rules for Clerks' Grade Examination (for Group 'D' Staff), 1997 to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel & Training in 1997, for the purpose of filling temporarily vacancies reserved for regularly appointed Group 'D' Staff in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, the Armed Forces Headquarters Clerical Service Grade VI of the Indian Foreign Service Branch (B) and posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs, are published for general information.

The candidates who are admitted to the examination will be eligible for vacancies.

(i) in the Central Secretariat Clerical Service if they are working in the Ministries offices participating in the Central Secretariat Clerical Service;

(ii) in the Armed Forces Headquarters Clerical Service if they are employed in the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisation;

(iii) in Grade VI of the IFS (B), if they are employed in the Ministry of External Affairs or its Missions abroad; and

(iv) in posts of Lower Division Clerk in the Ministry of Parliamentary Affairs if they are employed in the Ministry of Parliamentary Affairs.

2. The number of vacancies to be filled up on the results of the examination will be decided by each cadre authority participating in the examination.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in Appendix to these rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or regularly appointed temporary Group 'D' employee who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination :—

(i) Length of service : He should have rendered on 1-8-97 not less than five years of approved and continuous sevice as a Group 'D' employee or in the higher Grade in Ministries/Offices participating in (i) the Central Secretariat Clerical Service; or

(ii) Armed Forces Headquarters and/or Inter-Services Organisation or (iii) in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad; or (iv) the Department of Parliamentary Affairs.

NOTE : (1) The limit of 5 years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of the candidate is partly as a Group 'D' employee and partly in posts of LDC (Ad-hoc) in any Ministry or office participating in the Central Secretariat Clerical Service or in the office participating in the Armed Forces Headquarters Clerical Service or in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad or in the Ministry of Parliamentary Affairs.

NOTE : (2) Group 'D' Employees who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the Competent Authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

II. AGE : He should not be more than 50 years of age as on 1-8-97 i.e., he must not have been borne earlier than 2-8-47.

The age-limit prescribed above will be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribe.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT

PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

III. Educational Qualifications :

At the time of applying for the examination the candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State Govt. of India as equivalent to matriculate certificate for entry into service.

NOTE : (1) A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also the candidate who intends at such a qualifying examination, will not be eligible for admission to the examination.

NOTE (2) : In exceptional cases the Central Government may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possess qualifications, the standard of

which in the opinion of Government justifies his admission to the examination.

5. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the Examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(ix) writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter in the answer sheet/book, or

(x) taking away Question paper or Booklet/Answer Book or Answer Sheet with him/her from the examination hall or passing it on to the unauthorised person/persons during the conduct of the examination, or

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission certificates permitting them to take the examination, or

(xiii) attempting to commit, or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

May, in addition to rendering himself liable to Criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period by the Commission from any examination or selection held by them, or

(c) Disciplinary action under appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission to the examination.

9. After the examination, the Commission will recommend separately to such cadre authority concerned participating in the examination the names of candidates, who have attained the qualifying standard, which will be determined at the discretion of the Commission. The names of the candidates who are considered by the Staff Selection Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in a single list on the basis of their seniority in the parent Group 'D' post. The employees holding posts in higher grade will rank senior to these in the lower grade. The cadre authority shall take steps to appoint them against vacancies decided to be filled in accordance with the rules/regulations framed by them in this regard.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed, only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE : In case of the disabled ex-defence Service Personnel a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of an appointment.

11. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Service Commission, or Staff Selection Commission/Department of Official Languages under Hindi Teaching Scheme, he shall pass such a test at minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute to be held by the authority designated by the Government for the purpose within a period of one year from the date of appointment, failing which, no annual increment(s) shall be allowed to him untill he has passed the said test.

The VH candidates will be given 20 minutes time to type the 300 words in English and 250 words in Hindi.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, he is liable to be reverted to his substantive appointment or temporary post held by him before his appointment to Lower Division Grade.

NOTE : A candidate appointed on the results of the examination who has already passed the typewriting test as prescribed above or who passes it within a period of 6 months from the date of his appointment will be granted the first increment after six months instead of one year service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increment.

12. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment as a Group 'D' employee or otherwise quits the service or severes his connection with it or whose services are terminated by this Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on transfer and does not have a lien on a Group 'D' post will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Group 'D' employee who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

H. S. DHIMAN, Under Secy.

APPENDIX

The examination will be conducted according to the following scheme :—

The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subjects will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks	Time allowed
I.	Essay	100	1.30 hours
II. (a)	Language (General English or General Hindi, and	50 } 100	2 hours
(b)	General Knowledge	50	

2. The syllabus for the examination will be as shown in the schedule to the Appendix.

NOTE-1 : Candidates are allowed the option to answer both the papers either in English or in Hindi (in Devanagiri Script). The option will be for both the papers and not for one paper. The question papers will be printed both in English and Hindi.

NOTE-2 : Candidates desirous of exercising of the option to answer the papers in English or in Hindi (in Devanagiri Script) should indicate their intention to do so clearly in column 10 of the application form, otherwise, it would be presumed that they would answer the paper in English.

NOTE-3 : The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE-4 : Zero marks will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidates.

NOTE-5 : The VH candidates will be given half an hour extra time for each of the two papers.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them. However, VH candidates will be given the papers, in Braille.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

5. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

6. Deduction upto 5% of the Maximum Marks will be made for illegible handwriting.

7. Credit will be given for orderly, effective and exact expressions combined with due economy of words in all subjects of examination.

SCHEDULE

SYLLABUS

PAPER-I : Essay : One essay of 400—500 words to be written on any of the several specified subjects.

PAPER-II : Language (General English or General Hindi) and General Knowledge.

Candidates will be tested in simple composition applied Grammar and Elementary Tabulation (to test candidates' ability in the art of compiling arranging and presenting data in a tabular form), Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of a scientific subject. The paper will include questions on Geography of India also.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 11th July 1997

No. VIII-2/97-IJSC.—The Committee for Studies on Economic Development in India and Japan set up vide Planning Commission Resolution No. F.13 (39)/62-Admn.I dated 1st June, 1962 and redesignated as "India Japan Study Committee" vide Resolution No. VIII-2/79 IJSC dated 13th January, 1979 and last reconstituted vide Planning Commission Resolution No. VIII-2/96-IJSC dated 9th October, 1996 is partially modified as follows :

1. Shri K. Raghunath, Foreign Secretary instead of Shri Salman Haider as Member.

2. Shri N. Kumar, President, CII instead of Shri Shekhar Datta as Member.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Secretary to the President, the Military Secretary to the President and the Indian Ambassador in Japan.

S. N. BROHMO CHOUDHURY
Director (Admn.)

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi, the 17th July 1997

RESOLUTION

No. A-60012/06/97-Admn.I(A).—The Government of India, recognising the importance of basic scientific research in the development of the nation, have decided to institute Swarnjaynti Fellowships Scheme on the occasion of the 50th Anniversary of India's independence through creation of a corpus fund, for assisting outstanding young scientists to attain world-class levels in science.

2. The Swarnajayanti Fellowships will be open to young Indian Scientists between the age of 30 to 40 years who are Indian Nationals, with proven capability for outstanding research work, exploring new frontiers in their field of specialisation. The fellowship would be scientist specific and not institution specific, very selective and have academic monitoring. The support will cover all the requirements for performing at the highest level and will include in addition to an attractive fellowship amount of Rs. 25,000/- p.m., grants for equipment, research and administrative support, consumables, contingencies, national and international travel and any other special requirement including infrastructural support.

3. The Scheme alongwith the necessary details will be widely publicised through national and international media. Applications/nominations for the award of the fellowship will be received once in a year. An empowered Committee will select scientists for the award of the fellowships, based on applications/nominations received, monitor and evaluate the research projects. The duration of each fellowship will be upto five years from the date of start.

4. The primary responsibility for implementing the Scheme will be with the Government of India in the Department of Science & Technology.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries/Departments, Government of India all the State Governments, all the Universities and Scientific Institutions in the country (CSIR/ICAR/ICMR/UGC, DRDO, Etc.).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. M. K. SARDANA
Joint Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 17th July 1997

Sub : Setting up of an Expert Group for strengthening the library system.

The Government of India hereby constitute an Expert Group with the following composition :

Chairman

(1) Shri Sumatheendra Nadig, Chairman
National Book Trust.

Members

(2) Shri N. M. Malwad, Librarian
Indian Institute of Science, Bangalore.

(3) Shri R. Bhattacharjee, Director
RRRLF, Calcutta.

(4) Shri H. K. Kaul, Director
DELNET, India International Centre, Delhi.

(5) Ms. Humera Ahmed
Director (Libraries)
Deptt. of Culture.

Member-Secy.

(6) Smt. Kalpana Dasgupta
Director (CSL).

2. The terms of reference of the Group are as under :

— To make recommendations for development and modernisation of various libraries in the country such as :

Public Libraries
Institutional Libraries
Govt. Department Libraries.

— To formulate a strategy for resource mobilisation as well as one time grant from the Govt. of India.

3. The Committee members will be paid TA as applicable to Group 'A' officers of the Central Govt. during the term of the Committee.

4. The Committee shall submit its report to the Govt. within a period of 4 weeks from the date of issue of this Notification.

KASTURI GUPTA MENON
Joint Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1997
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and published by the Controller of Publications, Delhi, 1997.